तृतीय माला, खण्ड १०—अंक २०

मंगलवार, ४ दिसम्बर, १९६२

१३ अग्रहायण, १८८४ (शक)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(तीसरा सत्र)

3rd Lok Sabha

P 7.5
20
1-63

(खण्ड १० में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प सूचना प्रश्न* संख्या ४ और ५ . . .	१७७५—७८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . .	१७७९—८३
(१) मिग विमानों का संभरण . . .	१७७९—८२
(२) चीन द्वारा भारतीय सैनिकों पर गोली चलाया जाना .	१७८२—८३
कथित रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में	१७८३—८४
सभा पटल पर रखे गए पत्र	१७८४
राज्य-सभा से संदेश	१७८४
उपहार कर (संशोधन) विधेयक	१७८४—१८००
विचार करने का प्रस्ताव—	
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा . . .	१७८४—८६
श्री दाजी	१७८६
श्री रंगा	१७८७
श्रीमती यशोदा रेड्डी . . .	१७८७
श्रीमती लक्ष्मी बाई . . .	१७८७—८९
श्री सू० ला० वर्मा . . .	१७८९
श्री मोहन स्वरुप . . .	१७९०—९२
श्री हिम्मतसिंहका . . .	१७९२
श्री कृ० चं० शर्मा . . .	१७९२
श्रीमती शशांक मंजरी . . .	१७९२—९३
श्री शंकरय्या . . .	१७९३
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी . . .	१७९३
श्री गौरी शंकर कक्कड़ . . .	१७९३—९५
श्री प्रभात कार . . .	१७९५
श्री मोहसिन . . .	१७९५—९६
श्री बड़े . . .	१७९६—९७
श्री श्याम लाल सर्राफ . . .	१७९७
श्री यशपाल सिंह . . .	१७९७—९९
डा० मा० श्री अणे . . .	१७९९
खंड २ से ३६ और १ . . .	१८००

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

[शेष मुख्य पृष्ठ तीन पर देखिये

लोक-सभा

मंगलवार, ४ दिसम्बर, १९६२

१३ अग्रहायण, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

आसाम क लिए अन्तर्देशीय जल परिवहन सेवा

+

अल्प सूचना †प्रश्न संख्या ४. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** / **श्री दाजी :** }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बमाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम और पश्चिमी बंगाल में चलने वाली संयुक्त स्टीमर कम्पनीज के चालकों के पाकिस्तानी भाग की हड़ताल को शीघ्र समाप्त कराने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं ;

(ख) क्या आसाम को आवश्यक सामान भेजने के लिये परिवहन की किसी वेकल्पिक साधन के बारे में निर्णय कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (ग). मांगी गयी जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९१**]

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच है कि इस हड़ताल के दो महीने की अवधि में आवश्यक सामान, विशेष तौर से चाय और जूट का सामान, आसाम में ५ करोड़ से भी अधिक मूल्य का जमा हो गया है, और यदि हां, तो क्या इस से हमारी विदेशी मुद्रास्थिति पर बहुत अहितकर प्रभाव पड़ रहा है ?

†**श्री राज बहादुर** : इस में कोई संदेह नहीं है कि आसाम में सामान का, और विशेष तौर से चाय का, बहुत सा सामान जमा हो गया है । परन्तु हाल ही में जमा हुए चाय और अन्य सामान को रेल तथा सड़कों से भेजने के लिये हमने प्रयत्न किये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या सरकार का ध्यान आसाम के एक मंत्री द्वारा दिये गये उस वक्तव्य की ओर आकृष्ट हुआ है, जिस में कहा गया है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करने और अनुचित लाभ उठाने के लिये पाकिस्तान की सरकार ने यह हड़ताल करवाई थी ?

†**श्री राज बहादुर** : हो सकता है कि आसाम के मंत्री महोदय ने इस प्रकार का कोई निष्कर्ष निकाला हो। मैं ने वह वक्तव्य नहीं देखा है परन्तु जहां तक हड़ताल करने वालों की मांगों का सम्बन्ध है, उन की मांगें औद्योगिक विवाद के प्रकार की नहीं हैं उन की कुछ मांगों के पीछे उन लोगों की नीति की गंध आती है, जो हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं।

†**श्री दाजी** : योजना में बताया गया है कि सड़क से सामान भेजने से हमें लगभग २५० ट्रकों की जरूरत होगी मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने सामान ढ़ोने के लिये अभी तक कितने ट्रक उपलब्ध कराये हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : इस समय काम शुरू करने के लिये हम ने ८ या १० ट्रक ले लिये हैं। परन्तु अभी हमें ढोने के लिये काफी सामान नहीं मिल रहा है, क्योंकि निजी व्यापारी अभी काफी मात्रा में अपना सामान नहीं भेज रहे हैं। हम नं ५० ट्रकों के मंगाने के लिये आदेश दे दिये हैं और उस में से ८ हमें मिल गये हैं ४२ ट्रक मद्रास से कलकत्ते के लिये रवाना हो गये हैं। ५० और ट्रकों को मंगाने के लिये हम सोच रहे हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : विवरण से पता लगता है कि श्रम आयुक्त ने कलकत्ता स्थित पाकिस्तानी उप-उच्चायुक्त से बातचीत की, परन्तु बातचीत बिल्कुल असफल रही । वहां की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए क्या सरकार पाकिस्तान के साथ मंत्री स्तर पर इस मामले में बातचीत करेगी ?

†**श्री राज बहादुर** : ढ़ाका स्थित हमारे उप-उच्चायुक्त पूर्वी बंगाल सरकार के मुख्य सचिव से इस मामले पर बातचीत कर रहे हैं। कम्पनी के प्रतिनिधि भी रावलपिंडी और ढाका दोनों स्थानों पर अधिकारियों से बातें करते रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिन लोगों से बातचीत करनो थी, उन लोगों से बातचीत की जा रही है।

†**श्री हेम बरुआ** : चूंकि यह हड़ताल एक राजनैतिक चाल है, अतः क्या सरकार ने इस समस्या का कोई राजनैतिक हल ढूंढ़ने का कोई प्रयत्न किया है और क्या मामले के हल न होने तक ऐसी स्थिति को दुबारा पैदा होने से रोकने के लिये, क्या सरकार इस सेवा में भारतीयों को रखने को सोच रही है

†**श्री राज बहादुर**: जहां तक प्रयत्न का प्रश्न है संयुक्त स्टीमर कम्पनी के प्रतिनिधियों ने हमारे पास पक ज्ञापन भेजा था जिस में उस ने कहा था कि क्या भारत सरकार इस समस्या को हल करने के लिये होने वाली बातचीत में अपने प्रतिनिधि भेजेगी, और हम ने इस सम्बन्ध में अपनी सहमति भेज दी है। इसी प्रकार का एक ज्ञापन पाकिस्तान सरकार के पास भी भेजा गया है।

जहां तक इस सेवा में भारतीयों को रखने का प्रश्न है, हमारी यही इच्छा है कि इस सेवा में अधिकाधिक भारतीय हों। इस हड़ताल के दौरान पैदा होने और उस के बाद भी पैदा होने वाली परिस्थितियों को देखते हुए हम ऐसा अवश्य करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रंगा** : लगभग १५ दिन पूर्व माननीय मंत्री ने कहा था कि हम परिवहन का वैकल्पिक प्रबन्ध करने जा रहे हैं। क्या बात है कि सरकार ने अभी तक कुल ८ ट्रकों का ही प्रबन्ध किया है, और क्याकारण है कि व्यापारी वर्ग हमारा सहयोग नहीं कर रहा है, और सरकार समय नहीं पा रही है कि चाय और अन्य वस्तुओं के जमा भंडार को कैसे ढ़ोया जाये ?

†**श्री राज बहादुर** : यदि पर्याप्त क्षमता उपलब्ध होती हो तो सब से पहले हम रेलों का प्रयोग करते क्यों कि रेलों से सामान ढ़ोना सड़क से सामान ढ़ोने से सस्ता पड़ता है। हम उतने ट्रकों का प्रबन्ध करेंगे जितनों की जरूरत सरकारी संगठन के अधीन होगी। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि आसाम सरकार को उस की असैनिक तथा अन्य प्रकार की जरूरतों के लिये. जितने ट्रकों की आवश्यकता हो, उतने ट्रक उसे उपलब्ध कराये जायें। इसीलिये हम नये १०० ट्रक प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इस के अलावा २०० ट्रक आसाम सरकार के लिये निर्धारित कर दिये गये हैं; और जरूरत पड़ने पर उन्हें आसाम सरकार की सेवा में दे दिये जायेंगे।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या माननीय मंत्री का ध्यान कलकत्ते के समाचारपत्रों में प्रकाशित उस समाचार की ओर गया है जिस में कहा गया है कि रोके गये ८० स्टीमरों के कर्मचारी पाकिस्तान में यह कहानी बता रहे हैं कि उन्हें भारत में इस बात के लिये मजबूर किया जा रहा है कि वे भारतीय सैनिकों के लिये रक्तदान करें और इस समाचार के खंडन के लिये क्या कोई प्रयत्न किया गया है ?

†**श्री राज बहादुर** : हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं हैं।

सेना में भर्ती

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में सेना में भर्ती के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित या तय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को भर्ती में पक्षपात की कोई शिकायतें मिली हैं; और

(घ) क्या वर्तमान संकटकाल में भर्ती के लिये अपेक्षित शर्तों को कुछ ढीला करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) खेद है कि विवरण देना जन-हित में न होगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भर्ती के सम्बन्ध में शारीरिक योग्यता तथा अधिकतम आयु में कुछ रियायतें दी गई हैं। और कोई रियायत विचाराधीन नहीं है।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : विश्वविद्यालय तथा अन्य ऐसी ही संस्थायें उन विद्यार्थियों को क्या सुविधायें और रियायतें प्रदान कर रही हैं, जो रक्षा सेनाओं में भर्ती होने के इच्छुक हैं और क्या किसी समान आधार पर इन प्रस्तावों को तैयार करने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ताकि सभी विश्वविद्यालयों के सभी विद्यार्थियों को ये सुविधायें मिल सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : ऐसी कोई रियायत नहीं है । विद्यार्थियों को रियायतें देने का प्रश्न ही नहीं है । प्रश्न तो सेना में आम भर्ती के बारे में था ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : मद्रास विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने घोषणा की थी जो विद्यार्थी रक्षा सेनाओं में भर्ती होने के इच्छुक हैं, उन्हें अनेक रियायतें व सुविधायें दी जायेंगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बातें विश्वविद्यालय के वाइस चांसलरों पर निर्भर हैं ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : यह काम सरकार के कहने पर विश्वविद्यालय करेंगे । अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस दिशा में कोई प्रयत्न किया है ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलरों के सुझाव पर विचार किया जा सकता है । पर भर्ती के लिये कोई एकरूप नियम कैसे बनाये जा सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री का कहना है कि एक विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर कुछ रियायतों की घोषणा करता है, तो क्या अन्य विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को भी वे सुविधायें दी जायेंगी ।

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : मुझे एसे किसी वक्तव्य के बारे में जानकारी नहीं है और यदि किसी ने ऐसा कोई वक्तव्य दिया भी हो, तो सरकार उसे मानने के लिये बाध्य कैसे हो सकती है ।

†**श्री भक्त दर्शन** : क्या शासन के ध्यान में यह बात आई है कि यद्यपि रिक्रूटिंग आफिसर्स को यह आदेश दिया गया है कि अधिक से अधिक संख्या में भरती की जाये, फिर भी बहुत से नौजवानों को निराश हो कर लौटना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डाला जायेगा ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : हां, यह बात ठीक है । लेकिन उन को शारीरिक योग्यता के जो निर्बन्ध हैं, उनका तो पालन करना चाहिये ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या कुछ व्यक्तियों से या संगठनों से सरकार को इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि आपात-कालीन कमीशन के लिये आयु सीमा ३५ से बढ़ा कर ४० कर दी जाये, और यदि हां, तो क्या सरकार ने इसे मान लिया है, या इस पर विचार कर रही ह ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : सच तो यह है कि इस समय भी आपात-कालीन कमीशन के लिये आयु सीमा बढा दी गई है । इस समय यह ३५ वर्ष है ।

†**श्री फ्रैंक एन्थोनी** : क्या यह सच है कि यद्यपि अनेक विश्वविद्यालयों में इन्टरमीडिएट परीक्षा नहीं है, फिर भी रक्षा मंत्रालय ने आपातकालीन कमीशन के लिये न्यूनतम शिक्षा इन्टरमिडिएट रखी है और इस प्रकार उन लोगों के लिये द्वार बन्द कर दिया गया है, जिन्हों ने पी०, यू० सी०, सीनियर कम्ब्रिज और पब्लिक स्कूलों से फर्स्ट क्लास में पास किया है ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : न्यूनतम शिक्षा इन्टरमीडिएट या इस के समकक्ष है मैं इस मामले को देखूंगा ।

†**श्री रंगा** : विश्वविद्यालयों से सम्बन्ध स्थापित करने और सेना में अधिकाधिक भर्ती के लिये उन का सहयोग प्राप्त करने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : यह एक सुझाव है, जिस पर मैं विचार करूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

मिग विमानों का सम्भरण

श्री बागड़ी (हिसार) : मैं नियम १९७ के अन्तर्गत रक्षा मंत्री का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करता हूं और चाहता हूं कि वह इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दें :—

"भारत को मिग विमान देने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए रूस सरकार के सन्देश के बारे में कथित समाचार" ।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार तथा सोवियट संघ सरकार के बीच किए गए इकरारनामे के आधार पर लाइसेंस के अन्तर्गत भारत में इस वायुयान के बनाने के लिए मुख्यतया एक कारखाना स्थापित करने की बात थी । इस के अतिरिक्त कुछ मिग वायुयान दिसम्बर १९६२ में, कुछ अगले वर्ष और कुछ फिर उस के बाद देने का इकरार था ।

मास्को स्थित हमारे राजदूत सोवियट संघ सरकार से सम्पर्क बनाये हुए हैं और उन्होंने सूचना दी है कि कारखाना स्थापित करने का इकरारनामा निश्चित योजना के अनुसार आगे चलाया जायगा । और मिग वायुयान भी दिसम्बर १९६२ या थोड़े समय बाद सप्लाई किए जाएंगे ।

श्री बागड़ी : इन विमानों को देने के बारे में रूस सरकार ने समझौता किया था । लेकिन जब चीन ने हिन्दुस्तान पर हमला किया तो ऐन वक्त पर रूस का एक . .

अध्यक्ष महोदय : सवाल कीजिये, दलील देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री बागड़ी : इस के बिना सवाल कैसे समझ में आयेगा ।

अध्यक्ष महोदय : वैसे भी सवाल हो सकता है ।

श्री बागड़ी : मिग विमानों को देने की बात पहले से ही पक्की हो चुकी थी । लेकिन जब चीन ने हिन्दुस्तान पर हमला किया और उस दौरान में कभी इन्कार और कभी इकरार और इसेको लम्बा ले जाना, यह सब क्या हिन्दुस्तान की गैरत के ऊपर एक चोट नहीं है ? और दूसरी बात यह है कि . . . .

अध्यक्ष महोदय : एक सवाल ही एक वक्त में हो सकता है । वह हो गया है ।

श्री बागड़ी : वही सवाल कर रहा हूं । क्या ऐसे मौके पर जबकि हिन्दुस्तान को रूस लटका रहा है और इतना ही नहीं बल्कि उस की गैरत को भी चैलेंज कर रहा है, क्या भारत सरकार इस बात को नहीं सोच रही है कि इस मिग विमानों के सौदे को वह कैंसल कर दे ?

अध्यक्ष महोदय : यह कोई सवाल नहीं है । इस का जवाब दे दिया गया है । बता दिया गया है कि वह हम को लटकाये नहीं रख रहे हैं । जो इकरार था उसके अनुसार कुछ मिग वायुयान दिसम्बर में और कुछ बाद में दिये जायेंगे । इस में लटकाने का सवाल कहां से आ गया ।

[उपाध्यक्ष महोदय]

अगर और कोई सवाल करना हो तो कर लीजिये ।

श्री बागड़ी : कितने मिग विमानों की व्यवस्था हुई है और किस तारीख को वे मिलेंगे ? क्या कोई निश्चित तारीख है या नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : तारीख बता दी है उन्होंने ।

श्री बागड़ी : दिसम्बर बताया है । पक्की तारीख नहीं बताई है ।

अध्यक्ष महोदय : पक्की तारीख है ही नहीं तो बतायें कहां से । यह लिखा हुआ है कि दिसम्बर के करीब मिलेंगे । और तारीख क्या बता दें ।

और कोई सवाल करना है, आपको ?

श्री बागड़ी : जी नहीं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : रूस से इन विमानों को भारत को दिये जाने की जो बात कही गई है कि दिसम्बर या दिसम्बर के पश्चात् मिलने की सम्भावना है, इस के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि केवल मिग विमान ही भारत को मिलेंगे अथवा उन के स्पेयरपार्ट्स भी प्राप्त हो सकेंगे जिस से उन का सदुपयोग हो सके ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : स्पेयर-पार्ट्स बनाने के लिए कारखाना बनने वाला है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या सरकार के पास इस बात का कोई प्रमाण है कि रूस के साथ भारत के इस सौदे में चीन ने रूस पर कोई दबाव डाला है या डाल रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : तर्क के लिए प्रश्न में कोई स्थान नहीं है । प्रश्न सीधा होना चाहिए ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या सरकार का ध्यान मि० डंकन संडीस द्वारा कल हाउस ऑफ कामन्स में दिये गये वक्तव्य की ओर आकृष्ट हुआ है, जिस में कहा गया है कि उन्हें पता लगा है कि भारत को मिग विमान देने के बारे में रूस अपना वादा पूरा करने के लिए तैयार नहीं है । क्या सरकार अन्य देशों से विमान लेने के लिए प्रयत्न करेगी ताकि उस की विमान शक्ति मजबूत हो जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अन्य देशों से विमान लेने के लिए प्रयत्न करने का प्रश्न अलग है । यह प्रश्न मिग विमानों से सम्बन्धित है । माननीय सदस्य सरकार को उपलब्ध जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या मि० डंकन सैन्डीस को उपलब्ध जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं ।

अब माननीय मंत्री से जानकारी प्राप्त की जा रही है । उन का निश्चित मत है कि अब यह सत्य नहीं है ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाडा)**: वह केवल यह जानना चाहते हैं कि क्या यह जानकारी सही नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य की बात समझ गया हूं । यदि माननीय मंत्री वक्तव्य देते हैं तो माननीय सदस्यों को यह नहीं कहना चाहिये कि क्या अमुक राजनीतिज्ञ द्वारा कही गई बात सही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा था कि यह सौदा दिसम्बर के मध्य अथवा कुछ देर बाद तक पूरा होगा। यह स्पष्ट है। "कुछ देर बाद" से क्या अभिप्राय है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : अनेक माननीय सदस्य समाचार-पत्रों में छपी रिपोर्टों के भ्रम में आ गये हैं। कई व्यक्तियों ने इस में पर्याप्त रुचि ली है। किन्तु सोवियत रूस अपने वचन से पीछे नहीं जा रहा है उन्हों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे इसे पूरा करेंगे। इस में कुछ कठिनाई थी—किन्तु इस का चीन अथवा किसी अन्य विषय से सम्बन्ध नहीं है—विश्व की स्थिति और केरिबान की संकटग्रस्त स्थिति से इस का सम्बन्ध है। इसीलिये समय के बारे में संदिग्ध स्थिति थी। इस के अतिरिक्त उन्हों ने सदैव ही यही कहा है। हमारा नवीनतम समाचार यह है कि वे इसे पूरा करेंगे। मुख्य कार्य है संयंत्र का निर्माण। शेष कार्य प्रशिक्षण और नमूनों के सम्बन्ध में है। कुछ व्यक्ति दिसम्बर में आने वाले थे और कुछ १९६४ में। उन्हों ने कहा कि वे इस की पूर्ति करेंगे। इस में कुछ विलम्ब हो सकता है। यह अधिकृत समाचार है। मैं नहीं समझता कि श्री डंकन सैण्ड्ज़ अथवा कोई अन्य व्यक्ति उस अधिकृत वक्तव्य से कैसे मना कर सकते हैं उसे हम यहां प्राप्त जानकारी के आधार पर देते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार में अब कोई और अनुपूरक प्रश्न नहीं हैं।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो एग्रीमेंट हुआ था वह किसी पोलिटिकल ऐंगल के मातहत हुआ था या कामर्शल के और उस के टर्म्स क्या थे ? क्या वह एग्रीमेंट हाउस की मेज़ पर रक्खा जा सकेगा ?

अध्यक्ष महोदय : श्री कछवाय।

श्री कछवाय (देवास) : क्या सरकार का ध्यान अमरीका में भारतीय राजदूत श्री बी० के० नेहरू के वक्तव्य की ओर गया है जिस में उन्हों ने कहा है कि मिग विमान के मिलने की आशा कम है या मिलने में देर हो सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : कोई कुछ कहता रहे, आप से क्या मतलब ?

†**श्री बड़े (खरगौन)** : श्री बी० के० नेहरू का वक्तव्य आज सवेरे ही समाचारपत्रों में छपा है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अखबारों की अपेक्षा जो कुछ यहां कहा जाये उस पर अधिक विश्वास करना चाहिये।

†**श्री बड़े** : किन्तु यह अखबारों में क्यों छपा है ?

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : मैं दो सवाल पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप अगला कालिंग अटेन्शन नोटिस पढ़िये।

श्री राम सेवक यादव : मेरा भी नाम है मिग वाले नोटिस में।

अध्यक्ष महोदय : कोई जरूरी नहीं कि हर एक को मौका दिया जाय, आप कालिंग अटेन्शन नोटिस पढ़िये।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री राम सेवक यादव : आप पहले मेरा निवेदन सुन लें उस के बाद आप जो आदेश देंगे मैं उस का पालन करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी दरख्वास्ति है कि आप कालिंग अटेन्शन नोटिस पढ़िये ।

श्री राम सेवक यादव : मैं उसे पढ़ रहा हूं, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जोकि छूटा जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : इस के लिये हम कोई और मौका तलाश कर लेंगे ।

†**श्री राम सेवक यादव** : इस के लिये अब कौन सा मौका हम तलाश करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : अब दलीलबाजी से तो काम नहीं चलेगा ।

चीन द्वारा भारतीय सैनिकों पर गोली चलाया जाना

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १९७ के अन्तर्गत प्रधान मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करता हूं और चाहता हूं कि वह उस पर एक वक्तव्य दें :

"हमारे लौटते हुए सैनिकों पर चीनी सैनिकों द्वारा आक्रमण तथा हताहत हुए व्यक्तियों की संख्या ।"

प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य तथा आणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : अध्यक्ष महोदय, खबरें हमारे पास यह आई हैं । आपको याद होगा कि चीनी फौजों की तरफ से जो यूनिलैटरल सीज़ फायर कहलाता है वह २१ और २२ नवम्बर की रात को हुआ था । खबर यह आई है कि २२ नवम्बर को हमारे कुछ लोग लौट रहे थे, विथड्रा कर रहे थे, तीन जगहों से । उन पर गोली चलाई गई । अगर मैं उन तीन जगहों का नाम लूं तो शायद आपको बहुत मदद न मिले, लेकिन साउथ आफ डरांग जोंग में कुछ लोगों पर गोली चलाई गई । फिर ३०० सिपाही लौट रहे थे उन पर गोली चलाई गई लिगेला गोम्पा में जो डरांग जोंग से आठ मील दक्षिण में है । और उसी के आसपास कुछ लोग सड़कें बना रहे थे, उन पर गोली चलाई गई । जहां तक हमें इल्म है, कोई मारा नहीं गया है और न घायल हुआ है । २३ नवम्बर को भी उसी इलाके में जो फौजें वापस आ रही थीं उन पर गोलियां चलाई गईं । २५ नवम्बर को ऐसा ही हुआ । सब उसी इलाके के आस पास हुआ डरांग जोंग के । वहां भी कुछ गोलियां चलाई गईं उन लौटते हुए स्ट्रैगलर्स पर जो इक्के दुक्के आ रहे थे । लेकिन जैसा मैंने कहा, जहां तक हमें इल्म है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई ।

श्री राम सेवक यादव : मैं जानना चाहता हूं कि युद्ध विराम के बाद शान्तिमय सिपाहियों पर इस तरह से चीन का हमला क्या इस बात का प्रमाण नहीं है कि उनका जो युद्धविराम का प्रस्ताव है वह धोखा मात्र है, और महज हमारे मनोबल को और हमारी तैयारियों को कम करने के लिये है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो राय की बात है ।

श्री राम सेवक यादव : इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इसका जवाब मेरी तरफ से है कि "नहीं है" । यह समझना कोई जरूरी नहीं है । यानी हो सकता है कहीं । एक रोज बाद उसके हुआ था । याद रखिये कि २२ और २३ नवम्बर को कुछ लोग वापस आ रहे थे, फौजी लोग । हो सकता है कि जान बूझ कर तंग करने को न हो, हो सकता है कि धोखा हो गया हो । कोई बहुत ज्यादा किया भी नहीं । गोली चलाई लेकिन किसी को

---

†मूल अंग्रेजी में

लगी नहीं। हो सकता है कि उनको खतरा लगा हो। वह डर गये हों कि उन पर हमला न हो। हजार बातें हो सकती हैं। कोई तफसील मालूम नहीं है। यह खबर भी उसके दस रोज बाद हमारे पास आई है।

श्री बागड़ी (हिसार) : जब हमारी फौजें वापस आ रही थीं उस वक्त प्रधान मन्त्री के बयान के मुताबिक चीनियों ने हमारी फौजों पर हमला किया। मैं जानना चाहूंगा कि क्या हमारी फौजों को हमारी तरफ से यह हिदायत थी कि सीज़ फायर होने के बाद अगर उन पर फायरिंग हो तो वे उस फायरिंग का जवाब न दें ? यानी जब उन्होंने फायरिंग की तो हमारे आदमियों ने फायरिंग नहीं की ? या अगर फायरिंग की तो उसका रद्दो अमल नहीं हुआ, और नहीं की तो क्या उस हुक्म के तहत नहीं की, क्या हिन्दुस्तान की सरकार ने यह हुक्म दिया था कि सीज फायर के बाद फायरिंग न की जाये ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हिन्दुस्तान की सरकार के हुक्म का कोई सवाल नहीं है क्योंकि वह लोग वापस आ रहे थे, स्ट्रैगलर्स थे। जो लड़ाई हुई थी उससे बच कर, निकल कर, आ रहे थे।उनसे हमारा कोई सम्बन्ध भी नहीं था खबर देने का या लेने का। चुनांचे कोई सवाल ही नहीं था हमसे कि कुछ करो या न करो। जाहिर है कि अगर उन पर कोई हमला कर दे तो उन्हें पूरा अधिकार था अपने को बचाने का।

श्री बागड़ी : जब चीनियों ने उन पर हमला किया तो हमारे फौजियों ने जवाब में फायरिंग की या नहीं की ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या हमारे सैनिकों ने आत्म रक्षा में गोली चलाई थी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी नहीं। यहां-वहां पीछे छूटे हुए कुछ सैनिक थे।

श्री यशपाल सिंह : मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने इसके जवाब में चाइना को कुछ लिखा या नहीं लिखा, और जब चाइना ने सीज़ फायर कर दिया तो हमने भी कर दिया या नहीं कर दिया ?

अध्यक्ष महोदय : इसके लिखने का सवाल कहां उठता है ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : युद्ध विराम की एक पक्षीय चीनी घोषणा के पश्चात् क्या कोई घटना हुई है ? फिर, उनकी फौजों की वापसी की क्या स्थिति है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सरकार के पास जो कुछ जानकारी है सब यहां बता दी गई है।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : क्या सरकार ने इस आशय का सर्वेक्षण किया है कि कुछ चीनी बुद्ध सैनिकों के रूप में नेफा में रह कर कहीं गोली चलाने की पुनरावृत्ति न कर दें ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह स्थिति बाद में उत्पन्न होगी। अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

कथित रेलवे दुर्घटना के बारे में

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस दूसरी रेल दुर्घटना में तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : इस संकट स्थिति में अनुशासन और प्रक्रिया नियमों को विस्तृत नहीं कर देना चाहिये। यदि माननीय सदस्य को कोई शिकायत है तो वह मुझ से आकर मिल सकते हैं। मैं निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिये प्रस्तुत हूं।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

१९६१-६२ के लिए भारत सरकार का राज्य व्यापार निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : श्रीमान्, श्री मनुभाई शाह की ओर से मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९—(क) की उपधारा (१) के अन्तर्गत भारत के राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली की वर्ष १९६१–६२ की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित सभा पटल पर रखता हूं।

राज्य सभा से सन्देश

†**सचिव** : श्रीमान्, मैं राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देता हूं :

"राज्य-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १२५ के उपबन्धों के अनुसार, मुझे लोक-सभा को यह बताने का निदेश मिला है कि राज्य-सभा अपनी ३ दिसम्बर, १९६२ की बैठक में लोक-सभा द्वारा २८ नवम्बर, १९६२ को पारित राज्य-सहयोजित बैंक (विविध उपबन्ध) विधेयक, १९६२ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।"

उपहार-कर (संशोधन) विधेयक

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : श्रीमान् श्री मोरारजी देसाई की ओर से मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि उपहार कर अधिनियम, १९५८, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभा ने लगभग एक वर्ष पूर्व आयकर अधिनियम, १९६१ पर विस्तृत विचार किया था। उक्त अधिनियम द्वारा आयकर अधिनियम, १९२२ का निरसन कर दिया गया था। तथा उसमें कई सारभूत परिवर्तन किये गये ताकि प्रक्रिया को उपयुक्त रूप देकर करों से बचने के लिये प्रभावशाली कार्यवाही की जा सके।

उपहार कर अधिनियम का बुनियादी आधार वही है जो आयकर अधिनियम का है। दोनों करों के लिये प्रशानिक व्यवस्था लगभग समान है। प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच की सिफारिशों को उपहार कर सहित अन्य प्रत्यक्ष करों पर लागू किया जा सकता है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक समझा गया कि उपहार कर अधिनियम, १९५८ के उपबन्धों को आय कर अधिनियम, १९६१ के समानान्तर कर दिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस समय उपहार कर अधिनियम में कुछ परिवर्तन भी कर दिये गये हैं। अधिनियम के प्रशासन के समय उप्पन्न कठिनाइयां दूर करने का प्रयत्न किया गया है। इनमें तीन प्रकार के संशोधन हैं। औपचारिक, अर्थात् आयकर अधिनियम १९२२ की धाराओं की क्रम संख्या में आयकर अधिनियम, १९६१ की धाराओं का समनुवर्ती परिवर्तन; वर्तमान धाराओं की पुर्नरचना ताकि उनकी मंशा स्पष्ट कर कर-निर्धारण दण्ड व्यवस्था, अपीलें और आयकर अधिनियम, १९६१ के आधार पर वसूली की परिवर्तित प्रक्रिया वाला नया खण्ड पुर:स्थापित की जा सके। तीसरी अधिनियम के प्रशासन के दौरान अनुभव किये गये आवश्यक परिवर्तन हैं।

प्रथम वर्ग के संशोधन सर्वथा औपचारिक हैं और उनकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे वर्ग के बारे में भी विशेष कहना आवश्यक नहीं है क्योंकि जब आयकर विधेयक, १९६१ पर सभा में विचार किया जा रहा था तब सभा ने और प्रवर समिति ने इसका विशद विश्लेषण किया था। दूसरे वर्ग में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार हैं :

(१) करों को देर से देने पर ब्याज वसूल करने का उपबन्ध, जिनका आयकर अधिनियम, १९६१ में उपबन्ध है ;

(२) सरकार द्वारा देर से निधि वापस करने पर ब्याज देने का उपबन्ध; (३) इस अधिनियम के अंग रूप अपने आय में पूर्ण संहिता के अधीन उपहार कर की वसूली; (४) अधिनियम में दण्ड की व्यापक सूची का समाविष्ट; (५) उपहार-कर पदाधिकारी द्वारा पास किये गये संशोधन आदेश तथा समन के अनुसार काम न करने पर दण्ड आदेश के विरुद्ध कर निर्धारण के विरुद्ध अपील करने के अतिरिक्त अधिकार का उपबन्ध ; (६) जिन विधि प्रश्नों पर विभिन्न उच्च न्यायालयों ने परस्पर विरोधी निर्णय दिये हैं उनके बारे में उच्चतम न्यायालय से सीधे निर्देश करना; (७) आय कर विभाग के भूतपूर्व पदाधिकारियों द्वारा उपहार-कर प्रक्रिया में कर निर्धारण कर्ताओं के अभ्यावेदन पर प्रतिबन्ध, और सबसे अन्तिम किन्तु महत्वपूर्ण है—कर दिधारण वर्ष में भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों का कर निर्धारण। प्रत्यक्ष कर जांच समिति ने इन परिवर्तनों की सिफारिश की थी।

इस अधिनियम के प्रशासन के दौरान अनुभव की गई कठिनाइयों को दूर करने के लिये किये गये परिवर्तनों की मैं चर्चा नहीं करुंगी। वर्तमान विधि के अधीन उपहार-कर निर्धारण कार्यवाही दानकर्ता के विरुद्ध ही की जा सकती है तथा कर वसूली के सम्बन्ध में दान प्राप्त कर्ता पर दायित्व निश्चित किया जा सकता है। परन्तु यह इस शर्त पर है कि दानकर्ता से वसूली नहीं की गई हो। यदि दानकर्ता का पता न लगे अथवा वह देश छोड़ कर चला गया हो और उस के नाम समन न जारी किया जा सके तो इस स्थिति में यह उपबन्ध अनुपयुक्त सिद्ध हुआ है। इसे हल करने के लिये दानकर्ता दानकर्ता उपलब्ध न होने की स्थिति में दान किन्तु उपहार प्राप्तकर्ता का दायित्व उपहार के मूल्य तक ही सीमित रहेगा। उपहार प्राप्त कर्ता ही लाभ का अधिकारी है अत: उपहार देने वाले का पमेा न होने पर उस पर कर लगाना अनुचित नहीं है। यह पद्धति नवीन नहीं है। आस्ट्रेलिया और जापान में यह प्रचलित है। इस उपबन्ध को केवल उस अवस्था में ही प्रयुक्त किया जाये। जब उपहार कर्ता को ढूंढने के सब सम्भव प्रयत्न निष्फल सिद्ध हो जायें। इस के बाद भी यह उपहार के मूल्य तक ही सीमित रहेगा। उपहार की तारीख को उपहार के मूल्य तक ही उस का दायित्व रहेगा। उपहार देने और प्राप्त करने वाले को संयुक्त रुप से उत्तरदायी बनाने की प्रथा आस्ट्रेलिया और कनाडा में पाई जाती है। जापान में, केवल उपहार कर्ता ही करनिर्धारण के उत्तरदायी और उपहार कर की अदायगी के जिम्मेवार हैं।

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

बहुधा कर निर्धारण की सुविधा के लिये एक मामला एक उपहार कर पदाधिकारी से दूसरे पदाधिकारी को हस्तान्तरित करना प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक हो जाता है । वर्तमान विधि के अन्तर्गत न तो केन्द्रीय राजस्व बोर्ड और न उपहार-कर प्राधिकार इस हस्तांतरण का आदेश देने का हक रखते हैं क्योंकि इस से पर्याप्त कठिनाई उत्पन्न होती है । वे हस्तांतरण तो कर सकते हैं किन्तु आय-कर अधिनियम के अधीन उन के लिये सम्पूर्ण कार्यवाही का भी हस्तांतरण करना आवश्यक है । उस कठिनाई को दूर करने के लिये उपहार-कर आयुक्त और केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को मामले हस्तांतरित करने का अधिकार दिया गया है इस प्रकार उपहार-कर अधिनियम के उपबन्ध आय-कर अधिनियम, १९६१ के प्रारूप के अनुसरण में सम्मिलित हो जाते हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करती हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : इस संशोधन कर्ता विधेयक के प्रयोजन और कारणों से मैं सहमत हूं । इस में जो संशोधन किये जा रहे हैं वे न तो अनुचित हैं और न कठोर ही हैं । जब कर लगाने का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया है तो फिर कर लगाने में छट की कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिये । अतः इस विधेयक में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये यह विधेयक सर्वग्राही नहीं है । सरकार को अब तक इस उपहार-कर के सम्बन्ध में पर्याप्त अनुभव हो गया होगा । वे अब यह भी जान गये होंगें कि लोग इस से बचने की कोशिश किस प्रकार करते हैं । हमारी इच्छा है कि सरकार इस विषय में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करे । इस दृष्टि से मौजूदा विधेयक निराशाजनक है । हम संकट काल से गुजर रहे हैं और इस समय सरकार के संसाधनों में वृद्धि करने के लिये अधिक राष्ट्रीय कदम उठाना चाहिये ।

१–४–६२ को आय-कर का बकाया १४९.४२ करोड़ रुपये थे । १–३–६१ को उपहार-कर का बकाया १६ लाख रुपये था । यह सरकार की अक्षमता और असमर्थमेा का प्रमाण है, कि वह वैध रूप से देय-कर भी वसूली नहीं कर सकती । कर न देने वालों को भारत की प्रतिरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत दंड दिया जाना चाहिये । यदि उपहार देने वाला नहीं मिल सकता, तो उपहार लेने वाले को पकड़ना चाहिये, क्योंकि उस ने उपहार से लाभ उठाया है ।

सभा को यह बताया जाना चाहिये कि बकाया राशि क्यों जमा हुई तथा कर की वसूली में क्या कठिनाई है जबकि सरकार की पूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं । विधेयक को और भी व्यापक बनाया जाना चाहिये था ।

मैं अनुरोध करूंगा कि इस समय भारत की प्रतिरक्षा-कर लगाया जाना चाहिये जोकि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा-कर भी कहा जा सकता है, ताकि अतिरिक्त लाभ को इस तरह इकट्ठा किया जा सके । युद्धकाल में वैसे भी सरकारें अतिरिक्त लाभ कर लगाया जाता है । सरकार को इस में संकोच नहीं करना चाहिये ।

देखा गया है कि श्रमिक तो अपने श्रम और धन का दान कर रहे हैं, मिल मालिक बहुत कम ऐसा कर रहे हैं जिन लोगों के पास बहुत धन है, उन्होंने प्रतिरक्षा कोष में अधिक अंशदान नहीं दिया है, शुरू में समस्त बड़े उद्योगों के कम से कम ५० प्रतिशत लाभ पर कर लगाया जाना चाहिये । छोटे पैमाने के उद्योगों को फिलहाल छोड़ देना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : सरकार को अपने अनुभव से मालूम हो जाना चाहिये था कि उपहार कर और व्यय कर के मामले में उसे असफलता ही हुई है। १९६०-६१ में उसे केवल ८९ लाख की आय हुई, १९६१-६२ में ८५ लाख की और १९६२-६३ में ८५ लाख रुपये की आय होने का अनुमान है। इन आंकड़ों को देखते हुए क्या ऐसे कर को बनाये रखना उचित है, जबकि इस से लाखों लोगों को असुविधा होती है। मैं अनुभव करता हूं कि अब इस आपातकाल में इस कर को छोड़ देना चाहिये और वह भी शीघ्र से शीघ्र। करारोपण शीघ्र बढ़ाया जाने वाला है। इसलिए इस कर को बनाये रख कर जिस से नगण्य आय हुई है और भविष्य में जिस से कुछ आय होने की आशा नहीं है, लोगों की परेशानी में वृद्धि करना उचित नहीं होगा।

मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि वे बतायें कि वह राशि कितनी है, जिस के बारे में विर्धार्य व्यक्ति अदायगी का समझौता कर चुके हैं। किन्तु अभी तक अदायगी नहीं की। सरकार को इस के कारण बताने चाहियें।

युद्ध सम्बन्धी प्रयत्नों के लिये आय बढ़ाने का विचार रखते हुए इस विधेयक के प्रस्ताव को त्याग दिया जाना चाहिये।

†**श्रीमती यशोदा रेड्डी (कुर्नूल)**: भारत में विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था जहां सब वित्तीय संसाधनों से लाभ उठाया जाना होता है। हम कितना ही अपर्याप्त करारोपण कर सकते हैं किन्तु हम अनुभव करते हैं कि इस का भार जनसाधारण पर अधिक पड़ता है जबकि अमीर लोगों पर इतना नहीं पड़ता मैं इस विधेयक पर श्री दाजी से सहमत हूं और मंत्रालय को इस के लाने पर बधाई देती हूं। यह भी ठीक है कि जब उपहार देने वाले का पता न लगाया जा सके, तो लेने वाले पर कर लगाया जाये, किन्तु मैं यह सुझाव अवश्य दूंगी कि सब दान-ग्रहीतों से कर की समान दर न वसूल की जाये। जो दान-ग्रहीता अन्यथा धनी हों वे अधिक कर दे सकते हैं तथा उन को गरीब दान-ग्रहीताओं से अधिक कर देना चाहिये।

सरकार को करापवंचन के प्रति अधिक कड़ाई बरतनी चाहिये और किसी भी करापवंचक के प्रति चाहे वह किसी भी हैसियत का हो, नर्मी नहीं दिखानी चाहिये।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष में दिया जाने वाला उपहार कर-मुक्त होना चाहिये।

श्रीमती लक्ष्मी बाई (विकाराबाद) : अध्यक्ष महोदय, . . .

अध्यक्ष महोदय : ज़रा आगे आ जाइये, सुनाई नहीं पड़ेगा।

श्रीमती लक्ष्मी बाई : मैं जोर से बोलूंगी।

इस गिफ्ट टैक्स बिल को जिस लेडी मिनिस्टर ने यहां पर पेश किया है, मैं उन को बधाई देती हूं।

इस में बहुत सी दिक्कतें हैं। हमारे भाई जो अपोज़िट में बैठते हैं, उन्हों ने उन दिक्कतों का जिक्र किया है। जहां तक इस टैक्स को वसूल करने का सम्बन्ध है, पहले तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इस की वसूली में भी बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। आमदनी तो बहुत कम होती है लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। इस में कई लूपहोल्ज़ भी हैं, जिन के कारण जिस को यह टैक्स अदा करना होता है, वह बच कर निकल जाता है। आसानी से यह टैक्स वसूल नहीं किया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती लक्ष्मी बाई]

मैं आप को बतलाना चाहती हूं कि आप अपने बजट पेपर्ज को ही देखें। आप को पता चल जायेगा कि बहुत ज्यादा रुपया इस टैक्स की वसूली में लग जाता है। आप ने अपने बजट में ८० लाख का एस्टीमेट किया था। लेकिन रिवाइज्ड बजट में ८५ लाख वसूल हुआ। लेकिन ५ लाख वसूल करने में आप का १ लाख १९ हजार रुपया खर्च हो गया। यह उचित नहीं है। आप बिल की एमेंडमेंट तो लाये हैं और इस से सहूलियत भी होगी। लेकिन आप को अपने आफिसर्स के एटी-च्यूड में भी तबदीली लाने की आवयश्यकता है। उन में भी एमेंडमेंट लाने की आवश्यकता है। इस संकटकाल में जो कलैंगिक्ट डिपार्टमेंट हैं, उन के जो आफिसर्स हैं, को चाहिये कि वे अच्छी तरह से टैक्सों की वसूली करें। उन के लिये कोई बिल लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उन्हों ने अच्छी तरह से अपने कर्त्तव्य को निभाया तो टैक्स कलैक्ट करने में सहूलियत होगी और बहुत सा काम बन सकता है। इस में लूपहोल ज्यादा हैं। एक केस में कितना खर्चा होता है इस का अन्दाजा नहीं लगता क्योंकि इस का प्रोसीज्योर बहुत पेचीदा है।

इस में यह प्रावीजन है कि एक आदमी अपनी बीवी को एक लाख का गिफ्ट दे सकता है जिस पर टैक्स नहीं लगेगा लेकिन अगर किसी के एक से ज्यादा बीवियां हों तो क्या वह उन में से हर एक को एक एक लाख गिफ्ट दे सकता है जिस पर टैक्स नहीं लगेगा, यह बात इस में साफ नहीं की गयी है। यह ठीक है कि सरकारी कर्मचारी एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते, लेकिन मेरे गांव में ऐसे लोग हैं जिन के दो दो और तीन तीन बीवियां हैं, तो यह साफ होना चाहिये कि क्या ऐसा आदमी अपनी हर बीवी को एक लाख गिफ्ट दे सकता है और उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर वह हर एक को इतना रुपया दे सकेगा तो फिर एस्टेट ड्यूटी में बहुत कम रुपया वसूल होगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस में ऐसा प्राविजन होना चाहिये कि एक आदमी अपनी बीवी को एक लाख तक दे सकता है जिस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर उस के एक से ज्यादा बीवियां हों तो भी इतने से ज्यादा नहीं दे सकेगा और वे बीवियां उसी में से बांट लें।

एस्टेट ड्यूटी में इस साल ९ लाख १२ हजार वसूल होने का एस्टीमेट था लेकिन १२ लाख ४ हजार वसूल हुआ। इस पर खर्चे का एस्टीमेट ६ लाख ३२ हजार था जो कि बढ़ कर ८ लाख ७८ हजार हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि आपने एस्टीमेट से दो लाख ९२ हजार ज्यादा वसूल किया। लेकिन ऐसा करने में आपने २ लाख ४३ हजार रुपया खर्च किया। तो यह खर्चा बहुत ज्यादा है। इसको कम करना चाहिए।

इसमें आपने यह प्रावीजन रखा है कि अगर डोनर भाग जाये और न मिले तो डोनी से टैक्स वसूल किया जाए। अब आप गरीब और अमीर दोनों प्रकार के डोनीज़ से बराबर टैक्स वसूल करेंगे। मेरा सुझाव है कि जो अमीर डोनी है उससे उसकी और प्रापर्टी को ध्यान में रख कर टैक्स वसूल किया जाना चाहिए ताकि गरीब और अमीर पर बराबर टैक्स न पड़ जाए। इस बिल को इसके लिए अमेंड करना चाहिए।

आपने अपील के लिए चार साल की मुद्दत रखी है यह अच्छा है, लेकिन इसमें यह प्रावीजन है कि जब तक पूरे केस के डिटेल न दे दिए जाएं तब तक उसको दस रुपया रोज देना पड़ेगा। यह बहुत ज्यादा है। इसको कम किया जाए।

अगर कोई अफसर ज्यादा टैक्स ले लेता है उसका रिफंड मिलने की व्यवस्था है और उसके लिए आप खर्चा भी नहीं लेते, और उस पर ६ परसेंट सूद भी देते हैं। यह बहुत अच्छा है। इसके वास्ते मैं गवर्नमेंट को बधाई देती हूं।

एक छोटी सी बात यह है कि एक आदमी अपनी लड़की को दस हजार तक गिफ्ट दे सकता है जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा । लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि अगर किसी के कई लड़कियां हों तो क्या वह उनमें से हर एक को दस हजार गिफ्ट दे सकता है और उस पर कर नहीं लगेगा । यह बात समझ में नहीं आती । इसको साफ किया जाना चाहिए कि वह कितनी लड़कियों को दे सकता है ।

एक भाई कहते हैं कि गिफ्ट टैक्स हटा दिया जाए । यह ठीक नहीं है । इसको रखना चाहिए । आपने जो सहूलियतें दी हैं वे ठीक हैं । अगर कोई आदमी गवर्नमेंट को कालिज आदि के लिए देता है या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को गिफ्ट देता है तो उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, यह अच्छी बात है ।

इसमें बैचेलर के लिए कोई गिफ्ट देने का प्रावीजन नहीं है । मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार शादी वाले को अधिकार है उसी प्रकार बैचलर को भी कुछ गिफ्ट देने का अधिकार होना चाहिए ।

इतना कह कर मैं लेडी मिनिस्टर को धन्यवाद देती हूं कि वह इस प्रकार का बिल लायीं । यह बहुत अच्छा है । इसके प्रोसीज्योर को और छोटा करना चाहिए । और अफसरों को ज्यादा एफीशेंट होना चाहिए । अभी तो कुछ अफसर लोगों को बताते हैं कि वे किस प्रकार इस टैक्स से बच सकते हैं । ऐसा होगा तो फिर इस कानून को लाने से क्या फायदा होगा । ऐसा नहीं होना चाहिए ।

श्री सू० ला० वर्मा (सीतापुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो बिल आया है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

आज सरकार का कर्तव्य है कि देश के हर वर्ग को, हर प्राणी को खुशहाल बनावें, न कि ऐसा कानून बनाए और ऐसी धाराएं लगाए जिससे जनता में बेचैनी फैले और लोग बेईमानी के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाएं । इस बात को सामने रखते हुए मैं सरकार का ध्यान गिफ्ट टैक्स अमेंडमेंट बिल की धारा ६ पेज २१ की ओर दिलाना चाहता हूं । उसके अनुसार टैक्स डोनर और डोनी दोनों को देना होगा, दूसरे विधवाओं और नाबालिगों से भी शतप्रतिशत टैक्स वसूल किया जाएगा और तीसरे डोनर न मिलने पर सारा टैक्स डोनी से ही वसूल किया जाएगा । ये तीनों बातें अनुचित हैं ।

इस सम्बन्ध में मेरे सुझाव हैं कि टैक्स डोनर से ही वसूल किया जाना चाहिए, डोनी से नहीं और उसकी दर २५ परसेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, दूसरे विधवाओं और नाबालिगों से भी, जिनकी कोई आमदनी का जरिया न हो, टैक्स न लिया जाए, और तीसरे अगर डोनर न मिले तो डोनी से आधा टैक्स वसूल किया जाए, उससे ज्यादा नहीं ।

यह माना कि इस वक्त सरकार को पैसे की जरूरत है क्योंकि देश में काफी रक्षा कार्य हो रहा है । लेकिन इसके लिए जनता स्वयं ही उचित ढंग से ज्यादा से ज्यादा दे रही है । मुझे अपने देश वासियों पर विश्वास है कि अगर सरकार को और ज्यादा धन की इस काम के लिए आवश्यकता होगी तो वे देंगे और सरकार की मांग को पूरा करेंगे । मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि वह कोई ऐसा कदम न उठाएं कि जिससे जनता का विश्वास कम हो जाए ।

श्री मोहन स्वरूप (पीलीभीत) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत कर रहा हूं । यह बिल दो चीजों को रेगुलराइज करने के लिये रखा जा रहा है । एक तरफ तो इनकमटैक्स ऐक्ट, १९६१ के सन्दर्भ में गिफ्ट टैक्स में जो कमियां रह गई हैं उन को पूरा करने के लिये और दूसरे जो डाइरेक्ट टैक्सेज हैं उन में जो लूपहोल्स रह गये हैं उन को प्लग करने के लिये यही इस बिल की मंशा है ।

जैसा कि स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स में दिया गया है इस से यह होगा कि एक गिफ्ट टैक्स आफिसर का मुकदमा दूसरे गिफ्ट टैक्स आफिसर के पास ट्रांस्फर हो सकेगा और दूसरे इस बिल में जो खास चीज रक्खी गई है वह ४ परसेन्ट इन्टरेस्ट के बारे में है । अगर कोई असेसी अपना टैक्स देने में देर करता है तो उस को ४ परसेन्ट इंटरेस्ट देना होगा । उसी के साथ साथ रिफंड का भी प्राविजन इस में रक्खा गया है । अगर किसी तरह से कोई गलती हो गई है असेसमेंट में और उस का सुधार किया गया है किसी अपील की तहत, और उस के फलस्वरूप जो रिफंड देना है अगर उस में देरी हो जाय तो गवर्नमेंट को उसे ४ परसेन्ट इंटरेस्ट देना होगा । इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्राविजन्स हमारे सामने हैं वे बहुत अच्छे हैं, मुनासिब हैं, लेकिन इस बिल में जो परिवर्तन होना चाहिये था, गिफ्ट टैक्स में जो आधारभूत परिवर्तन लाने चाहियें थे व नहीं लाये गये हैं ।

इस बिल में एग्जेम्पशन्स बहुत दिये गये हैं । मसलन अगर किसी की तरफ से अपनी पत्नी को १ लाख रुपये का गिफ्ट दिया जाय तो उस पर छूट है । इसी परह से कम्पनियों को और दूसरी चीजों को छूट दी गई है । मैं चाहता हूं कि यह छूटें कम की जायें और इस तरह के परिवर्तन आइन्दा इस में लायें जायें जिस से कि एग्जेम्पशन्स कम हों । अगर यह एग्जेम्पशन्स कम नहीं होते हैं तो इस ऐक्ट की जो मंशा है वह खत्म हो जायेंगी । इस की मंशा यह है कि जिन के पास बड़ी बड़ी जायदादें हैं वह अपनी जायदादों को छोटे छोटे हिस्सों में तब्दील न कर दें और इनकम टैक्स से बच न सकें । इस में जो एग्जेम्पशन्स की लम्बी लिस्ट दी गई है उन को मैं पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर उस में परिवर्तन नहीं किया जाता है तो मैं समझता हूं कि इस ऐक्ट की मंशा बिल्कुल खत्म हो जायेगी । यही नहीं, इसी के साथ साथ इस में इंडिविजुअल और कम्पनियों में फर्क रक्खा गया है । वह फर्क खत्म होना चाहिये ।

दूसरी चीज जिस की तरफ मैं तवज्जह दिलाना चाहता हूं वह रिलिजस चैरिटीज के मुताल्लिक है । मैं इस के विरुद्ध नहीं हूं कि चैरिटीज दी जायें । मेरी यह मंशा नहीं है । लेकिन आज हमारा देश सेकुलर है । इस में मजहब की बातचीत होना, सिख, हिन्दू या मुसलमान की बात चीत होना और इस तरह की चैरिटीज को ज्यादा महत्व देना अच्छी बात नहीं है ।

इसी के साथ साथ मैं यह चाहता था कि इस में कुछ और चीजें भी आ जातीं चूंकि यह डाइरेक्ट टैक्सेशन है इसलिये सब से पहले मैं चाहता हूं कि इनकम की परिभाषा हो जाय, मुस्तकिल तौर पर । आखिर इनकम किस को कहते हैं । इसी के साथ साथ जो टैक्सेबल इनकम है उस की भी मुस्तकिल तौर पर परिभाषा होनी चाहिये । हमारे सामने जो डाइरेक्ट टैक्सेज हैं उन की मंशा यह है कि बजेटरी डिफिशिएन्सी जो हैं उन को पूरा किया जाय और सरकार के लिये ज्यादा से ज्यादा साधन पैदा किये जायें । लेकिन अगर कोई परमानेन्ट

स्ट्रक्चर टैक्स का नहीं बनता तो आगे के लिये दिक्कत होगी और हमें इस में और परेशानी होगी। इस सिलसिले में प्रोफेसर काल्डोर लिखते हैं :

"मेरी राय में इस समय भारत को मेरे सुझाये गये दरों से अधिक दर पर पूंजी तथा आय पर कर नहीं लगाने चाहियें।"

उस रेट का भी ख्याल होना चाहिये। प्रोफेसर काल्डोर ने कहा है कि रुपये में ७ आने से अधिक का रेट नहीं होना चाहिये किसी डाइरेक्ट टैक्सेशन में या किसी भी टैक्सेशन में। इस के साथ साथ प्रोफेसर काल्डोर ने एक इम्पार्टेंट बात कही है :

"भारत में उन व्यक्तियों की संख्या जिन पर आयकर लगता है १० लाख से कम है या आय प्राप्त वालों का १ प्रतिशत"

१ परसेन्ट ही मालदार लोग हैं। अगर उन पर किसी तरीके से कुछ ज्यादा भार पड़ जाता है तो उस से कोई बहुत ज्यादा असर उन पर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो छोटे दर्जे के लोग हैं या जो औसत दर्जे के लोग हैं उन पर अगर टैक्स का प्रभाव ज्यादा पड़ता है तो उस से उन की आमदनी पर बड़ा असर पड़ेगा। अभी हमारे सामने मुल्क में इमर्जेन्सी है। मुल्क बड़े खतरे से गुजर रहा है। हम देखते हैं कि बहुत मामूली मामूली लोग, जूते पर पालिश करने वाले और दूसरे छोटे छोटे कार्य करने वाले अपनी जेबों से पैसा निकाल कर दे रहे हैं और अपनी आवश्यकताओं को कम कर के डिफेन्स फंड में रुपये दे रहे हैं। उसी के साथ साथ जो औसत दर्जे के लोग हैं वे भी बड़ी मात्रा में रुपये दे रहे हैं, लेकिन जो मालदार लोग हैं, कैपिटलिस्ट हैं, जिन के पास अरबों खरबों रुपये भरे हुए हैं, उन की तरफ से जो सहायता होनी चाहिये थी वह नहीं हो रही है और जो रुपये आने चाहिये थे वे नहीं आ रहे हैं। इसलिय मैं समझता हूं कि जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर है उस में आधारभूत परिवर्तन होना चाहिये और महज छोट लोगों को या औसत दर्जे के लोगों को दिक करने से काम नहीं चलेगा जब तक जो बड़े लोग हैं उन पर आप का प्रभाव न हो और उन्होंने जो सम्पत्ति इकट्ठी कर रक्खी है, वह उन के पास से नहीं निकलेगी उस वक्त तक कोई लाभ इस ऐक्ट का नहीं होगा। इसलिये जहां तक डाइरेक्ट टैक्सेशन का सवाल है, उस पर अच्छी तरह से सोच विचार करके, हम को कदम उठाना चाहिये।

इसी के बाद हमारा एक्स्पेन्डिचर टैक्स है। पिछले बजट में हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने उसे खत्म कर दिया था क्योंकि उस से कोई ज्यादा लाभ नहीं हो रहा था, लेकिन जो नये टैक्स हैं, इनकम टैक्स और दूसरे टैक्स, उन को हमें अच्छी तरह से सोच समझ कर लागू करना होगा।

इसी के साथ हम देखते हैं कि टैक्स इवेजन बहुत हो रहा है। टक्स इवेजन के लिये मौजूदा बिल में कोई सुझाव नहीं रखा गया है। अभी श्री त्यागी जी ने टैक्स इवेजन के सिलसिले में एक बहुत मोटी किताब लिखी है। उन्होंने टैक्स इवेजन के काजेज बतलाये हैं और उस को दूर करने के लिये सुझाव दिये हैं। उन्होंने टैक्स इवेजन को दूर करने के लिये जो चीजें बतलाई हैं उन की तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाऊंगा। इस इवेजन को रोकने के लिये अधिक से अधिक प्रयत्न किये जाने चाहियें।

इसी के साथ साथ जो टैक्स कलेक्टिंग मशीनरी है उस को भी हम को स्ट्रीमलाइन करना चाहिये इवेजन को रोकने के लिये और टैक्स की वसूलयाबी के लिये। डाइरेक्ट टैक्सेशन को

[श्री मोहन स्वरूप]

ठीक तरह से चलाने के लिये निहायत आवश्यक है कि हम टक्स कलेक्टिंग मशीनरी को नये सिरे से आर्गेनाइज करें। यह जो टेक्सेज का मामला है वह बहुत काम्प्लिकेटेड है और उस के असेसमेंट में और वसूल करने में जो टैक्स पेअर हैं उन्हें बड़ी दिक्कत होती है, इसलिये जो टैक्स कलेक्टिंग स्टाफ है उस को अच्छी तरह से हमें आर्गेनाइज करना होगा।

मैं अर्ज कर रहा था कि वास्तव में यह जो प्राविजन्स हैं हमारे सामने मैं उन का स्वागत कर रहा हूं। उन पर मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि डाइरेक्ट टक्सेशन पर सरकार फिर से विचार करे और गिफ्ट टक्स ऐक्ट में जो कमियां हैं उन को दूर करने के लिये अगर कोई अमेंडमेंट लाने हों तो उन पर अच्छी तरह से विचार किया जाय ताकि हमारा मतलब हल हो सके और जो मंशा इस ऐक्ट की है वह खत्म न हो।

†**श्री हिम्मतसिंहका** (गोड्डा): उपहार कर (संशोधन) विधेयक एक आवश्यक विधेयक है ताकि इसे सदन द्वारा पारित आय-कर अधिनियम के अनुकूल बनाया जा सके।

श्रीमती यशोदा रेड्डी ने कहा है कि उपहार लेने वाले से कर की वसूली उसकी हैसियत के अनुसार होनी चाहिये। ऐसा उपबन्ध अधिनियम में नहीं किया जा सकता। मेरा सुझाव है कि यदि दाता का पता न लग सके, तो दान लेने वाले से उसको दिये गये उपहारों के मूल्य पर देय-कर के अनुसार राशि वसूल की जानी चाहिये।

मेरा एक और सुझाव यह है कि यदि कोई व्यक्ति उचित राशि देकर पुराने मामलों के निपटारे का प्रस्ताव करे, तो किसी प्रकार का समझौता अवश्य कर लिया जाना चाहिये।

मैं इस विधेयक के सिद्धान्त का समर्थन करना हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री मेरे सुझाव को स्वीकार कर लेंगे।

†**श्री कृ० चं० शर्मा** (सरधना): मैं इस संशोधक विधेयक के लिए माननीय उपमंत्री को बधाई देता हूं; यह आवश्यक है और इस का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

करापवंचन का न केवल देश की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ता है बल्कि उसकी सरकार की पायेदारी पर भी पड़ता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति राज्य को उस धन को जनता की प्रगति के लिए काम में लाने से वंचित करते हैं। खेद है कि भारत में वकील करापवंचन में सहायता करते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि करापवंचन को दण्डनीय बनाया जाना चाहिये। यह बुराई बहुत फैली हुई है और इस को रोकना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्रीमती शशांक मंजरी (पालामऊ): अध्यक्ष महोदय, उपहार ऐक्ट के बारे में जो गवर्नमेंट बदली करना चाहती है उस में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अभी तक ऐसा है कि जो उपहार देता है गवर्नमेंट टैक्स उस से लेती है। लेकिन पिछले चार वर्षों में ऐसा मालूम हुआ है कि उपहार देने वाले की हालत ऐसी नहीं रहती कि गवर्नमेंट उस से टैक्स वसूल कर सके। कभी कभी ऐसा होता है जैसा कि बिल में बतलाया गया है कि उपहार देने वाला कहीं चला जाता है या उस की मृत्यु हो जाती है तो गवर्नमेंट वह टैक्स वसूल नही कर सकती है। इसलिए यह फैसला किया गया है कि उपहार जिस को दिया गया हो उस से टैक्स वसूल किया जाय। गवर्नमेंट को तो

†मूल अंग्रेजी में

उपहार टैक्स के जरिए क़रीब ८० लाख रुपया सारे हिन्दुस्तान से वसूल होता है लेकिन उस के ऊपर खर्च भी ३ लाख करना पड़ता है। मैं यह समझती हूं कि यह उपहार टैक्स घरेलू और निजी मामला है। गवर्नमेंट को तो कुछ विशेष टैक्स मिलता नहीं है। अभी मुझे यह नहीं पता है कि ८० लाख में से असलमें कितना वसूल हुआ है और कितना पैसा चार साल में लेना बाक़ी है। इसके बारे में कल मेरी तरफ से फाइनेंस विभाग के कर्मचारियों से पूछताछ कीगई थी। लेकिन उन लोगों ने इस बारे में कुछ बताने से इन्कार कर दिया। इस के बारे में मेरा कहना यह है कि यह जो उपहार टैक्स है, यह तो घरेलू मामला है। इस लिए इस को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि हिन्दुस्तान में हम लोग जो धर्म-कार्य करते हैं, उन में दान दिया जाता है और इस टैक्स से उन में भी बाधा पड़ती है।

अध्यक्ष महोदय इन शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देती हूं।

†**श्री शंकरय्या** (मैसूर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। किन्तु मैं चाहता हूं कि सरकार एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करती जिसमें शक्तियां लेकर त्रुटियों को दूर किया जा सकता और करापवंचन को बन्द किया जा सकता।

उपहार कर से होने वाली आय पर्याप्त नहीं हुई और यह अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये अनुमान के अनुसार नहीं हुई। इसलिए एक व्यापक विधेयक का प्रस्तुत किया जाना इस आपातकाल में विशेष रूप से आवश्यक है। मैं नहीं जानता कि सरकार इस विषय में क्या सोच रही है। किन्तु यह प्रबन्ध करना आवश्यक है कि धन अमीर लोगों के हाथों में केन्द्रित न होने पाये और समाज का समाजवादी ढांचा जल्दी से जल्दी स्थापित किया जा सके। अंत में मैं निवेदन करूंगा कि उपहार-कर और आयकर का कार्यकरण उचित रूप से नहीं हुआ। इन में इस प्रकार संशोधन करने की आवश्यकता है कि धन अमीर लोगों के हाथों में केन्द्रित न हो।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : (केंद्रपाड़ा) : मेरे विचार में इस समय यह सुझाव देना कि इस विधेयक को वापस ले लेना चाहिये उचित नहीं है। मैं तो समझता हूं कि यह एक सुनहरी मौका है। आपातकाल में हमें बहुत अच्छा अवसर मिला है कि हम ऐसे उपाय करें जिससे हम अपनी सारी अर्थ-व्यवस्था को इस ढंग से रूप दें कि देश में एक वास्तविक समाजवादी ढंग की अर्थव्यवस्था की स्थापना हो सके। इस समय ऐसा करने में हम बहुत संकोच से काम ले रहे हैं।

यह आवश्यक है कि हम करारोपण के अन्य साधनों की ओर भी ध्यान दें और हमें इस नीति का सख्ती से अनुसरण करना चाहिये कि उन लोगों पर कर लगाया जाये जो कि कर दे सकते हैं और उन पर नहीं जो नहीं दे सकते। मेरे विचार में विधेयक पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये और मैं इस का स्वागत करता हूं।

श्री गौरीशंकर कक्कड़ (फतहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक का जो संशोधन आया है, इसको पढ़ने से केवल यह पता चलता है कि चूंकि सन् १९६१ में इनकम टैक्स में बढ़ौतरी हुई है और उसका सीधा सादा सम्बन्ध इस से है, इस कारण यह भी आवश्यक हुआ कि इस में भी इस तरह से संशोधन किया जाये। इसको पढ़ने से यह बिल्कुल पता नहीं चलता है कि किसी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गौरी शंकर कक्कड़]

तरह का प्रयास इस ओर किया गया हो कि इस संकटकालीन समय में अधिक से अधिक रुपया कहां से मिल सकता है, और जिन से टक्सों का रुपया वसूल किया जाना है, उन पर नियंत्रण रखा जाये ।

इस संकटकाल के पूर्व अकसर देखा गया है कि इस प्रकार के सभी टक्सों में बहुत बड़ा प्रोत्साहन ऐसे लोगों को मिलमा रहा है जिन्होंने टैक्सों का बकाया अदा नहीं किया या जिन्होंने टैक्स अदा न करने के बहुत से रास्ते ढूंढ लिये थे । यह कहने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है कि इस तरह के अधिकतर व्यक्तियों का सीधा सम्बन्ध रूलिंग पार्टी से होने के कारण उनको इस प्रकार का प्रोत्साहन मिलता रहा है । परन्तु अब इस संकट काल में मेरा यह विचार है कि कोई भी ऐसा विधेयक जिस का सम्बन्ध आर्थिक व्यवस्था से हो, जब कभी भी सदन में रखा जाये तो विशेष तौर से इस ओर ध्यान दिया जाये कि ऐसा तबका जिसके पास धन संग्रह हो गया है और जो रोज़वरोज़ धनी होता जा रहा है, उसको किसी प्रकार का प्रोत्साहन न दिया जाये । उनकी तरफ से कोई भी इस प्रकार की कोशिश नहीं हो रही है कि वे इस संकटकाल में विशेष तौर से सरकार को सहायता दे । सारे देश में धन इकट्ठा हो रहा है, तमाम देश में एक प्रकार की जाग्रति उत्पन्न हो गई है । परन्तु मैं आपके द्वारा अपने शासकों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो साधारण प्रजा है, उस में तो विशेष तौर से आकर्षण पैदा हुआ है, वह सभी कुछ दे रही हैं, धन दे रही है, खून दे रही है और हर प्रकार से सहायता प्रदान कर रही है परन्तु मुट्ठी भर जो कैपिटलिस्ट हैं, उन की तरफ से जितने सहयोग की आशा की जाती थी, वह सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है ।

मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि यह बात तो देखी जा चुकी है कि वालैंटरी तौर पर, अपनी इच्छा से, अपने ही मत से, वे इस बात के लिए तैयार नहीं हैं कि अपने धन को इस संकटकाल में लगायें । जब यह बात साफ हो गई है तब तो हमारे कदम बहुत सीध्र उठने चाहियें । इस संकट-कालीन समय में जो कानून भी आर्थिक व्यवस्था के सम्बन्ध में बनाया जाये, उस में विशेष तौर से इस बात पर विचार कर लिया जाये कि अगर कोई किसी प्रकार से भी टैक्स अदा न करने की बात को सोचता है, या इसके लिए कोई बहाना निकालता है या उसके ऊपर टैक्स का बाकाया रह जाता है, तो वह भी उसी प्रकार से दण्डनीय है, जिस प्रकार से जाब्ता फौजदारी की धारा ३०२ के मातहत अपराध करने वाला दण्डनीय है या जिस को डकैती के जुर्म में दण्ड दिया जाता है, दण्डनीय है । मैं समझता हूं कि इस समय इस प्रकार के जो अपराध करते हैं जो इस प्रकार से धन बचाते हैं, इस प्रकार से टैक्स न देने की बात सोचते हैं, उनको बहुत ही गम्भीर जुर्म माना जाना चाहिये । वे बहुत ही गम्भीर जुर्म कर रहे हैं । केवल अन्तर यह है कि डकैत रात को छिप कर किसी के मकान पर जा कर डाका डालता है परन्तु ये लोग दिन दुपहरे राष्ट्र के खिलाफ डाका डाल रहे हैं और उन पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है । हम गम्भीर समय से हो कर गुजर रहे हैं । इस समय हमारी सरकार को देश-रक्षा के लिये धन की आवश्यकता है । इस दृष्टिकीण को सामने रखते हुये पुराने कानूनों में, पुराने नियमों में और विशेष तौर पर पुरानी पालिसी जिन लोगों के हक़ में थी, उस में एक प्रकार की तबदीली आनी चाहिये ।

अभी हम को वार-बजट बनाना है । हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इस बात को जाहिर कर दिया है कि अपना वार-बजट हम दो तीन महीने के बाद जब बनायेंगे तो उस में टैक्सेशन की आवश्यकता होगी । यह राष्ट्र इस समय टैक्सों को अदा करने के लिये तैयार है, जान तक देने के लिये

तयार है। परन्तु राष्ट्र इस बात के लिये तैयार नहीं है कि सरमायेदार लोग टैक्सों से बचते चले जायें बकायादार बनते चले जायें और फिर भी उनको प्रोत्साहन मिलता जाये, ऐसे लोगों को फिर भी राजनीति में आ कर के बड़ी से बड़ी जगहों पर पहुंजाया जाये। इस चीज़ को हम सहन करने के लिये तैयार नहीं हैं।

ऐसे तो यह संशोधन बहुत सीधा सादा सा है। परन्तु जो बातें मैंने अभी निवेदन की हैं उन पर ध्यान देना चाहिये। विशेष तौर से इस संकटकालीन समय में आर्थिक व्यवस्था से सम्बन्ध रखने वाले विधेयक का जब संशोधन किया जाये तो इन सब चीजों पर अच्छी तरह से विचार कर लिया जाये। इस में जो प्रोसीजरल सुविधायें दी गई हैं, वे तो उचित ही हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। इस में जो यह प्रोवाईजड किया गया है कि डोनी से भी लिया जाये, यह भी उचित है। वास्तव में फायदा तो ऐसे अवसरों पर डोनी को ही होता है। इस लिये जो लाभ वह उठाता है, उसका टैक्स उससे वसूल करना ही उचित है।

अन्त में मैं फिर इस बात पर जोर दूंगा और यह कहूंगा कि दो तीन चीजों पर विशेष तौर पर सख्ती से कदम उठाये जाने की ज़रूरत है। अगर आप टैक्स लगाते हैं और उससे बचने की तदबीर लोग निकालते हैं तो उनको कड़ा दण्ड दिया जाये। दूसरी बात यह है कि जो बकायादार हैं, जो जान-बूझ कर करोड़ों रुपया टैक्स का अदा नहीं करते हैं, उनके बारे में भी विशेष तौर से यह प्रोवाइड किया जाये, उनके लिये भी ऐसा कानून बनाया जाये जिससे उनको सख्त दण्ड मिल सके। कोई भी अवसर इस प्रकार का न आये कि जिस में जो सरमाएदार तबका है शोषण करके जिसने अपार धन संग्रह कर लिया है, वह इस संकट काल को एक सुनहरा अवसर समझ कर अपने सरमाये को और ज्यादा बढ़ाने में लग सकें। एसे लोगों के साथ काफी जोर के साथ और काफी सख्ती के साथ डील किया जाना चाहिये, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाये जाने चाहिये।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : इस विधेयक का केवल उन लोगों पर प्रभाव पड़ेगा जिनके पास काफी फालतू धन है। किसी को इसके उपबन्धों पर अपत्ति नहीं करनी चाहिये।

वर्तमान आपात के विचार से मूल अधिनियम के अन्तर्गत दी गई छटों पर पुर्नविचार करने की आवश्यकता है।

१.४९ करीड़ रुपये की ठोस राशि अभी तक बकाया के रूप में पड़ी है। इस राशि को एकत्र करने के लिये पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिये। कर-संग्रह सम्बन्धी सरकारी व्यवस्था यह खोज लगाने में असमर्थ रही है कि कर अपवंचक क्या क्या तरीके निकालते हैं।

वर्तमान उपायों से ही काम नहीं चलेगा। व्ययकर को भी पुनः लागू किया जाना चाहिये।

†**श्री मोहसिन** (धारवाड़ दक्षिण) : इस विधेयक का स्वागत है क्योंकि यह मूल अधिनियम की त्रुटियों को दूर करेगा तथा करारोपण व्यवस्था को आवश्यक शक्तियां देगा जिससे वह करदाताओं से बकाया को सक्रिय रूप से वसूल कर सके।

दुर्भाग्य से १.४९ करोड़ रुपये की राशि अभी तक बकाया पड़ी है। समय है कि सरकार कर के बकाया की वसूली की व्यवस्था को सुदृढ़ करे।

सरकार को भ्रष्ट आय-कर अधिकारियों पर कड़ी नजर रखनी चाहिये, जो धन का अन्धा-धुन्ध संग्रह कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोहासिन]

यदि बकाया वसूल करने के लिये और करापवंचन को रोकने के लिये कड़े उपाय किये जायेंक तो नये करारोपण प्रस्ताओं की आवश्यकता ही नहीं रहेगी ।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं ।

श्री बड़े (खारगोन) : उपाध्यक्ष महोदय, गिफ्ट टैक्स (अमेंडमेंट) बिल को जब मैंने देखा तो एसा मालूम पड़ा कि शासन ऐसा नहीं समझता कि देश में आज कोई इमरजैंसी है क्यों कि अगर शासन इमरजैंसी को महसूस करता तो यह गिफ्ट टैक्स का बिल जब ओरीजनली आया था तो उसके मुताबिक गिफ्ट टैक्स को एग्ज़म्पसन नहीं देना चाहिये । उस के बारे में काफी चर्चा हुई थी और उस सम्बन्ध में डिस्सेंटिंग नोट भी दिया था ।

गिफ्ट टैक्स कितना आयेगा इस के बारे में भार्गव की किताब में ६८ पेज पर लिखा है कि प्रोफेसर कालदार ने भी यही अनुमान लगाया है कि उपहार कर से ३० करोड़ रुपया प्रतिमास प्राप्त हो जायेगा परन्तु जो विधेयक हमारे समक्ष है इससे तो ३ करोड़ रुपया भी प्राप्त होता दिखाई नहीं देता । अतः इस लिधेयक से तो आवश्यकतायें भी पूरी नहीं होगी ।

पहले जब यह बिल आया था तभी इसके बारे में चर्चा हुई थी कि ३० करोड़ रुपया आने वाला है । ३ करोड़ के आने की सम्भावना थी लेकिन सेलेक्ट कमेटी में जब जाने के बाद अब ८० लाख रुपया ही इसके तहत आता मालूम पड़ता है । आज जब कि देश एक संकट काल से गुजर रहा है और इस देश को अपनी सुरक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिये अधिक से अधिक रुपये की जरूरत है तब गिफ्ट टैक्स बिल इस तरह का आना चाहिये था जिसमें कि सेलेक्ट कमेटी में जितने एक्सेपशेंस दिये हैं वे एक्सपेंशेंस निकलने चाहिये थे । वह एक्सपेंशस क्या क्या हैं मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूं । पहला एक्सपेंशन सरकारी समवायों द्वारा दिये गये उपहारों के सम्बन्ध में है । आजकल जब कि इनकमटैक्स लगने का ज्यादा जोर चलता है और इनकमटैक्स आफिसर ज्यादा पैसा मांगते हैं तब ६, ७ या ८ जनों की कम्पनी तयार करके, क्यों कि ६ की करनी होती है वह गिफ्ट दिया जाता है । फिर एक्सपेंशस फ्राम दी चार्ज के (४) में गिफ्टस इन कन्टेम्प्लेशन आफ डथ आता है । मेरी वृद्धावस्था हो गई है मृत्यु आने वाली है इस लिये उस के द्वारा गिफ्ट को नौन टक्सेबुल कर दिया है । नम्बर (१४) में विजनस, प्रोफेश्शन या वोकेशन के लिये गिफ्ट नौन टैक्सेबुल होगा । इसी तरह (१६) में निजी थैली से दिया गया उपहार कर के लिये एक्ससेप्शन है । इन के अलावा और भी बहुत से एक्ससेप्शनस हैं लेकिन मुख्यतः यह हैं जिनके बारे में सेलेक्ट कमेटी में भी कहा था कि यह एक्सेप्शन नहीं होने चाहिये लेकिन चूंकि मेजारिटी व्यू यह था कि यह एक्सेप्शन होने चाहिये इस लिये यह रक्खे गये । सेलेक्ट कमेटी में डिस्सेंटिंग नोट श्री खाडिलकर और श्री बी० सी० घोष ने दिया था कि यह एक्सेप्शनस नहीं होने चाहिये लेकिन चूंकि मेजारिटी व्यू सेलेक्ट कमेटी का इनके रखने के फेवर में था इसलिये यह तमाम रक्खे गये । इसी का यह परिणाम है कि ३० करोड़ रुपया जो आना चाहिये था, केवल ३ करोड़ के आने की सम्भावना रहती है लेकिन वह ३ करोड़ भी नहीं आता है । वक्त का तकाजा तो यह था कि ऐसा एक कम्प्रीहैंसिव गिफ्ट टैक्स (अमेंडमेंट) बिल लाया जाता जिसमें यह तमाम एक्सेप्शंस दूर कर दिये जाते ताकि सरकार को आज जो काफी पैसे की जरूरत है वह पूरी हो जाती ।

उन दोनों माननीय सदस्यों ने अपने डिस्सैंटिंग नोट में लिखा है :—

> "कुछ भी हो कि पति पत्नी के लिये सीमा घटा कर २५,००० रुपये कर दी जानी चाहिए । व्यक्तियों और समवायों का भेदभाव नहीं होना चाहिए ।"

इंडिविजुअल ने गिफ्ट दिया वह टैक्सेबुल है लेकिन ६ या ८ आदमियों ने एक कम्पनी तैयार कर ली और गिफ्ट दे दिया तो वह नौन टैक्सेबल हो जाता है, उचित यह होता अगर इस तरह की कल्पना और यह एक्ससैपशंस बिल में से निकाल दिये जाते और यदि यह टैक्सेबल किये जाते और इस तरह का एक कम्प्रीहैंसिब अमेंडमेंट बिल लाया जाता तो इस इमरजेंसी के जमाने में जबकि सरकार को बहुत पैसे की जरूरत है काफ़ी पैसा मिल सकता था। लेकिन मौजूदा अमेंडिंग बिल को देख कर तो ऐसा लगता है मानों सरकार यह महसूस ही नहीं करती है कि देश में संकट काल है। मौजूदा कानून में जो मुश्किल है उसी डिफकल्टी को प्रोसीज्योर में से इस अमेंडिंग बिल द्वारा निकाला जा रहा है और हाउस का टाइम लिया है। शासन यह अमेंडिंग बिल यह समझ कर नहीं लाया है कि अभी इमरजेंसी है, शासन मुश्किलात में फंसा है, अपने ऊपर चीन का आक्रमण हुआ है और देश की सुरक्षा के लिये पैसे की जरूरत है। कम से कम बिल के जो औबजैक्ट्स और रीजन्स दिये गये हैं उनको देखने से तो ऐसा मालूम नहीं देता है।

डा० मा० श्री० अणु (नागपुर) : क्या माननीय सदस्य यह बतलायेंगे कि यह डिस्सैंटिंग नोट लिखने वाले कितने आदमी हैं ?

श्री बड़े : यह जो नोट मैंने पढ़ा इसको लिखने वाले दो ही व्यक्ति थे लेकिन १०, १२ लोगों ने अलग अलग अपने डिस्सैंटिंग नोट लिखे हैं। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं उनको वह किताब देखने को देदूंगा।

एक माननीय सदस्या ने अभी कहा कि एक बीवी हो तो १ लाख रुपया हो, २ बीवी हों तो २ लाख रुपया हो और ४ बीवियां हों तो ४ लाख रुपया हो, वह इसके बारे में सफाई चाहती थीं तो मैं बतलाना चाहता हूं कि स्पाउस के माने एक वाइफ़ या वाइफ्स हैं और किसी हालत में भी एक लाख से ज्यादा नहीं होगा।

मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए अन्त में सरकार से चाहूंगा कि यह जो एक्सैप-शन्स दिये गये हैं उनको निकाला जाय ताकि सरकार को पैसा मिल सके। जरूरत इस बात की है कि इनकम टैक्स और वैल्थ टैक्स में जो लूप होल्स हैं उनको बन्द किया जाय ताकि सरकार को इस संकट काल में जो पैसे की जरूरत है वह उसकी पूरी हो सके।

†**श्री श्याम लाल सराफ** : मैं विधयक का समर्थन करता हूं, परन्तु मेरा निवेदन है कि एसा करके इसे आयकर अधिनियम, १९६१ के स्तर पर ले आया गया है। इससे आयकर विभाग के कर्मचारियों को कितनी सुविधा हो जायेगी, इसे मैं खूब समझता हूं। बहुत से उपबन्धों को स्पष्ट कर दिया गया है।

मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक कर की बकाया राशि का सम्बन्ध है, यह बहुत हद तक आयकर अधिकारियों के मुअक्कलों के प्रति व्यवहार पर निर्भर करती है। सारी व्यवस्था को स्वच्छ किया जाना चाहिए और इस प्रकर का वातावरण निर्माण किया जाना चाहिए कि करा-दाताओं से उचित व्यवहार किया जाय। यदि एसा किया जायेगा तो मेरा विश्वास है कि करापवंचन को बहुत सीमा तक टाला जा सकता है। कई बार अधिकारियों के व्यवहार के कारण ही लोग करापवंचन करने लगते है। इन शब्दों से मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट ने जो बिल इस सदन के सामने रखा है, उसमें दो तीन ख़ामियां हैं, जिन की ओर में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री यशपाल सिंह]

इस बिल की क्लाज़ ७ के द्वारा जो नया सैक्शन ११ रखा जा रहा है, उसमें कहा गया है कि आयुक्त किसी आयकर निरीक्षक को उपहार कर निरीक्षक का कार्य करने का अधिकार दे सकता है। मैं निवदन करना चाहता हूं कि अगर एक आफिसर दो काम करेगा, तो इनएफ़िशन्सी और करप्शन बढ़ेगी। उदाहरण के लिए अगर मुझे लोकसभा का भी मेम्बर बना दिया जाये और राज्य सभा का भी मेम्बर बना दिया जाये, तो मैं दोनों जगह काम नहीं कर सकूंगा । वन थिंग एट ए टाइम। प्रशासन में इनएफ़िशन्सी और करप्शन को रोकने के लिए यह सबसे ज्यादा ज़रूरी है कि इनकम टैक्स के आफ़िसर को गिफ्ट टैक्स का काम न सौंपा जाये।

डावरी को आज तक गिफ्ट में शामिल नहीं किया गया है। दयानन्द से लेकर गांधी तक और गांधी से लेकर गोखले तक सब लोगों ने डावरी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। डावरी अर्थात् दहेज़ प्रथा हमारी सोसायटी के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। अगर डावरी को भी गिफ्ट में शामिल कर दिया जाता, तो इस बिल के द्वारा हिन्दू जाति और मुल्क के इस कलंक को हटाया जा सकता था। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि दहेज़ को भी गिफ्ट में शामिल कर दिया जाये और सौ रुपए से ज्यादा दहेज़ देने वाले और लेने वाले, इन दोनों, पर टैक्स लगाया जाना चाहिए।

इवैशन आफ टैक्स जो होता है, उसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाये गये हैं। मैं एक किसान हूं। गवर्नमेंट ड्यूज रह जाय, मुझे हर छः महीने बाद जेल में डाल दिया जाता है। अगर एक पैसा भी मेरी तरफ टैक्स का बाकी रह जाता है तो मेरे बैलों की कुरकी की जाती है, मेरी गाड़ी की कुरकी की जाती है, मेरी भैंसों को पकड़ा जाता है, मेरी गायों को पकड़ा जाता है और मुझ को जेल में डाल दिया जाता है। मेरे साथ कुरकी और नीलामी का खेल खेला जाता है। लेकिन मिल मालिक जो डेढ़ सौ करोड़ रुपया दबाये बैठे हैं, उनके खिलाफ कोई एकशन नहीं लिया जाता है। मेरा कहना है कि उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाना चाहिये। जो मिल मालिक आज टैक्स इवेड करता है, जो टैक्सों से बचता है, वह देश के साथ धोखा करता है और उसको नेशनल डिफेंस रूल्ज़ के मात-हत सज़ा मिलनी चाहिये, उसको जेल में डाल दिया जाना चाहिये।

इसके अलावा जो गरीब लोग हैं, उनको थोड़ी राहत दी जानी चाहिये। गरीब लोगों को इस तरह से गिरफ्तार करके जेल में नहीं भेज दिया जाना चाहिये।

नेशनल डिफेंस का आज सबसे बड़ा मसला हमारे सामने है। इसके लिए हमें विशाल धनराशि की जरूरत है। मैं समझता हूं कि अगर सिर्फ गन्ना मिलों को नैशनलाइज़ कर दिया जाए तो देश के डिफेंस का मसला हल हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अलग सवाल है।

श्री यशपाल सिंह : मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां तक गिफ्ट टैक्स का ताल्लुक है, यही नहीं बल्कि जो भी टैक्स मिल मालिकों की तरफ बचे हुए हैं, उनको वसूल करने के लिए सख्ती बरती जानी चाहिये, सख्त कदम उठाये जाने चाहिये। उन सख्त कदमों की इस बिल में व्यवस्था की जानी जाहिये। यह भी घोषणा की जानी जाहिये कि जो टैक्सों को इवेड करेगा, उसके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा।

गिफ्ट टैक्स और इनकम टैक्स के डिपार्टमेंटों को अगर अलग अलग नहीं रखा गया तो इससे कुरप्शन बढ़ेगी। इनको अलग अलग रखा जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल की स्पिरिट का अनुमोदन करता हूं, समर्थन करता हूं लेकिन जो टैक्सों से बचने वालों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाये गये हैं, वे भी उठाये जाने चाहिये, इतना मेरा निवेदन है।

†**डा० मा० श्री अणें** : मेरे मन में उद्देश्यों और कारणों के विवरण में विधेयक का उद्देश्य स्पष्ट कर दिया गया है। माननीय सदस्यों ने उसको पढ़ा नहीं और चर्चा उन मामलों पर होती रही है जो विधेयक के अन्तर्गत नहीं आते। मूल अधिनियम में जो छूट दी गयी है सभा ने उससे सहमति प्रकट कर दी थी। वह भी सभा के ही फैसले हैं तथा उन पर आपत्ति नहीं की जानी चाहिए।

आपातकालीन स्थिति को देखते हुए यदि कुछ व्यक्तियों की यह राय हो कि सरकार अधिक राजस्व को एकत्र करे तो मेरा यह निवेदन है कि उन्हें मामले पर सरकार से मिल कर विचार करना चाहिए तथा उस प्रयोजन के लिए कोई और विधान लाया जाय। मैं इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं अन्तिम वक्ता से सहमत हूं कि माननीय सदस्य कुछ ऐसी बातें करते रहे हैं जो कि इस विधेयक के अन्तर्गत आती ही नहीं। उपहार कर अधिनियम के अन्तर्गत जो भी बकाया है, उसके बारे में मैं सदन को सारी सूचना दूंगी। उपहार कर के लागू होने की तिथि से ३१ मार्च, १९६२ तक लगभग ३.६७ करोड़ रुपये की राशि वसूल हुई है। इस समय जो १५ लाख रुपने की छोटी सी राशि है। इसका सारा कुल संग्रह, सारे संग्रह का ४ प्रतिशत फैलता है। यह कोई इतनी अधिक राशि नहीं है, जिससे यह कहा जा सके विभाग में कोई कार्यक्षमता नहीं और कर्मचारी ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे। ६।। लाख रुपया विभाग को नहीं दिया गया इसके बारे में मामला उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रारम्भिक रूप में उपहार कर की निर्धारित राशि २ करोड़ रुपये की है। उपहार के बारे में कोई निश्चित रूप में तो कुछ कह नहीं सकता। वास्तव में उपहार होता ही एक अनिश्चित सा तथ्य है। कम संग्रह का कारण अनुमति ढंग से कम उपहारों का होना है। इसी सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि श्री दाजी ने जो ८० लाख का उल्लेख किया है, वह .८० लाख न होकर लगभग .९८ लाख है। बकाया के बारे में मेरा निवेदन है कि कि यह १.४९ लाख की राशि है इसमें से कुछ बकाया राशियां इस विचार से सक्रिय समझी जा सकती हैं कि हम कभी न कभी उनकी वसूली की आशा रखते थे। परन्तु वह सक्रिय सिद्ध नहीं हुई लम्बमान अपीलें भी २८.३८ लाख रुपये की है। ये मामले अदालत में हैं अब उनकी वसूली कैसे की जा सकती है इस प्रकार परिसमापन अधीन कम्पनियों की बकाया राशियां हैं तथा आयकर जांच चहाते हैं जो अभी तक लम्बमान है। इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद सरकार संग्रह अथवा वसूली के बारे में पूर्णरूप से जागरूक है। इस दिशा में प्रशासन व्यवस्था को भी सुधारने का प्रयत्न किया जा रहा है। परिसमापन समवायों की बकाया राशि ६,२३,००,०००/- रुपये है। आय कर से मुक्ति की राशि लगभग ६२४,००,०००/- रुपये हैं। वे भी अभी वसूल नहीं हुए अतः इस १४९ करोड़ रुपये की वसूली सरल नहीं है। यह भी सदन को बताना चाहती हूं कि संग्रह करने वाली मशीनरी को तेज किया जा रहा है और माननीय वित्त मन्त्री भी इस बारे में विशेष ध्यान दे रहे हैं। जहां तक राष्ट्रीय रक्षा कोष का सम्बन्ध है इसके बारे में अगला विधेयक प्रस्तुत होगा। किसी भी साथी के लिये एक लाख से अधिक का लाभ नहीं है। इसके अन्तर्गत पति अथवा पत्नी दोनों आ जाते हैं।

यह बात भी गलत है कि व्यय का अनुपात अधिक है। व्यय का संग्रह से अनुपात कम है। कुल मिला कर यह दो प्रतिशत भी नहीं है। आज का सारा बोझ वर्तमान कर्मचारियों पर है। इस बारे में मेरा निवेदन हैं कि इसका तथा उपहार कर एक दूसरे से सम्बन्ध है तथा खण्डनात्मक नहीं है। अतएव यह संगत बात नहीं है कि आयकर का काम करने वाले अधिकारियों को उपहार कर का काम सौंपा

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

जाय । इसी विधेयक के अन्तर्गत दानग्रहीता का दायित्व ऐसे मामलों तक ही सिमित है जिनमें दानी का कर के भुगतान के प्रयोजन से पता नहीं लगता । इसके अतिरिक्त यह उस अनुपात से होगा जिसमें उसे उपहार प्राप्त हुआ है । इस बात का हम पूरा ध्यान रखेंगे कि दोनी को कोई कठिनाई न हो और कर उपहार के अनुपात से ही हो ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि उपहार कर अधिनियम १९५८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब खंडों पर विचार होगा । कोई संशोधन नहीं है । अत: मैं सभी खंड मत-दान के लिये सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं ।

प्रश्न यह है कि :

" कि खंड २ से ३६ तक विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ से ३६ तक विधेयक में जोड़ दिये गए ।

खंड १, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिंहा** : श्रीमान् जी, मैं प्रस्ताव करती हूं : "कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है "कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

करारोपण विधियाँ (संशोधन) विधेयक

†**वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : श्री मोरार जी देसाई की ओर से मैं प्रस्तुत करती हूं ।

"कि आय कर अधिनियम १९६१, और धन कर अधिनियम १९५७ में अगेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सरकार ने हाल में राष्प्रीय प्रतिरशा निधि की स्थापना की है तथा स्वर्ण बांड, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा बांड तथा कई अन्य छाटी बचतों के सर्टिफिकेट जारी किये हैं ताकि वर्तमान आपात में लोगों के वित्तीय संसाधनों का संचय किया जाये । रष्ट्रीय आपात निधि के लिये दोनों को प्रोत्साहन तथा तत्सम्बन्धी सुविधायें देने के लिये सरकार ने कुछ करों सम्बन्धी राहतों के देने तथा रष्ट्रीय प्रतिरक्षा निधि में चन्दा देने वाले अथवा स्वर्ण बांड और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा बांडों के खरीदने वालों को कुछ रियायतों के देने की घोषणा की थी । विचाराधीन विधेयक का प्रयोजन आय कर अधिनियम, १९६१ के संगत

---

†मूल अंग्रेजी में

उपबन्धों तथा धन-कर १९५७ में संशोधन करना है ताकि आवश्यक कर-सहायता और राहतों की व्यवस्था की जा सके ।

धन-कर की धारा ५ में स्वर्ण बांड को एक छूट प्राप्त मद के रूप में शामिल करने का विचार किया गया है । इसके अलावा स्वर्ण बांड को "पूंजीगत-आस्तियों" की श्रेणी से, जिसकी व्याख्या धारा २ (१४) में की गई है, निकाल देने का विचार है । उस संशोधन से यह निश्चिय व्यवस्था हो सकेगी कि स्वर्ण बांड से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ या हानि को आय-कर अधिनियम के प्रयोजनों के लिये छोड़ दिया जायेगा ।

आय-कर अधिनियम की धारा ८८ में संशोधन का विचार है ताकि यह निश्चित व्यवस्था हो सके कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा निधि में दी गई राशियों पर "रिबेट" (रियायत) दी जायेगी ।

आय-कर अधिनियम की धारा १९३ में संशोधन का विचार किया गया है ताकि भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रीय प्रतिरक्षा बांडों पर बिना आधार कटौती के ब्याज मिल सके तथा ऐसे स्वर्ण बांड वाले व्यक्तियों को भी छूट मिल सके जो यह घोषणा करें कि उनके पास जो स्सर्ण बांड हैं उनका खाता मूल १०,००० रु० से अधिक नहीं है । संगत संशोधन विधेयक के खंड ४ में है ।

इस छोटे से विधेयक में जो उपबन्ध है उस पर मैंने प्रकाश डाल दिया है और मुझे आशा है कि एक मत से सदन उसे स्वीकार करेगा । मैं प्रस्ताव करती हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री प्रभातकार (हुगली) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । मेरा मत तो यह है इस समय काफी तस्कर स्वर्ण भारत में आ रहा था और सरकार इस क्षण स्वर्ण बांड जारी करने के लिये धन्यवाद की पात्र है क्योंकि वह उन व्यक्तियों के लिए रुचिकर होंगे जो अपनी चोर बाजारी के धन को सोने की सलाखों के रूप में छिपाये हुए है । इन लोगों को अपने धन का खुले रूप में विनियोजन करने का अवसर प्राप्त हो जायगा और राष्ट्र द्वारा उसे प्रयोग किया जायगा । फिर भी मेरा विचार है की दर कुछ अधिक ही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकेंगे ।

भारतीय और राज्य प्रशासन सेवावों सम्बन्धी प्रतिवेदन के वारे में प्रस्ताव

†**श्री हरिश्चंद्र माथुर** (जालोर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा भारतीय तथा राज्य प्रशासन सवाओं तथा जिला प्रशासन की समस्या के बारे में श्री वी० टी० कृष्णमाचारी के प्रतिवेदन पर, जो सितम्बर, १९६२ को सभा पटल पर रखा गया था , विचार करती है ।"

मैं जानता हूं कि इस आपतकाल में हमारी प्रशासन सवाओं का कितना महत्व है परन्तु साथ ही साथ यह कहना चाहता हूं कि श्री कृष्णामाचारी का यह प्रतिवेदन बड़ा ही असंतोषजनक है और उन्होंने समस्या को पूरी तरह से समझा नहीं है । इस प्रतिवेदन में कुछ व्यक्तियों द्वारा की गई जानकारी को ही दिया गया है और इससे अधिक कुछ नहीं बताया गया है ।

---

†मूल अंग्रजी में

के बारे में प्रस्ताव

इस प्रतिवेदन के दो भाग हैं। एक में प्रशासनिक सेवाओं का नियम है तथा दूसरे में पंचायती राज के बारे में जिला प्रशासन का उल्लेख है। पहले भाग में यह सिफारिशें की गई है कि भारतीय प्रशासन सेवा में २,४०० होने चाहिये। प्रशिक्षण में कुछ परिवर्तन किये जाने चाहियें। मसरी की अकादमी में एक सलाहकार संस्था भी होनी चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिवेदन में भरती संख्या और प्रशिक्षण के बारे में बताया गया है।

मैं समझता हूं कि इन अधिकारियों की संख्या बढ़ाना ठीक नहीं है। यदि इन अधिकारियों के बारे में विभिन्न राज्यों की मांग आप देखें तो मालूम होगा कि मैसूर राज्य में केवल १०० भारतीय सेवा के अधिकारी है। उन्होंने इनको बढ़ाने की मांग नहीं की है। मद्रास राज्म में १४१ अधिकारी है जिनको उन्होंने १३६ करने का निश्चय कर लिया है। राजस्थान में उनकी संख्या १३३ थी जिसको उन्होंने १२६ कर लिया है। आन्ध्र प्रदेश में १७८, विहार १८८, पंजाब १६०, और गुजरात ११० से १४४ अधिकारी चाहता है। मेरे विचार से इनकी संख्या बढ़ाने की कोई आवश्यकता नही है क्योंकि उपरि-लिखित आकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि राज्यों में कुछ समायोजन करके जिन राज्यों में कमी है उसको पूरा किया जा उसकता है। इसके अतिरिक्त आज कुछ भारतीय प्रशासन सेवायें अधिकारी ऐसे पदों पर आसीन है जिन पर उन्हें आसीन नहीं किया जाना चाहिये जिसके परिणाम स्वरूप उन विभागों के अधिकारियों में बड़ा असन्तोष है। रिपोर्ट में इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है।

प्रतिवेदन में राष्ट्रीय अकादमी के लिये एक सलाहकार परिषद् बनाने की सिफारिश की गई है। मैं समझता हूं कि यह बड़ी ही अपर्याप्त व्यवस्था है। आज वरिष्ट भारतीय प्रशासन अधिकारियों ने भी सुझाव दिया है कि पंचायतीराज के कारण इस में परिवर्तन करने की अत्याधिक आवश्यकता है।

आज के टाइम्स आफ इंडिया के सम्पादकीय में दिया है कि सचिवालय में एक फाइल पर निर्णय लेने में १४० से १५० दिन लग जाते हैं। समस्या सचिवालय में अदक्षता की नहीं है। समस्या प्रशासन में अदक्षता है। परन्तु प्रतिवेदन में जिला प्रशासन में सुधार करने के बारे में कोई सिफारिश नहीं की गई है।

मेरा सुझाव है कि भारतीय प्रशासन सेवा इंजीनियरिंग तथा वैज्ञानिक सेवा तथा टैक्नीकल सेवा सब को समान बनाया जाना चाहिये। आज भारतीय प्रशासन सेवाओं को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समस्या पर भी विचार किया जाना चाहिय परन्तु खेद है कि इस प्रतिवेदन में इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है।

आजकल सेवाओं में पदोन्नतियां कान्फीडैन्शनल रिपोर्टों के आधार पर होती हैं। मैं चाहता हूं कि इन कान्फीडैंशनल रिपोर्टों के साथ साथ व्यक्ति के कार्यों का ब्यौरा भी संलग्न किया जाना चाहिए। मंत्रालय के सचिव को इसके लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि यदि सचिव, संयुक्त सचिव अथवा उप-सचिव चाहें तो कोई कारण नहीं कि फाइलें इतने दिन तक बिना निर्णय के पड़ी रह जायें। इसीलिए मेरा सुझाव है कि अधिकारी के कार्यों का ब्योरा सी० आर० के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। मंत्री महोदय को अत्यधिक काम के कारण इन अधिकारियों के काम की देखभाल में कठिनाई होती है इसलिए सचिव आदि को इसका ध्यान रखना चाहिए। रिपोर्ट इस मामले में एकदम चुप है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब मैं प्रतिवेदन के दूसरे भाग अर्थात् जिला प्रशासन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हम पंचायती राज संस्थायें बनाना चाहते हैं जो कि सामुदायिक विकास मंत्रालय की उत्पत्ति है। इन पंचायतों के सम्बन्ध में जिन लोगों ने विचार किया है उनका कहना है कि ये संस्थायें गांव स्तर पर सरकारें हैं। भारत सरकार के सचिव, श्री सिंह ने भी अपने सम्पादकीय में बताया है कि हम पंचायती राज्य संस्थाओं की स्थापना के द्वारा विभिन्न स्तरों पर सरकारें स्थापित कर रहे हैं। इसीलिए आवश्यक हो जाता है कि हमें इन की स्थिति के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से जानकारी हो जाये कि यह सरकारें राजनैतिक होंगी अथवा केवल प्रशासनिक होंगी। मुझे खेद है कि इस बारे में प्रतिवेदन में एक भी शब्द नहीं कहा गया है। श्री नम्बूदरीपाद, एक साम्यवादी, श्री हरिश्चन्द्र माथुर एक कांग्रेसी तथा श्री माइनर वेहनर एक अमरीकी ने जरनल में लिखा है कि इन पंचायती राज संस्थाओं में से राजनीति को दूर रखना नितान्त कठिन है। इसलिए इसको स्पष्ट करना बहुत जरूरी है।

हमें यह भी निश्चय करना है कि यह पंचायती राज संस्थायें छोटी संसद का रूप तो धारण नहीं कर लेंगी। केन्द्रीय सरकार ने ज़िला प्रशासन में इस क्रान्तिकारी परिवर्तन को नहीं समझा है। केवल नारे लगाने आदि से प्रशासन अच्छा नहीं हो सकता है। अब तक महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इस बात को समझा है तथा गुजरात राज्य सरकार भी समझने का प्रयत्न कर रही है। मैं इसलिए उनको बधाई देता हूं। अन्य राज्यों ने इस को समझा नहीं है और इसीलिए वहां के प्रशासन में बड़ी धांधलगर्दी है। मैं चाहता हूं कि इन सभी बातों पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की जाये।

आजकल ज़िलाधीशों की यह आदत होती जा रही है और वह इसको मान्यता देते हैं कि वह ज़िलाधीश न बन कर सचिवालय में काम करें। ऐसा इस कारण से है कि एक तो इनको सचिवालय में काम करने पर विशेष वेतन मिलता है। दूसरे सचिवालय में राजनैतिक नेताओं, बड़े अधिकारियों आदि को खुश करने का काम भी नहीं करना पड़ता है। ज़िलाधीश को सब को खुश करके अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है जोकि बड़ा ही कठिन काम है।

[श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी पीठासीन हुए]

इसलिए अब समय बदल गया है और गृह-कार्य मंत्री को इस परिवर्तन के कारण प्रशासन का ढांचा बदलना चाहिए तथा ऐसा परिवर्तन करना चाहिए जिससे यह अधिकारी ज़िलों में काम करना अधिक पसन्द करें।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि आज जनता में कांग्रेस के प्रति रोष क्यों है। पिछले चुनाव में योजना मंत्री ने स्वयं इस बात को देखा है। मैं आशा करता हूं कि सरकार स्थिति समझेगी और इन सभी बातों को ठीक करने का प्रयत्न करेगी।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता–मध्य) : मुझे प्रसन्नता है कि मेरे माननीय मित्र श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने इस प्रतिवेदन पर चर्चा उठाई। इस सम्बन्ध में मैं यही कहना चाहता हूं कि

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी १९४७ से अब तक हमारा प्रशासनिक ढांचा नहीं बदला है। मैं श्री माथुर की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हमारी प्रशासनिक सेवाओं में जितना परिवर्तन होना चाहिए उतना अब तक नहीं हो पाया है।

आज भी भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों की मनोदशा उसी प्रकार की है जिस प्रकार की भारतीय असैनिक सेवा के अधिकारियों की थी। इसमें परिवर्तन होना चाहिए था परन्तु अब तक नहीं हो पाया है और न ही श्री कृष्णमाचारी ने अपने प्रतिवेदन में इसके बारे में कुछ लिखा है।

श्री वी० टी० कृष्णमाचारी ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि हमें द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को भी अवसर देने की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे इनको पदोन्नति का मौका मिले। परन्तु साथ ही साथ उन्होंने पृष्ठ १२ में यह भी कह दिया है कि ये निम्न श्रेणी के कर्मचारी एक परीक्षा में सफलता प्राप्त करके प्रथम श्रेणी के अधिकारी बन सकते हैं। प्रतिवेदन से इसका भी पता लगता है कि अप्रैल १९६६ तक भारतीय प्रशासन सेवा में ५२५ व्यक्ति नये हो जायेंगे। इसके अतिरिक्त उनकी यह भी सिफारिश है कि प्रत्येक वर्ष लोक सेवा आयोग कम से कम ११५ व्यक्तियों का चुनाव आगामी चार वर्ष तक करेगा। मैं आशा करता हूं कि दूसरी तथा तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों को उनके अनुभव के कारण पदोन्नति करने में अधिक मान्यता दी जायेगी।

मेरे मित्र श्री माथुर ने भारतीय प्रशासन सेवा के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में कुछ कहा। उन्होंने बताया कि प्रशासन की राष्ट्रीय अकादमी, केन्द्रीय अध्ययन तथा अनुसंधान संस्था, हैदराबाद में स्टाफ कालिज तथा नई दिल्ली में जन प्रशासन संस्था आदि प्रशिक्षण के लिए हैं। मैंने इन संस्थाओं में से कुछ को देखा है। मैं नहीं जानता कि इन संस्थाओं को इतना सजा धजा तथा आरामदेह क्यों रखा जाता है। दिल्ली की संस्था को लीजिये। वह इस प्रकार से सजी है कि उसमें साधारण व्यक्ति तो चकाचौंध हो जाये। मैं नहीं समझता कि अध्ययन करने वाली इन संस्थाओं को इतना आरामदेह बनाने की क्या जरूरत है। इनमें तो हमारे प्रशासक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं जिनको प्रशासनिक कार्यों में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

हमने पंचायती राज का लक्ष्य बना लिया। लक्ष्य बनाना बहुत आसान है। यह लक्ष्य भी उसी प्रकार का बना है जैसा बुनियादी शिक्षा का बनाया गया था। आज बुनियादी शिक्षा की जो छीछालेदर है उसको सभी जानते हैं। मैं पंचायती राज के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। अपितु यह बताना चाहता हूं कि पंचायती राज बनाने के लिए देश में विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता है। हमें इस सम्बन्ध में आगे बढ़ना चाहिए और पंचायती राज का तमाशा नहीं बनाना चाहिए। अक्तूबर, १९६२ में कुरुक्षेत्र में एवेलनियूड ने एक लेख लिखा है जिसमें बताया गया है कि हम ने इतने लक्ष्य बना लिये हैं कि एक लक्ष्य की पूर्ति करने में दूसरा लक्ष्य आड़े आता है और इसका पता नहीं लग पाता कि कितना काम हुआ है। इसलिए आवश्यक है कि ग्राम्य स्तर के कर्मचारियों को ब्लाक विकास अधिकारी बनाने का प्रोत्साहन अवश्य दिया जाये। इस प्रकार हमें क्षेत्रीय कर्मचारियों के अनुभव का लाभ मिल जायेगा और हमारे लक्ष्य पूरे होते जायेंगे।

इसके बाद मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारी भारतीय प्रशासन सेवा में अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के व्यक्तियों को नहीं लिया जाता है। श्री उ० न० ढेबर ने इन लोगों के सम्बन्ध में कहा है कि इनको ऊंची सेवाओं में नहीं लिया जाता है। मैं नहीं समझता कि समाजवादी ढंग का समाज बनाने के लिए ऐसा करना ठीक है। मैं चाहता हूं कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करनी चाहिए।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिन्घवी (जोधपुर) : श्रीमान्, मैं स्वागत करता हूं कि आज इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर सभा में चर्चा उठाई गई है। मेरे से पहले के दो वक्ताओं ने बताया है कि उनको श्री वी० टी० कृष्णमाचारी के प्रतिवेदन से बड़ी निराशा हुई है। मैं बताना चाहता हूं कि श्री कृष्णमाचारी ने ज़िला तथा खण्ड स्तर पर लोकतंत्रीय संस्थाओं को लागू करने से उत्पन्न मामलों तथा प्रशासनिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में अध्ययन किया था। उन्होंने इसके राजनैतिक पहलू पर विचार नहीं किया था। इसलिए दोनों सदस्यों की निराशा इससे दूर होनी चाहिए ऐसा मैं समझता हूं।

मैं श्री कृष्णमाचारी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना उत्तम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और आशा करता हूं कि सरकार उनकी सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लेगी।

श्री कृष्णमाचारी ने बताया है कि देश में प्रशासनिक कर्मचारियों की बड़ी कमी है और ३० अप्रैल, १९६६ तक ५२५ व्यक्ति भरती किये जाने चाहिएं। इसके अतिरिक्त प्रति वर्ष भरती होने वाले अधिकारियों की भी संख्या बढ़ा देनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि आपातकालीन भरती उसी प्रकार की जानी चाहिए जैसे पहले प्रायः की जाती थी।

मैं स्वागत करता हूं कि अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा कर ५८ कर दी गई है। आप किसी भी विकसित देश में देखें तो आपको मालूम हो जायेगा कि वहां पर सेवानिवृत्ति की आयु ६५ अथवा ७० है। इसलिए ५८ वर्ष की आयु करना बहुत ही ठीक काम किया गया है। मैं इसके साथ यह भी चाहता हूं कि २५ प्रतिशत रिक्त स्थानों को राज्य प्रशासनिक सेवाओं द्वारा भरा जाना चाहिए।

मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने कुछ अखिल भारतीय सेवायें और बनाई हैं परन्तु मैं चाहता हूं कि भारतीय शिक्षा सेवा और भारतीय आर्थिक सेवा जैसी और भी सेवायें बनाई जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की सेवायें बनाने से देश का प्रशासनिक ढांचा ठीक हो जायेगा तथा एकता आ जायेगी।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री कृष्णमाचारी ने सिफारिश की है कि प्रशिक्षण १८ महीनों से ज्यादा की होनी चाहिए। मैं उनकी इस बात का समर्थन करता हूं क्योंकि सीमित समय होने के कारण पूरा प्रशिक्षण नहीं हो पाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी]

प्रतिवेदन में बहुत अच्छा सुझाव दिया गया है । मैं आशा करता हूं कि सरकार इसको शीघ्रता से लागू कर देगी । वह है मसूरी की प्रशासन अकादमी के लिए सलाहकार परिषद् की स्थापना । सलाकार परिषद् वहां पर दिए जाने वाले प्रशिक्षण के संबंध में उचित तथा लाभदायक पथ-प्रदर्शन कर सकेगी ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि किन वरिष्ठ अधिकारियों को स्मरणात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिएं । कुछ लोग मेरे इस सुझाव पर हंसते हैं परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि यह उनमें प्रोत्साहन करने के लिए नितांत आवश्यक है कि थोड़ी अवधि के लिए इनका प्रशिक्षण होना चाहिए ।

मेरा यह भी सुझाव है कि राज्य की सेवाओं के प्रशिक्षण स्कूल राज्यों में ही नहीं होने चाहिएँ अपितु खण्ड आधार पर होने चाहिएँ । मुझे प्रसन्नता है कि जोधपुर में अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल बड़ी दक्षता से काम कर रहा है । मैं चाहता हूं कि इसी दक्षता में काम करने वाले इस स्कूल को ही राजस्थान, पंजाब, कश्मीर और दिल्ली के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए स्थापित कर देना चाहिए ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी योजनायें ग्राम स्तर से शुरू होनी चाहिएं न कि केन्द्र अथवा राज्य स्तर पर । मुझे पूरी आशा है कि देश की प्रशासनिक व्यवस्था के उचित परिवर्तन होने पर पंचायती राज संस्थायें बहुत अच्छी तरह से काम कर सकेंगी ।

†**श्री गजराज सिंह राव** (गुड़गांव) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है और मुझे खेद है कि प्रशासी सेवा बिगड़ गई है और जितने काम की इस से आशा थी उससे बहुत कम काम कर रही है । प्राचीन काल में हम जिला प्रशासन को दोष देते थे, परन्तु क्या अब भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारी उतनी कुशलता तथा उस भावना से काम कर रहे हैं जिसमें हमने राष्ट्रीय विकास की नीति बनाई थी ? यदि वे ऐसा करते तो मुख्य सचिवों तथा मुख्य मंत्रियों द्वारा यह रिपोर्ट करने की कोई आवश्यकता न होती ।

प्रथम, मेरा सुझाव है कि भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारियों को उनके राज्यों में नियुक्त न किया जाना चाहिये । इससे राष्ट्रीय एकीकरण में सहायता मिलेगी, और भ्रष्टाचार, राजनैतिक दबाव व अन्य बुराइयां भी दूर हो जायेंगी तथा अधिकारियों को करने के लिए केवल अपना ही काम होगा ।

रिपोर्ट में उल्लेख है कि प्रशासन में ग्रामीण झुकाव होना चाहियें । इसमें खण्ड विकास अधिकारियों, ग्राम-पंचायतों, आदि का भी उल्लेख है । यदि खंड विकास अधिकारियों तथा अन्य उच्च अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण न दिया जाये, तो जनता का क्या होगा ? यदि भारत को प्रगति करनी है, तो ग्रामीण भारत को प्रगति करना आवश्यक है और प्रशासन को ग्रामीण भारत के अनुकूल अवश्य बनना चाहिये । केवल गांव ही हमें ऊपर उठा सकते हैं । मैं यह नहीं कहता कि ये सारे अधिकारी ग्रामवासी हों । परन्तु यह विचार कि ग्रामवासी सदैव ही गुलाम रहें और कुछ पूंजीवादियों के इशारे पर नाचें, भुला देना चाहिये । यदि वे अपनी इस धारणा पर अड़े रहते हैं तो शायद कोई भी प्रशासन नहीं रह जायेगा । सिद्धान्त के रूप में मैं कहूंगा कि यदि उन्हें प्रशासक के रूप में जनसंख्या के ८० प्रतिशत व्यक्तियों का प्रशासन करना है, तो उन्हें उस परिस्थिति के अनुकूल अवश्य बनना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

फिर, मेरा निवेदन है कि चुनाव और प्रशिक्षण में गणित, इतिहास, आदि ही विषय नहीं होने चाहियें । प्रशासक को शक्ति की भी आवश्यकता है । उन्हें ज्ञात होना चाहिये कि गांव क्या है और गांव की जिन्दगी कैसी होती है । उन्हें यह भी जानना चाहिये कि उपनगर कैसा होता है, वहां कैसे करीब लोग रहते हैं, वे कैसे रहते हैं और प्रशासन को कैसे चलाया जाये । इस रिपोर्ट में इन बातों की दृष्टि से कुछ अच्छी बातें हैं । वे उसी भावना से लागू होनी चाहियें जिस भावना से वे वहां कही गई हैं । यदि यह आधार मान लिया जाये कि खण्ड विकास अधिकारी बनना सब से अच्छी बात है और वह सर्वोत्तम प्रशासन का ज्ञान प्राप्त करेगा, तो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि यह बड़ी भारी गलती होगी । उन्हें वास्तविक व सच्ची ट्रेनिंग दी जानी चाहिये ताकि वे जनता की सेवा कर सकें और उनके निकट आ सकें । प्रशासन ऐसा होना चाहिये जिसके पास जनसाधारण जा सकें, दे जनता की कठिनाइयां महसूस कर सकें और प्रशासन को जनता वक्ता तथा जनता की कठिनाइयों में उसका सहायक होना चाहिये ।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने आदरणीय मित्र श्री माथुर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है । चूंकि समय बहुत कम है इस लिये मैं केवल दो-तीन बातों की ओर ही माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाऊंगा ।

श्री वी० टी० कृष्णमाचारी ने अपनी रिपोर्ट में कहीं यह बात नहीं कही थी कि सरकारी कर्मचारियों की उम्र बढ़ा दी जाये । जहां तक मैं ने इस का अध्ययन किया है, उन्होंने यह कहा था .....

एक माननीय सदस्य : उम्र कहां बढ़ाई गई है ?

श्री भक्त दर्शन : अवकाश ग्रहण करने की उम्र । उन की उम्र तो भगवान ही बढ़ा सकते हैं । अवकाश ग्रहण करने की आयु के सम्बन्ध में द्वितीय वेतन आयोग ने जो सिफारिश की थी, श्री कृष्णमाचारी ने कहा था कि उस पर विचार किया जाय, और कि जब तक इस पर निर्णय नहीं हो जाता है तब तक उन में से जो योग्य व्यक्ति हों उन को काम करने का अवसर दिया जाय । लेकिन मुझे यह जान कर बहुत आश्चर्य हुआ कि हमारी सरकार ने बड़ी जल्दी में इस के सम्बन्ध में घोषणा कर दी और इस सदन को इस पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर भी नहीं दिया । मैं यह समझता हूं कि जब इस के बारे में यहां विस्तारपूर्वक विचार होगा तो इस सदन के सभी सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया जायेगा । लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कभी इस पहलू पर भी विचार किया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों पर इस का क्या प्रभाव पड़ेगा और हमारी आने वाली पीढ़ी जो है उस के अन्दर की बेरोजगारी पर इस का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री वी० टी० कृष्णमाचारी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की है कि जो आई० ए० एस० के लोग हैं वे छः वर्ष पुराने होने के बाद जिलाधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बना दिये जायें । इस सम्बन्ध में मैं शासन से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि उन की यह सिफारिश मुझे बहुत ही अनुपयुक्त मालूम होती है । जहां तक मुझे जानकारी है, अंग्रेज़ों के शासनकाल में पन्द्रह पन्द्रह और बीस बीस वर्ष का जब उन को अनुभव हो जाता था तब जाकर उन्हें जिलाधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता था । डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पोस्ट कोई साधारण पद नहीं है । वह आज कल और भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, खास कर इस असाधारण परिस्थिति

[श्री भक्त दर्शन]

में युद्ध प्रयत्नों में सामंजस्य स्थापित करने का, विभिन्न विभागों के जो जिलाधिकारी हैं उन के बीच में सहयोग और समन्वय स्थापित करने का, सारे जिले में शान्ति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाये रखने का, और सरकार के जितने विकास कार्यक्रम हैं उन के एक अग्रगण्य नेता के रूप में काम करने का । इस लिये जिलाधिकारी का पद जो छः या सात वर्ष की नौकरी करने वाले नौसिखिये अकर्मचारियों को देने की सिफारिश की गई है, मेरी समझ में उसे सरकार को स्वीकार नहीं करना चाहिये । मुझे इस तरह के उदाहरण मालूम हैं उत्तर प्रदेश के कि ऐसे कुछ जिलाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है जिन को अभी आई० ए० एस० में आये हुए पांच वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे । मैं उन व्यक्तियों के बारे में कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहता । वे उत्साही भी हो सकते हैं, उन के अन्दर नया उत्साह भी हो सकता है, यह सब ठीक है । लेकिन जिलाधीश के लिये केवल इस बात की ही आवश्यकता नहीं है, बल्कि बहुत बड़े प्रशासनिक अनुभव की आवश्यकता है । जब तक उन्हें विभिन्न व्यावहारिक विभागों के भीतर सामंजस्य स्थापित करने के लिये तरह तरह के कामों का अनुभव न हो जाय, जब तक वे कम से कम दस बारह वर्षों तक पूरी तरह से काम न कर लें तब तक मेरी सिफारिश है कि उन की जिलाधीश के पद पर नियुक्ति नहीं की जानी चाहिये ।

श्री कृष्णमाचारी साहब ने जो एक अन्य सिफारिश की है, वह है स्पेशल लिमिटेड काम्पिटीटिव एग्जामिनेशन के बारे में, यानी सीमित प्रतियोगिता । उस के बारे में इस सदन में कुछ प्रश्न भी पूछे गये थे और माननीय गृह मंत्री जी ने इस बारे में आश्वासन दिया था कि मामले पर विचार किया जा रहा है । मैं समझता हूं कि इस समय जो लोग आई० ए० एस० में लिये जाते हैं वे तीन तरह से लिये जाते हैं । कुछ तो संघीय लोक सेवा आयोग के द्वारा, कुछ राज्य सरकारों के जो कर्मचारी होते हैं, प्राविंशल सिविल सर्विस के, उन में से जो योग्य माने जाते हैं उन्हें ले लिया जाता है, और एक तीसरी श्रेणी नई की जा रही है उन लोगों को जो सेंट्रल सेक्रेटरियट में या दूसरे विभागों में काम कर रहे हैं । उन को भी इस के लिये अवसर दिये जाने की बात चल रही है। मैं समझता हूं कि इस के बारे में शीघ्र निर्णय किया जाना चाहिये । मुझे एक उदाहरण एसा मालम है । बहुत से लोग जो कि यूनिवर्सिटी में प्रथम और द्वितीय आया करते थे, किसी वजह से व पहले आई० ए० एस० में नहीं आ सके । इस के बाद उन्होंने आई०ए०एस०परीक्षा दी और काफी ऊंची पोजीशन उस में प्राप्त की । लेकिन चूंकि उन के ऊपर यह प्रतिबन्ध लगा हुआ था कि वे सेन्ट्रल सेक्रेटेरियट के कर्मचारी हैं, इस लिये उन्हें ज्यादा से ज्यादा सेक्रेटेरियट में सेक्शन आफिसर बना दिया गया । यह नहीं किया गया कि उन्हें आई०ए०एस० की तरह से जिला मैजिस्ट्रेट के पदों पर नियुक्त किया जाता । इस लिये मैं शासन से अनुरोध करना चाहता हूं कि श्री वी० टी० कृष्णमाचारी की जो सिफारिश है उसे जल्दी से जल्दी स्वीकार किया जाये और इस तरह के जो कर्मचारी केन्द्रीय सचिवालय में या दूसरे विभागों में कार्य कर रहे हैं और योग्य हैं, जो सब शर्तों को पूरा करते हैं, उन की नियुक्ति कर के इस कमी को पूरा किया जाये ।

श्रीमान् मैं अधिक समय न लेते हुये एक अतिम बात कहना चाहता हूं । ट्रेनिंग के बारे में यह बताया गया है कि रूरल डेवेलपमेंट को उसके बेसिक कोर्स में रखा जाये । मैं समझता हूं कि किताबों को पढ़ाने का जमाना तो अब चला गया । यूनीवरसिटीज़ में विद्यार्थियों को एम० ए० में इकानामिक्स और सोशल साइसेज़ पर काफी पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं । तो यह बात नहीं है कि उनको जानकारी नहीं है । लेकिन उस पर अमल कितने लोग करते हैं । हमारे ब्लाक डेवेलपमेंट आफिसरों से हम आशा करते

थे कि वे कम से कम ग्रामीणों के साथ उनकी भाषा में बात करेंगे, उनकी तरह का उनका रहन सहन होगा और जो अब तक नौकरशाही का आतंक जनता में रहा है उसको वे दूर कर सकेंगे। लेकिन मुझे कहते हुये दुःख होता है, डे साहब मुझे क्षमा करेंगे कि हमारे बहुत से विकास खंडों के अधिकारी ऐसे हैं कि वे अपनी पैंट की क्रीज का ज्यादा ख्याल रखते हैं। जिनको अपनी पैंट की क्रीज का ख्याल रहेगा कि वह कहीं बिगड़ न जाये, जो इस कदर फशन परस्ती में लगे रहते हैं, वे किस तरीके से जनता के बीच घुल मिल कर काम कर सकेंगे यह समझ में नहीं आता है।

एक और बात मैं उदाहरण के लिये कहना चाहता हूं। कुछ वर्ष पहिले हमारे गृह मंत्रालय की ओर से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आदेश दिया गया था कि वे खुले गले का कोट की जगह बन्द गले का कोट पहन कर आयें। मैं पूछना चाहता हूं कि उसका कितना पालन किया जा रहा है ? मैं केवल यह दिखाना चाह रहा हूं कि हमारे आदेश तो बहुत सुन्दर हैं, और कोर्सज भी बहुत सुन्दर हैं और बहुत सुन्दर बनाये जाते हैं, लेकिन उनको जिस भावना से अमल में लाना चाहिये वह नहीं किया जा रहा है।

श्रीमान्, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार इन सब पहलुओं पर विचार करके अन्तिम निर्णय लेगी।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो चार सजेशंस देने हैं।

सब से पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो रिटायरमेंट की उम्र ५८ साल की गयी है उससे हमारे नौजवानों का हक मारा गया है। हमारे जो नौजवान यूनिवसिटीयों में तैयार हो रहे हैं उनका इससे हक मारा जाता है।

दूसरे जो वायदा किया गया था कि एग्जीक्यूटिव और जुडीशियरी के सेपेरेशन का वह वायदा अभी तक पड़ा हुआ है। उसी के हाथ में इन्साफ है और उसी के हाथ में वारंट है। यह वायदा पूरा नहीं हो सका है।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कलक्टर की जो पोस्ट है जिसे कहीं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहते हैं, कहीं डिप्टी कमिश्नर कहते हैं— यह बात आउट आफ डेट हो चुकी है। कलेक्टर किसी जमाने में वह व्यक्ति होता था जो कि हमारी रेवेन्यू कलेक्ट करता था। उस जमाने में भारत का दारोमदार रेवेन्यू पर ही था। आज हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, देश में जगह जगह बांध बन रहे हैं, नये नये उद्योग खड़े हो रहे हैं। इस लिये आज कलक्टर की पोस्ट कोई मानी नहीं रखती। आज तो वह एक टाई है जो ब्यूरोक्रेसी को कायम किये हुये हैं। सब लोग काम करते हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कोई काम नहीं करता। वह सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को कायम रखे हुए है और जनता पर दहशत कायम किये हुये है। मैं अपनी आंखों की देखी हुई बात कहता हूं। देहात के लोग आए और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कहा कि हमारे यहां इतने ओले पड़े हैं कि सौ मील के अन्दर अनाज का दाना नहीं बचा है, आप चल कर देख लीजिये। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कहा कि मैं तुम को हवालात में बन्द करवा दूंगा, तुम बिला समय नियत किये हुए कैसे मिलने चले आये।

आज हालत यह है गि जलसा होने जा रहा है म्युनिसिपैलिटी के टाउन हाल में और उसकी इजाजत देते हैं कलक्टर साहब। आप मेरे साथ चलिए। अगर कलक्टर साहब को पता न हो कि आप हिन्दुस्तान की सब से बड़ी लोक सभा के उपाध्यक्ष हैं, तो आपको उनके यहां बरामदे में घंटों बैठना होगा और मिलने की नौबत नहीं आएगी। हो सकता है कि आपका नम्बर ही न आए। तो यह पोस्ट

[श्री यशपाल सिंह]

आउट आफ डेट हो चुकी है। मेरा सुझाव है कि इस पोस्ट को एबालिश कर दिया जाये और जो ४०० डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बैठे हैं उनको नेफा के मोर्चे पर भेजा जाए और जो रुपया इनको दिया जाता है उसको बचा कर नेशनल डिफेंस में लगाया जाए।

एग्जीक्यूटिव इंजीनियर काम करता है और दूसरे अफसर अपनी अपनी जगह पर काम करते हैं, लेकिन कलक्टर कोई काम नहीं करता। आप उनके बंगलों पर जायें तो वहां लिखा है "बिवेयर आफ डाग्स" यानी कुत्तों से सावधान रहो। मैं इसका यह मतलब लगाता हूं कि वहां पर रहने वाले कुत्ते हैं। मैं यह मतलब नहीं लगाता कि कोई उन से सावधान रहे, बल्कि मैं यह मतलब लगाता हूं कि वे शिष्टाचार से गिर चुके हैं, वे इतने असभ्य हो चुके हैं कि इन्सान को कुत्ता समझते हैं। कहां तो यह होना चाहिये था कि आज देश के ४४ करोड़ इन्सान प्रेम की गंगा में स्नान करते होते, आपस में मिल कर रहते, लेकिन हो यह रहा है कि आज भी गुलामी की भावना को कायम रखा जा रहा है।

मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि सब से बड़ी एजूकेशन शिष्टाचार है।

न हो जिसमें अदब और हो किताबों से लदा फिरता,
जफर उस आदमी को हम तसव्वर बैल करते हैं

चाहे कोई लाखों किताबें पढ़ ले लेकिन अगर उसमें शिष्टाचार न हो तो वह इन्सान नहीं है और इससे बड़ी कोई डिसक्वालिफिकेशन नहीं हो सकती। सबसे बड़ी डिसक्वालिफिकेशन यह है कि आदमी का मातमी चेहरा बना रहे। सब से बड़ी डिसक्वालिफिकेशन यह है कि इन्सान इन्सान से नफरत करे। गीता में कहा है :—

प्रसन्न चेतो यासी बुद्धिः पर्यवतिष्ठति।

जिसका मातमी चेहरा रहता है, जो प्रसन्न नहीं रहता उसे भगवान भी दर्शन नहीं देते। तो मेरा सजेशन है कि ये जो ४०० आफिसर्स पड़े हैं इनको हटाया जाए और इस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ओहदे को एबालिश किया जाये और उनकी जगह पर काम करने वाले अफसरों जैसे एस० डी० ओज़, को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को और पी० डब्ल्यू० डी० के इंजिनियरों को रखा जाये। लेकिन आज उन अफसरों को जिनको पांच साल से भी कम तजर्बा होता है कलक्टर बना दिया जाता है, और उनका काम क्या होता है ? उनका काम यह होता है जिस वक्त मिनिस्टर साहब जिले में जाते हैं तो वह सुपरिटेंडेंट पुलिस और पुलिस दल को ले कर उनकों लेने स्टेशन पर जाते हैं। ऐसा किसी और देश के अन्दर नहीं होता जहां डिमाक्रेसी है। एटली हो, चाहे कनेडी हो या चर्चिल टिकट खरीद रहा हो, और अगर उसका चौदहवां नम्बर है तो कोई ताकत नहीं है जो उसका नम्बर तेरहवां कर दे। लेकिन यहां पर मिनिस्टर पुलिस के दस्ते के बीच में चलते हैं। एस० पी० और कलक्टर मिनिस्टर को लेने आते हैं। पुलिस के बीच में तो मान सिंह और सुलताना जैसे डाकू चलते हैं। मिनिस्टर लोग नहीं चलते। उनके लिये तो जनता में प्रेम होना चाहिये, उनके लिये तो जनता दूध की बाल्टियां और फूलों की मालायें ले कर आये और उनको अपनी छाती से लगाना चाहे ऐसा होना चाहिये। लेकिन आज वे कलक्टर और एस० पी० के बीच में चलते हैं जो उनको जनता से मिलने की इजाजत नहीं देते। जनता को उनके पास जाने से रोक दिया जाता है। यह डिमोक्रेसी की परम्परा नहीं है। आज के लोकतंत्रवाद के साथ यह चीज फिट नहीं होती। और आज जिसके अन्दर जनतन्त्रवाद की भावना नहीं है वह इस लायक नहीं है कि वह देश का अफसर बन सके।

माननीय बापू जी ने कहा था कि अगर हिन्दुस्तान की आजादी चाहते हो तो फाइल को जला डालो। चार चार साल हो जाते हैं, फाइल मोटी होती रहती है पर काम नहीं होता। पंडित नेहरू ने यह बात कही है कि मैं एक डाइरेक्टर जनरल से काम करवाना चाहता था लेकिन उसकी फाइल इतनी मोटी हो चुकी थी है कि वह काम आज तक नहीं किया जा सका। काम में विलम्ब नहीं होना चाहिये। हम देखते हैं कि आज एक मेज पर से दूसरी मेज तक, जो मेजें कि पास पास लगी हैं, कागज जाने में दो दो माह लग जाते हैं।

मैं आपकों इसी सिलसिले में एक उदाहरण देना चाहता हूं। हरदोई के एक एम०एल०ए० हैं, जो कि लाखों आदमियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होने एक बन्दूक के लाइसेंस की दरख्वास्त कलक्टर को दी थी। कलक्टर ने कहा कि वे हम से मिलने नहीं आए, उन्होंने हमारी हाजिरी नहीं दी। और उनकी लाइसेंस की दरखास्त नामन्जूर कर दी गयी। जब यह मामला बढ़ा तो उनकी दरखास्त मंजूर हुई। तो मेरा सजेशन यह है कि जो अफसर आज डिमाक्रेसी में फिट नहीं हो सकते उनको अलग किया जाये।

हमारी जुडीशियरी हमारे कांस्टीट्यूशन की गारजियन है। अगर कोई एम० एल० ए० या एम० पी० चाहे वह किसी भी दल का हो, जुडीशियरी से मुकदमों में सिफारिश करे तो इसकों जुर्म करार दिया जाए। अगर मुकदमों में सिफारिशें चलेंगी और पालिटिक्स चलेगी तो देश आगे नहीं चल सकेगा। मुकदमों में सिफारिशें बन्द की जायें ताकि जनता को जुडिशियरी में विश्वास कायम रहे। होना यह चाहिए कि किसी को इस बात का पता भी न लग सके कि कौन मुकदमा करता है, कैसे करता है आदि। आज होता यह है कि जिले के कलक्टर या एस० डी० ओ० या तहसीलदार पर जोर डाला जाता है और सिफारिश पहुंचायी जाती है। इससे जनता के मन में दहशत होती है और वह डिमाक्रेसी को नहीं समझ पाती। इस लिये मेरी दरखास्त है कि जिन सरविसों का जनतन्त्रवाद से ताल्लुक न हो उनको खत्म किया जाये।

इसके अलावा जो लड़के कम्पिटीशन्स में बैठते हैं उनसे वे ही सवालात किए जाया करें जो कि उनके काम से ताल्लुक रखते हों। आप मुझ से सवाल कर सकते हैं कि लड़ाई कैसे लड़ी जाए, पुलिस का काम कैसे किया जाए, पार्लियामेंट में भाषण कैसे दिया जाए आदि। लेकिन अगर गृह मंत्री जी से यह सवाल कर दिया जाए कि खेत में तिल कैसे बोया जाता है तो शायद वह उसका जवाब सौ साल तक भी न दे सकें। तो मेरा सुझाव है कि उन लड़कों से वैसे सवाल न पूछे जाएं जिनका उनके काम से कोई ताल्लुक नहीं है। आज पूछा जाता है कि सुरैया कौन है, उसकी एज क्या है, वह कहां रहती है आदि। इससे ज्यादा और डिमाक्रेसी की क्या डिसग्रेस हो सकती है। ऐक्ट्रैसेज का और उन कुलटाओं का चरित्र हम से पूछा जाय तो यह कहां तक उचित होगा? इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि सवाल जिस से ताल्लुक रखता है उससे वह सवाल पूछा जाय और ठीक व्यक्ति से जब आप ठीक सवाल करियेगा तभी वह आपको जवाब ठीक दे सकेगा। जनता की विल का पालन करना होगा। डेमोक्रेसी में अगर जनता की विल का पालन नहीं होगा तो हमारा जनतंत्र आगे नहीं चलेगा। मैं इस बात को जानता हूं और इसे मनीषियों ने और कांस्टीट्यूशनलिस्ट्स ने कहा है :—

> "विधान और कुछ नहीं केवल विधान-रूप में व्यक्तियों की भावना की अभिव्यक्ति है।"

श्री यशपाल सिंह

जनता की जो इच्छा है उसी को कानून कहते हैं। अगर इस तरह से आज काम किया गया तो वाकई यह देश की सेवा होगी लेकिन गुलामी के बंधनों को मजबूत करने से देश की सेवा नहीं होगी।

श्री दे० शि० पाटिल (यवतमाल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव पर बोलने से पहल श्री माथुर का अभिनन्दन करता हूं जिन्होंने कि महाराष्ट्र को पंचायती राज्य का कारोबार चलाने पर वधाई दी।

हमारे कांस्टाट्यूशन की धारा ४० जिस में कि डाइरैक्टिव प्रिंसिपल्स दिये हैं, वह अमेंडमेंट से आई है। कांस्टीट्यूशन जिस वक्त बना उस वक्त आर्टिकिल ४० नहीं था। यह बाद में अमेंडमेंट में आया है। सैंट्रल सब्जैक्ट्स और स्टेट सबजैक्ट्स की जो लिस्ट है उन दोनों को यदि आप देखियेगा तो आपको पता चलेगा कि यह जो पंचायती डेवलपमेंट का काम है, सी० डी० प्रोग्राम का जो काम है वह स्टेट्स पर सौंपा गया है। आर्टिकिल ४०— **दी स्टेट शैल टेक स्टैप**.....मैं हाउस में वह पूरा आर्टिकिल पढ़ना नहीं चाहता हूं। उसमें इस काम को करने के लिए स्टेट्स पर पूरी जिम्मेदारी डाली गई है और इसलिए यह कहना कि भारत सरकार के दिल में सी० डी० प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट और पंचायती राज्य का प्रोग्राम चलाने के बारे में कोई शक है यह गलत है। उन्हें जो कोशिश करनी चाहिए वह पूरी की है। जिस स्टेट में उसके काम का प्रोग्राम बना और कानून जो बना उसका उद्देश्य पूरा सफल हुआ।

महाराष्ट्र स्टेट के बारे में जो यह कहा गया है :—

> "महाराष्ट्र में पंचायत और सहकारी संस्थाओं में द्वैध प्रशासन प्रणाली है जहां सरकारी कर्मचारी गैर-सरकारी अधिकारियों के अधीन हैं।"

यह चीज गलत है कि वहां के जो टैकनिकल कर्मचारी हैं वह उन आफीशियलों के थम्ब के नीचे हैं। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि क्लास १ और क्लास २ के कर्मचारी स्टेट गवर्नमेंट के अधीन हैं। वे जिला परिषद के अधीन नहीं हैं खाली उनकी सर्विसेज उनको दी गई हैं। उनके लिए आरिजिनल सिलेक्शन बोर्ड है जो सर्विस कमीशन सरीखा काम करता है। उनका स्टेट में ट्रान्सफर हो सकता है और प्रमोशन हो सकता है। उनको काफी बैनी-फिट्स दिये जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस थोड़े से समय में जो कि मुझे दिया गया है बतलाना चाहता हूं कि भारत देहातों में रहने वाला भारत है और इसलिए भारत की ग्रामीण जनता को डेवलपमैंट के लिए और प्रशासन कार्य चलाने के लिए सभी अधिकार देने चाहिएं, इस बारे में दो मत तो हो ही नहीं सकते हैं। महाराष्ट्र स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लैवल पर जो कुछ अधिकार गवर्नमेंट को थे वे सभी अधिकार जिला परिषदों को दे दिये गये हैं। ला ऐंड आर्डर को छोड़ कर सभी अधिकार का इस्तेमाल वहां की जिला परिषदें करती हैं। वहां के थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास के जितने कर्मचारी हैं वे सब जिला परिषदों के अधीन हैं। ऊपर के जो क्लास फर्स्ट और क्लास सैकण्ड के सर्वेंट्स हैं वे स्टेट गवर्नमेंट के अधीन हैं। विलेज सर्वेंट्स, पंचायत सर्वेंट्स और जिला परिषद् के सर्वेंट्स जिला परिषद् के अधीन होते हैं।

माथुर साहब ने ठीक ही कहा कि इन जिला परिषदों और ग्राम पंचायतों को फानांस देना चाहिए। फायनैंस देने की बात कांस्टीट्यूशन में भी दी गई है। म यह कहना चाहता हूं कि उनको पूरा पूरा फायनैंस दिया गया है, जितना फंड दे सकते हैं वह दिया गया है। उनको पावर्स भी बहुत ज्यादा दी हैं। उदाहरण के लिए मैं बतलाना चाहता हूं कि एक स्मौल २५० एकड़ का इर्रीगेशन का प्रोजेक्ट वह खुद चला सकती हैं और इस तरह के छोटे प्रोजेक्टस के लिए स्टेट की अनुमति की कोई जरुरत नहीं है। जिला परिषद् खुद ही अपने अखत्यिार में वह प्रोजैक्ट ले सकती हैं। इसकी ऐसे केसेज में बिलकुल जरूरत नहीं है। इसलिए इस तरह से उनकी काफी सत्ता दी गई है।

जहां तक एजुकेशन का सवाल है मैट्रिक तक वह व्यवस्था करती हैं। इसलिए श्री वी० टी० कृष्णमाचारी की रिपोर्ट में जो प्रिंसिपल दिये हैं उनका पूरा दूरा इम्प्लीमेंटशन करने का महाराष्ट्र में वहां प्रयत्न किया गया है। जैसा कि माथर साहब ने बतलाया कि डेमोक्रेसी जहां रहती है वहां एलेक्शन आता है, एलेक्शन आता है तो पार्टी आती है। और फिर उसके साथ पार्टी पालिटिक्स आती है। मैं सदन को इनफारमेशन देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र स्टेट में जिला परिषद का एलेक्शन पार्टी बेसिस पर लड़ा गया है। ग्राम पंचायत का इलेक्शन पार्टी बेसिस पर नहीं लड़ाया गया। लेकिन इतना मैं साफ कर दूं कि जिसे गुड पालिटिक्स कहते हैं वह गुड पालिटिक्स हम चाहते हैं, देहातों में हम बैड पालिटिक्स को नहीं आने देना चाहते हैं। इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि जितनी भी पोलिटिक्ल पार्टीज हैं उनको मिल कर पंचायत राज्य संस्था के इलेक्शन पार्टी बेसिस पर लड़ना या नहीं लड़ना इस बारे में विचार करना चाहिए और डेवलपमैंट का काम जहां तक बन पड़े आपस में एका कर के और कुछ कम्प्रोमाइज करके किया जाये। प्लानिंग का जो उद्देश्य है कि हमारी सब प्लानिंग देहात से चले और देहाती परिवार अपना खुद विकास कर सकें, उसको सही मानों में क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट्स के बारे में मुझे यह कहना है कि जिला परिषद से जिनका कोई सम्बन्ध नहीं होता वह जिला परिषद में नहीं आते हैं। वहां के कलक्टर का जिला परिषद से कोई सम्बन्ध नहीं है। जिला परिषद् का जो एक्जीक्यूटिव आफिसर होता है वह पूरा काम करता है। डिप्टी एक्जीक्यूटिव आफिसर जिला परिषद् का काम करता है और कलक्टर खाली ला एंड आर्डर के बारे में अपना काम करता है और यदि कोई ऐंसा सवाल आ जाय जिसमें जांच की जरूरत महसूस हो तो वह जिला परिषद् के बारे में इन्स्पेक्शन इनक्वायरी करता है।

जहां तक गवर्नमेंट स्वेंट्स की बात है वे बिलकुल निष्पक्षतापूर्वक, निर्भरपूर्वक और जनता की राय से काम करें। जैसा कि अनेक माननीय सदस्यों ने बतलाया कि सरकार कर्मचारियों में विलैज बाएस आना चाहिए तो मेरा कहना है कि वह उनमें आ रही है। जब से जिला परिषद का कानून बना है इस कानून के अनुसार प्रतिनिधि लोगों को रोजाना जिला परिषद् में जाना पड़ता है, उनको अपना टाइम देना पड़ता है और उनको वहां रहना पड़ता है। अगर वह एक महीने तक गैरहाजिर रहते हैं तो उनकी पोस्ट आटोमैटिक्ली खाली हो जाती है। इस तरह का जहां कड़ा कानून बनाया गया है वहां सुभीता भी दिया गया है। जिला परिषद के लोगों को बहुत सी सुविधाएं भी दी गई हैं। कृष्णमाचारी के रिपोर्ट के दो तीन उद्देश्य जोकि प्रस्ताव म बतलाये गये हैं उनके मुताबिक महाराष्ट्र स्टेट में

[श्री दे० शि० पाटिल]

एक कमेटी आन एडमिनिस्ट्रेटिव रि आर्गनाइजेशन नियुक्त की गई है जिसमें एक जज है और कुछ दूसरे लोग हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ सुझाव देंगे।

आखिर में मैं माथुर साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा प्रताव सदन के सामने लाया, जिसका कि देहातों से गहरा ताल्लुक है और देहात के लोगों के बारे में, गांव पंचायत समिति, और जिला परिषद् और जिला परिषद् के ऊपर का जो स्टेट और सेन्ट्रल ऐडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में यहां कुछ सुझाव देने का अवसर दिया। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस पर अपने विचार प्रकट करने का समय दिया।

†**श्री जसवन्त मेहता** (भावनगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय मित्र श्री माथुर के विचारों से सहमत हूं कि रिपोर्ट से जनता की आकां ा तथा जिला प्रशासन की समस्याओं का पता नहीं लगता। जनसाधारण तो यह चाहता है कि समस्या का शीघ्राति-शीघ्र हल हो, प्रशासन माल दे सकता है या नहीं। जिला प्रशासी सेवाओं का लोकतन्त्रात्मक विकेन्द्रित संस्थाओं तथा राज्य व्यवस्था के साथ क्या संबंध है? कुशल तथा ईमानदार व्यक्ति इन लोकतन्त्रात्मक संस्थाओं में क्यों जाना नहीं चाहते? यदि समान पदावली हो तो कुशल तथा ईमानदार व्यक्ति सेवाओं में जाना चाहेंगे। ये संस्थायें भी ऐसे व्यक्तियों के कारण कठिनाई अनुभव कर रही हैं?

दूसरी बात संस्थाओं के साथ राजनीतिक संबंध की है। कभी कभी लोग कहते है कि संस्थाओं में दल-राजनीति नहीं होनी चाहिये, कभी कहते है होनी चाहिये। रिपोर्ट में राजनीति के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। परन्तु जैसाकि मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि निर्वाचन होने पर राजनीतिक दल आयेंगे। भारत में सर्वोदय दल कहता है कि गांवों में राजनीति नहीं होनी चाहिये। तब, सरकार को विधान में परिवर्तन करना चाहिये।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर**: उन से कहिये कि वे निर्वाचन लड़ें और सरपंच बन जायें।

†**श्री जसवन्त मेहता**: केन्द्रीय सरकार की अपेक्षा ग्राम पंचायत चलाना अधिक कठिन है। लोकतंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण का हाल का सिद्धान्त इस प्रकार बनाया गया है कि जो इस की सूचना देते है, उन्हों ने खेतों में कभी कार्य नहीं किया है। यदि उन्हों ने कार्य किया होता, तो उन्हों ने महसूस किया होता कि समस्यायें क्या है और उन्हे कैसे सुलझाया जाय। फिर, यदि सरकार चाहती है कि लोकतंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण सफल हो तो उन्हें यह भी निश्चय करना चाहिये कि टेक्निकल सेवायें, प्रशासी सेवायें और लेखा सेवायें भी शामिल की जायें।

इस रिपोर्ट में उल्लेख है कि गांवों में आयोजन होना चाहिये। टैक्निकल व्यक्तियों के बिना यह कैसे हो सकता है। फिर, इस में सहकारिता तथा लोकतंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण के बीच सम्बन्ध का उल्लेख है। यदि आप सहकारिता आन्दोलन को सफल बनाना चाहते हैं तो यह विकेन्द्रीकरण के क्षेत्र से बाहर होना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: सभा आज छः बजे तक बैठेगी और सभी वक्ता अपना भाषण आज समाप्त कर देंगे। कल योजना मंत्री उत्तर देंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार):** उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, मैं प्रश्न संख्या १ के एक भाग के बारे में चर्चा में हस्तक्षेप कर रहा हूं। इस प्रश्न का सम्बन्ध विभिन्न स्तरों तथा राज्यों में प्रशासी कर्मचारियों से है। श्री वी० टी० कृष्णमाचारी ने प्रशासी कर्मचारियों का उल्लेख विभिन्न स्तरों पर किया है और एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि राज्य सेवाओं में बड़े पैमाने पर सीधी भर्ती होनी चाहिये। उन्हों ने यह भी शिकायत की थी कि अनेक राज्यों में कई वर्षों से कोई सीधी भर्ती नहीं हुई है। मैं इस अत्यधिक महत्वपूर्ण बात की ओर इस सभा का ध्यान आकर्षित करता हूं।

हम ने श्री कृष्णमाचारी की सिफारिशें प्राप्त होने पर इन सिफारिशों को, विशेषकर बड़े पैमाने पर सीधे भर्ती करने की आवश्यकता की सूचना विभिन्न राज्य सरकारों को दी थी। भारतीय प्रशासन सेवा की भांति राज्य सेवाओं में भी सीधे भर्ती होनी चाहिये ताकि युवक व्यक्ति सेवा में आयें। इस बात की ओर मैं इस सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

हमने राज्यों को अपनी सूचना में कहा है कि राज्य सेवाओं में पूर्ण सुधार होना चाहिये और इस का सुझाव अखिल भरतीय सेवा पर भी होना चाहिये क्योंकि राज्य असैनिक सेवा कर्मचारियों में से कुछ प्रतिशत कर्मचारी पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासी तथा भारतीय पुलिस सेवा में लिये जा सकते हैं। इसी कारण हम उत्सुक हैं कि राज्य असैनिक सेवाओं में भी उचित और समय समय पर युवक व्यक्ति भर्ती किये जायें जैसाकि हम अखिल भारतीय सेवाओं में करते है।

कुछ माननीय सदस्यों को भारतीय प्रशासन सेवा तथा अन्य सेवाओं की ट्रेनिंग के बारे में भारी गलतफहमी है। क्या मैं यह स्पष्ट कर दूं कि हमने मसूरी में एक राष्ट्रीय प्रशासन संस्था बनाई है जहां सभी प्रशिक्षणार्थियों को दो पाठ्यक्रम करने होते है। केवल पिछले तीन वर्षों में नये पाठ्यक्रम पूरी तरह लागू किये गये हैं और दोनों पाठ्यक्रमों का विवरण स्वयं रिपोर्ट में ही दिया गया है। एक पाठ्यक्रम बुनियादी कहलाता है। यह बुनियादी पाठ्यक्रम भारतीय प्रशासन सेवा या भारतीय पुलिस सेवा या भारतीय विदेश सेवा के लिये नहीं, अपितु केन्द्रीय सेवा श्रेणी १ और श्रेणी २ के लिये भी है। उन्हें यह पाठ्यक्रम पांच महीनों में पूरा करना होता है। मैं चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को रखने वाले मेरे माननीय मित्र मसूरी जायें और देखें कि कैसी ट्रेनिंग दी जाती है और यह भी देखें कि हम नये कर्मचारी जिला सेवाओं के लिये किस प्रकार के भर्ती करते हैं।

अब मैं विवरण संख्या ५ की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं जिसमें बुनियादी पाठ्यक्रमों का उल्लेख है। उदाहरणार्थ, यदि आप उन पाठ्यक्रमों को देखें तो आप को पता लगेगा कि हम ने बुनियादी पाठ्यक्रमों को प्रत्येक दृष्टि से यथासंभव अद्यतन बनाने का प्रयास किया है। मैं पाठ्यक्रम के मद संख्या ६ की ओर सभा का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करता हूं जिस में सामाजिक सेवाओं, समाजवाद, कल्याण राज्य, सर्वोदय, गांधी दर्शन तथा अन्य विषयों का उल्लेख है। प्रशिक्षणार्थियों की ट्रेनिंग का यह बुनियादी पाठ्यक्रम है। इन की संख्या ५०० से अधिक है। अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं के कर्मचारियों को इन पाठ्यक्रमों को पूरा करना होता है। हम ने इन पाठ्यक्रमों को प्रगतिशील तथा आदर्श बनाने का प्रयत्न किया है।

इस पाठ्यक्रम के समाप्त होने पर हमारा देश-सम्बन्धी पाठ्यक्रम होता है जो भारतीय प्रशासन सेवा के लिए सात महीने का होता है जिस में प्रशासन और कल्याण की दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण विषय हैं। इस का उल्लेख विवरण संख्या ७ में भी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

एक वर्ष की इस ट्रेनिंग के बाद राज्य सरकारों का काम है कि अखिल भारतीय अधिकारियों को राज्य स्तर पर आगे ट्रेनिंग दें । यह ट्रेनिंग राज्यों में सचिवालय या जिला स्तर पर हो सकती है ।

मेरे माननीय मित्र श्री माथुर ने शिकायत की थी कि अनानुभवी अधिकारियों को जिला अधिकारी बनाया जाता है । उन के एक प्रश्न के उत्तर में मैं ने बताया था कि भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारी छः वर्ष बाद जिला अधिकारी हो सकते हैं । हां इस नियम के कुछ अपवाद हो सकते है । श्री कृष्णमाचारी ने भी बताया है कि अधिकारी को कैसे और ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और उन के इस विशेष कथन को हम ने स्वीकार कर लिया है । इस सम्बन्ध में मैं ट्रेनिंग में ग्राम सम्बन्धी जानकारी की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करता हूं जिस का होना आवश्यक है । अनेक सदस्यों ने ठीक बताया है कि भारत में प्रायः गांव ही है और इसलिये हमारे अधिकारियों की ट्रनिंग में ग्राम संबंधी जानकारी होनी चाहिये । श्री कृष्णमाचारी ने कहा है कि "कार्य सम्बन्धी पाठ्यक्रम में ग्रामीण विकास को एक विषय के रूप में शामिल किया जा सकता है" । सरकार इस बारे में कार्यवाही कर रही है ताकि कार्य सम्बन्धी पाठ्यक्रम का लाभ और भी बढ़ जायेगा ।

फिर, मेरे माननीय मित्र ने साधारण मत व्यक्त करते हुए कहा था कि महत्वपूर्ण बातों पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता । वह हमारे इन पाठ्यक्रमों को पढ़ें और देखें कि हमारे प्रशिक्षणार्थियों को संस्था में कैसी ट्रेनिंग मिलती है । यदि फिर भी कोई शिकायत होगी तो सरकार उस की जांच करने को तैयार है ।

मेरे माननीय मित्र श्री मुकर्जी ने शिकायत की थी कि यह संस्था शिक्षा सम्बन्धी है और मसूरी में है । उन्हें यह बात समझनी चाहिये कि इतनी विस्तृत ट्रेनिंग मसूरी जैसे स्थान में होनी चाहिये जहां बड़े ध्यान से ट्रेनिंग ली जाती है और बाद में समूचे देश की यात्रा की जाती है । इस के अतिरिक्त, श्री माथुर ने कहा था कि कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की भान्ति कर्मचारी संख्या नहीं बढ़ रही है । उन्हों ने मैसूर और मद्रास का विशेष उल्लेख किया था । इस बारे में उन्हें ध्यान रखना चाहिये कि मद्रास के कुछ क्षेत्र मैसूर राज्य में मिला दिये गये थे । इसी कारण संख्या १५१ से घट कर १४१ हो गई है ।

मैसूर के बारे में आप को पता लगेगा कि मैसूर में अखिल भारतीय पदाली लगभग १९५१ में बनी थी और उस समय इन की संख्या ४५ थी और अब १०० हैं और आवश्यक है कि प्राशासी तथा विकास आवश्यकताओं के कारण इस में वृद्धि होगी । अभी हमें २४०० अधिकारियों की आवश्यकता है और हमारे पास लगभग १९०० है और यही कारण है कि हमें और अधिकारी चाहियें ।

दूसरी बात उन्हों ने यह कही थी कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की संख्या नहीं बढ़ रही है । इस में कुछ सचाई है । हम ने इसी विशेष कारण से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने के लिये परीक्षा पूर्व ट्रेनिंग कक्षा आरम्भ की है । इस का परिणाम बहुत अच्छा रहा है और माननीय सदस्य देखेंगे कि अब ऐसे उम्मीदवारों की भर्ती की संख्या काफ़ी बढ़ रही है । सरकार एक केन्द्र दक्षिण मे खोलने के लिये उत्सुक है ।

इन परिस्थितियों जबकि उन्हें अध्ययन पाठ्यक्रम, आदि का उल्लेख किया गया था, इन के बारे में कुछ सुझाव देना उन का कर्त्तव्य था । माननीय सदस्यों ने राज्य असैनिक सेवाओं में नई

भर्ती की बात नहीं कही । इस ओर हम विभिन्न राज्यों का ध्यान आकर्षित कर रहे है । हम यह भी प्रयत्न कर रहे हैं कि भारतीय प्रशासन सेवा में भर्ती में धीरे धीरे वृद्धि हो । वर्ष १९५९ से हम ७३ व्यक्ति ले रहे हैं । वर्ष १९६१ में हम ने ९९ व्यक्ति भर्ती किये । हम इस से भी अधिक व्यक्ति भर्ती करना चाहते हैं । इन परिस्थितियों में, जहां तक उन्हें विशेष प्रश्नों के बारे में कहा गया था, उन्हों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये है जिन्हें भारत सरकार ने प्रायः स्वीकार कर लिया है । जहां तक उन्हें लागू करना राज्य सरकारों का काम है, हम ने उन से पूरी तरह उन का पालन करने की प्रार्थना की है । यह भी प्रार्थना की है कि राज्य सेवाओं में युवक, कुशल व्यक्ति लिये जाये जैसाकि भारतीय प्रशासन सेवा में होता है ।

श्रीमती सावित्री निगम (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसिस एंड प्रोब्लम्स आफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो रिपोर्ट आज सदन के सम्मुख है, मैं इस का हार्दिक समर्थन करती हूं । मैं भी उन लोगों का साथ देना चाहती हूं जिन्हों ने श्री माथुर साहब का अभिनन्दन किया है, जिन के प्रयत्नों से कि सदन के सामने इतने महत्वपूर्ण विषय को आज लाया जा सका है ।

यह बात हम सब लोग जानते हैं कि आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रटिव सर्विसिस के सामने और देश के सामने एक बहुत परिवर्तनशील समय आ गया है । लोक सभा से लगा कर ग्राम सभा तक जो एक नई क्रान्ति डमोक्रटिक डिसेंट्रलाइज़ेशन द्वारा आई है, इस ने कई समस्यायें खड़ी कर दी हैं । अभी कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात को सदन के सम्मुख रखा है कि आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिस प्रकार का कोआर्डिनेशन होना चाहिय, वह नहीं हो रहा है । इस में सन्देह नहीं है कि यह समस्या आज न केवल डिस्ट्रिक्ट के जो बड़े अधिकारी है और जो बड़े नेता हैं, उन के सामने है, वरन् यह समस्या देश के सभी बड़े बड़े नेताओं के सामने भी है ।

इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि यदि दो, तीन बातों के ऊपर ध्यान दिया जाय और उनमें कुछ संशोधन ला दिये जायं तो बहुत सुविधाएं हो सकती हैं ।

अभी इस बात की यहां चर्चा हुई कि आई० ए० एस० और आई० पी० एस० आफिसर्स की ट्रेनिंग की व्यवस्था त्रुटिपूर्ण है । लेकिन मुझे उस ट्रेनिंग की व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है क्योंकि मैंने स्वयं ट्रेनिंग स्कूल में जाकर देखा है और मुझे उससे बहुत सन्तोष है लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह ज़रूर कहना चाहती हूं कि वहां से कुछ ट्रेनिंग पाने के पश्चात् यदि इन सारे यंग आई० ए० एस० आफिसर्स को कम से कम पांच साल के लिए ब्लाक डेवलपमेंट का काम दे दिया जाय तो यह सारी शिकायतें कि इनमें अभी रूरल बायस नहीं होती है, दूर हो जायेंगी । इस व्यवस्था के अभाव में उनको ऐडमिनिस्ट्रेशन का और अपनी जो भी ग्राम की समस्याएं हैं, पंचायती राज्य की जो समस्याएं हैं, उनका उन्हें पता नहीं रहता और उनमें कोआरडिनेशन नहीं कर पाते । अगर इस प्रकार का एक परिवर्तन ला दिया जाय और इसकी व्यवस्था कर दी जाय कि कोई भी आई० ए० एस० आफ़िसर सीधा डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज न बन कर पहले ४ या ५ साल के लिये ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर का काम करे तो यह विलेज वाएस की शिकायत नहीं रहेगी। मैंने देखा कि राजस्थान में कुछ ऐसे अफ़सरों की नियुक्ति हुई और उन को वहां पर ट्रेनिंग मिली । मैंने उन अफ़सरों में और उन अफ़सरों में, जो कि नियुक्त होकर सीधे एडमिनिस्ट्रेशन के कामों में रख दिये ज़ाते हैं, और उन दोनों के एपरोच में ज़मीन आस्मान का फ़र्क देखा ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : श्री वी० टी० कृष्णमाचारी ने उसको अपोज़ किया है ।

श्रीमती सावित्री निगम: मुझे अफ़सोस है कि माननीय सदस्य, श्री माथुर, कह रहे हैं कि उन्होंने अपोज़ किया है। मैं तो कहती हूं कि उन्होंने अपोज़ नहीं किया है, बल्कि उन्होंने उसको इतना एम्फ़ा-साइज़ नहीं किया है, जितना कि उनको करना चाहिए था।

जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव डीलेज़ का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहती हूं कि राजस्थान में एक डेमोक्रेटिक डीसेंट्रलाइज़ेशन फण्ड बनाया गया है दो करोड़ रुपए का और उस फण्ड से, जो भी ग्राण्ट्स वग़ैरह होती हैं वे तुरन्त दे दी जाती हैं और बाद में कार्यवाही होती रहती है। इसी तरह से अगर सब स्टेट्स में डेमोक्रेटिक डीसेंट्रलाइज़ेशन फण्ड बनाने की व्यवस्था कर दी जाए और प्लानिंग कमीशन से उनको ग्रांट्स मिल जायें, तो मैं समझती हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डीलेज की बहुत कुछ शिकायतें दूर हो सकती हैं।

इसके बाद मैं यह कहना चाहती हूं कि.....

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्या समाप्त करें, क्योंकि बहुत से माननीय सदस्यों बोलना चाहते हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : उपाध्यक्ष महोदय, दस मिनट तो मिलने चाहिएं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, सात मिनट से ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता है। माननीय सदस्या साट मिनट ले चुकी हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : मैं अभी समाप्त करती हूं।

यदि तमाम डिपार्टमेंडल हैड्ज़ डेमोक्रेटिक डीसेंट्रलाइज़ेशन की ज़िला परिषदों वग़ैरह में रख दिए जायें, जिस तरह से कि और टेक्निकल डिपार्टमेंट्स तथा पी० डब्ल्यू० डी० वग़ैरह रखे गए हैं, तो मैं समझती हूं कि बहुत अच्छा को-आर्डिनेशन हो सकेगा और काम में जल्दी आ सकेगी।

एक बात और कह कर मैं समाप्त कर दूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो दूसरी बात हो गई। माननीय सदस्या अब समाप्त करें।

श्रीमती सावित्री नगम : मैं सिर्फ एक बात और कहूंगी।

यह कहा गया है कि डेमोक्रेटिक डीसेंट्रलाइज़ेशन की इस्टीट्यूशन्ज़ को फण्ड्ज़ देने की व्यवस्था की जाए ; यह बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए, जो सबसे अधिक प्रमुख है, और वह यह है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स के अधिकारी हों, यदि उनको एक प्रकार की ओरियन्टेशन की ट्रेनिंग दे दी जाए, तो वे सब समस्यायें, जो कि आज उनकी नावाक़िफ़यत की वजह से पैदा होती है, कम हो जायेंगी।

जिन पंचायतों में युनैनिमस इलैक्शन हो उनको कुछ विशेष सुविधा देनी चाहिए।

जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि वहां पर पोलीटीकल सवाल लाया जाए या नहीं.....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या अब समाप्त करें। श्री माथुर।

श्रीमती सावित्री निगम : थैंक यू।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर: माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि मद्रास में भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या इस कारण भी बढ़ी क्योंकि वहां के कुछ जिले मैसूर में स्थानान्तरित कर दिये गये। तथापि इससे मैसूर में भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या नहीं बढ़ी। वहां १९५८ में यह संख्या १०० थी और आज भी १०० है। तथापि मेरा प्रश्न यह था कि क्या सचिवालय में विभागीय अधिकारियों के रूप में ज्येष्ठ अधिकारियों का जमाव है या नहीं ? इस प्रश्न का माननीय मन्त्री ने कोई उत्तर नहीं दिया।

श्री काशीराम गुप्त (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मुझे यह निवेदन करना है कि समय के बंटवारे के बारे में जो पूंजीवादी व्यवस्था इस सदन में चलाई गई है, उसको समाप्त करना चाहिए। पहला माननीय सदस्य आध घंटा लेता है, दूसरा पच्चीस मिनट, तीसरा बीस मिनट, फिर बीस मिनट, फिर पन्द्रह मिनट और फिर दस मिनट और उसके बाद आप सात मिनट पर आ जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस के माने तो यह हुए कि जो सदस्य ज्यादा देर बैठे, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं इस तरीके का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि आप इस तरफ़ ध्यान देंगे।

डेमोक्रेटिक डीसेंट्रलाइज़ेशन में राजनीति की बात कही जाती है। माननीय सदस्य, श्री माथुर, ने जिस बात को उठाया, वह तो कुछ विषयान्तर की बात थी। मैं तो यह कहूंगा कि यह एक बहुत लम्बा-चौड़ा झगड़ा है। अगर आप गांवों वालों से पूछें, तो वे सीधी बात कहते हैं कि खाद, पानी और बीज में राजनीति नहीं आती है—उसमें न तो कांग्रेस आती है, न सोशलिस्ट आते हैं और न कम्युनिस्ट आते हैं। अगर इस बारे में बड़े बड़े लोगों की मिसाल दी जाए, इंग्लैण्ड की मिसाल दी जाए, तो वे मिसालें यहां लागू नहीं होतीं, क्योंकि वहां पर फेड्रल गवर्नमेंट नहीं है। अगर नम्बूदरीपाद साहब की मिसाल दी जाए, तो वह मिसाल भी लागू नहीं होती है, क्योंकि वह पार्टी सिस्टम एक दूसरे तरीके का है।

अगर व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए, तो आज गांवों में यह स्थिति है कि चाहे कांग्रेस का ही ज़िला प्रमुख हो, लेकिन अगर कांग्रेसी आपस में लड़ पड़ते हैं, तो कांग्रेस वाले ही उसके ख़िलाफ अविश्वास-प्रस्ताव ले आते हैं, चाहे वह कितना ही अच्छा काम क्यों न करता हो। इसी लिए श्री वी० टी० कृष्णमाचारी इस झगड़े में नहीं पड़े, हालांकि अगर वह चाहते, तो पड़ सकते थे।

जो लोग वहां से सीख कर आते हैं, उनको सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन अमल करने में जो सबसे बड़ी कठिनाई और बाधा उनके सामने आती है, वह राजनीतिक पार्टियां हैं। अभी वे स्वयं ठीक ढंग से काम नहीं कर रही हैं। पन्द्रह साल के बाद भी यह फ़ैसला नहीं हो सका है कि किस कन्वेन्शन के अनुसार कलेक्टर किन पार्टियों से किस तरह से मिलें। रूलिंग पार्टी का प्रैज़िडेंट कहता है कि कलेक्टर को टेलीफोन पर ही मेरी बात को मान लेना चाहिये, जबकि दूसरी पार्टियों वाले विरोध प्रकट करते हैं कि जो कलेक्टर इन बातों में नया है, उसके लिये सारी झंझट पोलीटिकल पार्टिज़ पैदा करती हैं।

अंग्रेजों के जमाने में कलेक्टर के बारे में कहा जाता है कि किसी आफिसर को दस पन्द्रह साल तक काम करने के बाद कलेक्टर मुकर्रर किया जाता था। मैं कहना चाहता हूं कि वह तरीका दूसरा था। आज कलैक्टर बनने के लिये किसी आफिसर को दस पन्द्रह साल तक काम करने की जरूरत नहीं है। वह पांच सात साल में कलेक्टर बन सकता है लेकिन ट्रेनिंग में कमी है। उसको यह अभ्यास नहीं कराया

के बारे में प्रस्ताव

[श्री काशीराम गुप्त]

जाता है कि उसको अपने खुद के जीवन में कितना परिवर्तन लाना है। हम देखते कलेक्टर या एस० ग्रो० बनने के बाद वह ग्राफिसर वही बढ़िया कपड़े पहनेगा और गांव के सादा कपड़े नहीं पहनेगा, क्योंकि उस को ज्यादा तनख्वाह मिलती है। इसलिये उसके जीवन पर यह कंट्रोल किया जाये कि उसकी तनख्वाह तो ज्यादा रहे, लेकिन उसके खर्च पर कंट्रोल हो और वह गांव के एक साधारण ग्रादमी से ग्रधिक खर्च न कर सके। यदि ऐसा किया जायगा, तो उसको ग्रनुभव होगा कि वह सही काम करता है या नहीं। हम सार्वजनिक क्षेत्र में देखते है कि एक मामूली दूकानदार से हम पचास रुपये चन्दा ले लेते हैं, लेकिन ग्रगर किसी कलेक्टर से पांच रुपये मांगे जायें, तो उस को पसीना ग्रा जाता है ग्रौर वह कहता है कि मैं कैसे दूं। ग्राज रूरल बायस लाने की बात कही जाती है। रूरल बायस कैसे ग्राये वह नहीं ग्रा सकता है, जब तक कि बेसिक बातों के बारे में हम उसके जीवन को सही तरीके से कंट्रोल न करें।

ग्राज हमारे ग्राफिसर्ज इतने कमजोर हो गये हैं कि उन को यह डर रहता है कि हालांकि राजनीतिक लोग हमारा ग्रौर कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी हम को ट्रांस्फर करवा देगी। जो लोग ट्रांस्फर से डरते हैं ग्रौर जो लोग संघर्ष में नहीं पड़ना चाहते हैं, निश्चित रूप से उन की ट्रेनिंग में कहीं न कहीं खराबी है। वे लोग ट्रेनिंग पढ़ने के दृष्टिकोण से लेते हैं। ग्रगर वे कार्य के दृष्टिकोण से ट्रेनिंग लें, तो उनकी जवाबदारी हो जाती है।

जहां तक राजनीतिक पार्टियों का सम्बन्ध है, इस देश में एक एक हाउस में बारह बारह, तेरह तेरह पार्टियां होती हैं। किसी भी प्रजातांत्रिक देश में दो तीन से ज्यादा पार्टियां नहीं होती हैं। यह दिशा एक हैल्दी डैमोक्रेसी की निशानी नहीं है। इसके लिये कौन जिम्मेदार है, या ग्रकेली पार्टीज या ग्रकेली जनता जिम्मेदार है ? सब जिम्मेदार हैं।

उन्हों ने स्टेट्स की सर्विसेज के बारे में जो रिकमेंडेशन्स की हैं, वह सही है। वहां पर तो कोई काम्पीटीशन से नहीं लिया जाता है। वहां पर तहसीलदार का कैडर नहीं होता था। केवल नायब-तहसीलदार से प्रोमोशन हो जाना शुरू हो जाता था। उन्हीं लोगों के हाथ में हमने विकेन्द्रीकरण किया हुग्रा है। उस विकेन्द्रीकरण को सही रूप से चलाने के लिये उनकी ट्रेनिंग की बहुत ग्रावश्यकता है।

[ग्रध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

एडवाइजरी कौंसिल बनाने के बारे में एक खास बात यह लिखी हुई है कि उस में एम्मिनेंट पब्लिक मैन होने चाहियें। वे एम्मीनेंट पब्लिक मैन कौन हैं ग्रौर उन की परिभाषा क्या है, यह उस रिपोर्ट में नहीं है। ग्राज एम्मीनेंट पब्लिक मैन की ग्रलग ग्रलग ग्रौर ग्रजीब ग्रजीब परिभाषा दी जाती है। ग्रगर पालीटिशियन से पूछा जाये, तो वह ग्रपनी परिभाषा करेगा। ग्रगर सर्वोदय वालों से पूछा जाये, तो वह ग्रपनी परिभाषा देंगे। जो लोग राजनीति में भाग नहीं लेते हैं ग्रौर उस क्षेत्र में काम करते हैं, जिस को रचनात्मक काम कहा जाता है चाहे वह सर्वोदयी न हो, ग्रगर उनसे पूछा जाये, तो वे कोई ग्रौर ही परिभाषा देंगे। सारा झगड़ा एम्मीनेंट पब्लिक मैन की परिभाषा का है।

मेरा कहना है कि इस रिपोर्ट में तीन बातों की कमी है। इस में एक व्यावहारिक दृष्टिकोण से इस समस्या का विश्लेषण नहीं किया गया है, बल्कि उन्होंने केवल कागजी बातें रख दी हैं। ग्रगर वह एक व्यावहारिक दृष्टिकोण रखते, तो उन को इन सुझावों में कुछ ग्रन्तर लाने की ग्रावश्यकता पड़ती।

दूसरी कमी यह है कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आई ए० एस० कैडर के लोग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्ज में काम करें । वे फैल्योर साबित हुए हैं । आज के युग में इंडस्ट्रियल अन्डरटेकिंग्स का तौर तरीका बिल्कुल भिन्न है, उसके लिये एक सैपरेट ट्रेनिंग की आवश्यकता है । अगर कोई समझता हो कि उन को जो ट्रेनिंग दीगई है, काफी है और वे सब जगह काम कर सकते हैं, तो वह गलती पर है । अंग्रेज के जमाने में वे यह काम कर सकते थे और हमारी पंचवर्षीय योजानाओं के प्रारम्भिक काल में भीकर सकते थे । लेकिन चूंकि अब सरकार इंडस्ट्रियल अन्डरटेकिंग्स को चलाने लगी है, इसलिये उनमें विशेष टैक्नीकल तरीके के लोगों को रखना चाहिये । इस रिपोर्ट में इसके बारे में सुझाव नहीं दिया गया है । उसकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये ।

एक मल बात जो उस के सामने रखी गई थी, वह यह थी कि कितने आदमी हमको इस वक्त चाहियें । इसमें उन्होंने एक महत्व की बात कही है कि राय ले ली गई है और बिना स्टैण्डर्ड को गिराये हुए इतने परसेन्ट आदमी आ सकते हैं । इसका मतलब यह है कि उन्हों ने यह भी अन्दाजा लगाया है कि हमारे लोगों में से कितने लोग प्रति वर्ष ऐसे मिल सकते हैं कि जो स्टैण्डर्ड के हों, जो योग्य हों। रिपोर्ट पेश करते वक्त बहुत सूझ बूझ से काम लिया गया है । लेकिन जो राजनीति का असर उस में आता है वह इतना बड़ा सबजैक्ट है, इतना बड़ा विषय है कि उसके बारे में अलहदा से बहस करने की आवश्यकता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हाउस के जो सदस्यगण हैं वह इस विषय पर बहुत गहराई से अध्ययन करें । केवल भाषण ही न करें, केवल बहस से ही न करें बल्कि थीसिस लिखें, कैम्प लगावें और फिर सब कुछ गांव वालों के पास जा कर करें क्योंकि इस का आखिरी फैसला गांव वाले ही कर सकते हैं । राजनीति गांव में किस तरह से टिक सकती है और किस तरह से टिक नहीं सकती है, इसका गांव वाले ही सब से अच्छा फैसला कर सकते हैं ।

इस विषय को हमें यहीं समाप्त नहीं कर देना चाहिये । इस विषय पर हमें निरन्तर सोचते विचारते रहना चाहिये, इसको अनुभव करते रहना चाहिये और ग्रामों में करते रहना चाहिये, और गांव वालों को खुद अपना मार्ग निश्चित करने का मौका देना चाहिये ।

श्री शिव नारायण (वाँसी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप की इजाजत से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कराची में हमने जो एक रेज़ोल्यूशन पास किया, कराची में कांग्रेस ने जो एक रेज़ोल्यूशन पास किया था, उस पर अगर आज अमल हो तो मैं कहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन ठीक हो सकता है । आज बड़ा झगड़ा इस बात का है कि सेन्टर में जो सेक्रेटरी हैं, उसको ज्यादा तनख्वाह मिलती है, यहां का जो चपरासी होता है, उस को ठीक तनख्वाह मिलती है, लेकिन दूसरी जगहों पर ऐसा नहीं होता है । इस को लेकर एक बड़ा कनफिलक्ट चलता है ।

मैं जिले की बात कहना चाहता हूं। आज आपने जिला परिषद् और तमाम अफसरों का एमलगामेशन कर दिया है । सबको मिला दिया है, और इससे एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा घपला हुआ है । लेकिन आज उन सबमें सहयोग नहीं है । मैं ज़िला परिषद् का मैम्बर हूं । मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि उन में आपस में कोआपरेशन नहीं है, कोई कोआर्डिनेशन नहीं है । असल बात जो है यह है कि स्केल आफ जजमेंट जो है, वह सही होनी चाहिये । जो कम्पटीशन हों वह विदाउट कास्ट और क्रीड का ख्याल किये हो, जो भी चाहे उसको उसमें बिठा दीजिये । हिन्दू, मुसलमान, ब्राह्मण, नान-ब्राह्मण का कोई डिस्टिंकशन नहीं होना चाहिये । उस कम्पटीशन में जो लड़का निकल आये उसको आप ले लीजिये मुझे इस में कोई शिकायत नहीं होगी । मैं यह बात ईमानदारी के साथ कह रहा हूं । एक पैमाना निश्चित होना चाहिये । दातार साहब ने कहा है कि एक्सैप्शनल केसेज़ में कोई दूसरा पैमाना होगा । मैं पूछना

[श्री शिव नारायण]

चाहता हूं कि इस एक्सैपशनल का क्या मतलब है ; जब आदमी छः बरस के बाद डिस्ट्रिक्ड मैजिस्ट्रेट हो जाता है तब एडमिनिस्ट्रशन कैसे ठीक हो सकता है । अंग्रेजों के जमाने में मैं ने देखा है कि कानूनगो से पहले तहसीलदार बनता था तहसीलदार से डिप्टी बनता था और डिप्टी से कलैक्टर बनता था । पहले एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होता है । उन को अनुभव होता था जो इन औहदों पर लगाये जाते थे । आज लड़के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बन गये हैं । वायज बन गये हैं । तब वायज कलैक्टर नहीं हुआ करते थे । यह सब घपला है । उन से सीनियर पड़े हुए हैं, लेकिन उनको बना दिया गया है ।

माननीय यशपाल सिंह जी ने जो कहा है मैं उससे एग्री नहीं करता हूं । हमारे पास भी बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं । मेरे जिले में एक कलैक्टर हुआ करते थे जो आज दिल्ली में हैं, और उन का नाम मलिक बोस है । ही वाज कलैक्टर आफ माई डिस्ट्रिक्ट। पैदल गांव गांव में वह घूमा करते थे । आज भी हमारे पास अच्छे नौजवान काम करने वाले हैं । लेकिन मान्यवर, उन को उंगलियों पर बिना जा सकता है । आज उनमें सहयोग को भावना होनी चाहिये, उनमें कोआप्रेशन होना चाहिये, उन में कोआर्डिनेशन होना चाहिये । सादा जीवन व्यतीत करने की उन को शिक्षा दी जानी चाहिये । हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम जो गांधी टोपी पहनते हैं, उन्हीं ने सब बातों का ठेका ले रखा है । मुझे मालूम है कि आफिसर्स में भी ईमानदार लोग हैं, लेकिन कम हैं ।

मैं तो कहूंगा कि जो कराची रेज़ोल्यूशन था, उस को लागू किया जाय । आज इमरजैन्सी का पीरियड है । दो हजार और तीन हजार किसी को तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिये । पांच सौ रुपये में हमारे मिनिस्टर काम करें और हम दो सौ रुपये में वर्क करें । एक पैमाना रख दीजिये । देश का हर आदमी उससे एग्री करेगा । किसान हो या कोई दूसरा बड़ा आदमी, सबके लिये एक पैमाना होना चाहिये । अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो आपकी पालिसी है उस पर आप टिक नहीं पायगे । जो एडमिनिस्ट्रेशन है यह सख्ती से चलता है । इस में किसी से किसी प्रकार की रियायत नहीं होनी चाहिये । मान्यवर चाणक्य ने कहा था । "षठै षाठयम् समाचरेत् ।" हमारे हिन्दुस्तान में चाणक्य से बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर आज तक नहीं हुआ है । हमें भी उस पालिसी पर अमल करना चाहिये ।

मान्यवर, मैं उस जिले से आता हूं, जिसके बारे में कहा गया है कि सब से बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है । इस की रिपोर्ट आप के पास है । शायद इस से और ज्यादा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट सारे भारत में दूसरा नहीं है । लेकिन वहां पर प्लानिंग मिनिस्टर नहीं गये हैं, प्लानिंग कमीशन नहीं गया है । क्या वजह है ? किस तरह से लोगों में उत्साह पैदा हो सकता है । रफी साहब जब फूड मिनिस्टर थे वो एक बार जब हम बस्ती में बैठे हुए थे, एकाएक पहुंच गये चैकिंग करने के लिये। उन्होंने देखा कि कंट्रोल किस प्रकार चल रहा है और क्या गड़बड़ी है । जब इस तरह से किया जाता है, तभी एडमिनिस्ट्रेशन चल सकता है । इस से लोगों में डर रहता है । आज कोई चैकिंग नहीं होती है । एक मिनिस्टर जब चलता है तो सभी तरफ तारें पहुंच जाती हैं । वायरलैस के जरिये मैसेज पहुंच जाते हैं और बड़े ठाट बाट सेवहां पहुंच जाता है । मैं चाहता हूं कि आप सरप्राइज विजिट करें । आप यहां बैठे हुए हैं । देखें कि दफ्तरों में क्या काम हो रहा है । मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि लखनऊ सैक्रेटरिएट से यहां के सैक्रेटेरिएट में कम काम होता है । अज इमरजेंसी का पीरियड है । हमें केवल मिमिलटरी पर निर्भर नहीं करना है । आज जो जहां बैठा हुआ है, उस को वहीं पर बैठे रह कर डट कर काम करना है । मैं यह नहीं कहता हूं कि जो आठ घंटे काम करता है वह नौ घंटे काम करे । लेकिन आठ घंटे ही जम कर वह काम करे । आज तो आठ घंटे भी काम नहीं हो रहा है इस तरह की बातें जब मैं कहता हूं तो बुरा मना लिया जाता है, लोग फील कर जाते हैं । लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिये । जो भी जिस सर्विस में आया है वह अपनी

खुशी से आया है, किसी के साथ किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं हुई है। किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया है, जो पालिटिक्स में आया है, वह खुशी से आया है, जो डाक्टर बना है, वह खुशी से बना है। जो इंजीनियर बना है, वह खुशी से बना है। हर आदमी जहां भी है, जिस डिपार्टमेंट में भी है, वहां खुशी से गया है।

मैं समझता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने के लिये स्केल आफ जजमेंट ठीक होना चाहिये। लोगों को आनेस्ट होना चाहिये। ये बहुत जरूरी हैं। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिये। गुस्ताखी माफ की जाये, कि अगर मैं कहूं कि इस भेदभाव के कारण ही बहुत सी बाधायें खड़ी हो जाती हैं। काम ठीक नहीं हो पाता है। इन सबका मुकाबला हम को आज करना पड़ रहा है। हमारे देश में आज जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है वह भेदभाव के कारण ही उत्पन्न हुई है। इसी के कारण हम पिछड़े रह गये हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आज अगर स्केल आफ जजमेंट ठीक हो जाये तो कल को एडमिनिस्ट्रेशन ठीक हो जायेगा।

†**श्री कृष्ण पाल सिंह** (कलेसर) : मैंने अपना जीवन एक अवैतनिक डिप्टी कलक्टर के रूप में आरम्भ किया था उस समय मेरे जिले में अर्थात् एटा में जो कि उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला है, केवल तीन डिप्टी कलक्टर हुआ करते थे जब कि अब पांच डिप्टी कलक्टर और कम से कम तीन राजस्व अधिकारी हुआ करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। वस्तुतः जिस समय जिलों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की गयी थी उस समय यह समझा गया था कि प्रशासकीय और न्यायिक कार्य का प्रथक्करण कर दिया जायगा तथापि न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के उपरांत भी प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई। वस्तुतः आवश्यकता का विचार किये बिना ही नई नियुक्तियां की जाती ह। इस समय हमें प्रतिरक्षा के लिये धन की आवश्यकता है अतः इसमें कटौती की जानी चाहिए।

नई नियुक्तियों की जरूरत पर ध्यान दिये बिना नये पदों का निर्माण किया जा रहा है। प्रशासन के व्यय में पर्याप्त वृद्धि हुई है उनके कारणों की जांच करने और उनमें कमी करने की सिफारिश करने के लिये एक उच्चतर आयोग नियुक्त किया जाये।

अधिकारियों द्वारा अधिक क्षेत्र कार्य किये जाने की आवश्यकता है। सरकार को सेवाओं में भरती होने वाले व्यक्तियों के चरित्र की जांच करनी चाहिये।

पंचायतों में राजनीति को प्रविष्ट नहीं होने देना चाहिए।

†**श्री मान सिंह पू० पटेल** (मेहसाना) : इस बात को देखते हुए कि जिलों में पंचायत राज प्रणाली जारी की जानी है इस प्रतिवेदन को एक आवश्यक कदम कहा जा सकता है। यह दुख का विषय है कि आपतकाल के कारण पंचायतों के निर्माण में विलम्ब होगा। मैं पंचायत राज प्रणाली के सम्बन्ध में ही अपने विचार व्यक्त करूंगा।

यह शिकायत की गयी है कि जिला स्तर पर विभिन्न विभागाध्यक्षों के बीच कोई समन्वय नहीं है। किसी स्तर पर कोई संस्था होनी चाहिए जिसके प्रति समस्त विभागाध्यक्ष उत्तर-दायी हों।

वस्तुतः आवश्यकता यह है कि समस्त प्रशासन का अनेक तरीकों से पुनर्गठन किया जाये तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय किया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : अध्यक्ष महोदय, हम सभी श्री माथुर जी के आभारी हैं जिन्होंने केन्द्रीय और राजकीय प्रशासनिक सेवाओं के बारे में और जिलों के अन्दर जो प्रशासनिक सेवा बनने वाली है उसके सम्बन्ध में माननीय श्री वी० टी० कृष्णमाचारी के प्रतिवेदन पर बहस करने का मौका दिया।

प्रजातांत्रिक प्रशासन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं समय समय पर खड़ी होती रहती हैं। जब से हिन्दुस्तान में हम आजाद हुए हैं, मेरा खयाल है तब से इस सदन में और इस सदन के बाहर बराबर इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि बदली हुई अवस्था में जब कि राज्य एक पुलिस स्टेट से बदल कर कल्याणकारी राज्य में परिवर्तित हो रहा है, और जब कि हम विकेन्द्रीकरण के आधार पर ग्राम से लेकर और केन्द्रीय सरकार तक इस तरह की पद्धति चलाना चाहते हैं, उस समय यह बहुत आवश्यक है कि इन तमाम समस्याओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के लिए एक बड़े आयोग की नियुक्ति की जाये। समय-समय पर जब इस सदन में इस बात पर जोर दिया गया तो सरकार केवल एक आदमी की कमेटी बना कर और यह काम किसी एक अफसर के जिम्मे कर के इस काम को बराबर टालती रही। यह सही है कि जिन सरकारी अफसरों को इस काम का भार दिया गया उन्होंने समय-समय पर सुझाव दिये हैं और उनके अनुसार अभी तक, पूरे तौर पर तो नहीं, कुछ सुधार किये गये हैं। प्रजातांत्रिक जीवन में सरकार का या सरकारी कर्मचारियों का महत्व बहुत बढ़ गया है क्योंकि हम उन से आज केवल प्रशासन या पुलिस का ही काम नहीं करवाना चाहते बल्कि हमारे सारे आर्थिक तथा सामाजिक कामों की भी जवाबदेही उन्हीं पर है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि इस दिशा में बहुत सुधार हुआ है, लेकिन इस समस्या पर एक बड़े आयोग को गम्भीरतापूर्वक सारे पहलुओं पर विचार करने की जरूरत है। और जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा तब तक इस सदन में और इस सदन के बाहर सरकारी प्रशासन की समालोचना होती ही रहेगी।

चूंकि समय कम है इसलिए इस रिपोर्ट के बारे में जहां तक आई० ए० एस० और स्टेट सरविस का सम्बन्ध है, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। यह सही है कि विकेन्द्रीकरण के कारण जो सरकारी कर्मचारी पर जिम्मेवारी आ गयी है उसको पूरा करने के लिए जो उनकी शिक्षा संस्थाएं हैं और जो उनके लिए सिलेबस है उसमें बहुत परिवर्तन कर दिया गया है और मैं समझता हूं कि उससे कुछ सुधार हुआ है। लेकिन जब ये लोग ट्रेनिंग प्राप्त करके देहात में काम करने के लिए जाते हैं तो इनकी वही मनोवृत्ति अभी भी दिखाई देती है जो पहले थी।

मैं माननीय मंत्री जी से खास तौर से कहूंगा कि वे इस बात का पता लगावें कि जब किसी सरकारी अफसर को ब्लाक समिति के क्षेत्र में नियुक्त किया जाता है और उससे कहा जाता है कि दो चार वर्ष तुम को उस क्षेत्र में रहना पड़ेगा तो कोई सरकारी अफसर खुशी से देहात में काम करने नहीं जाना चाहता। वह इसलिए जाता है क्योंकि उसको वहां जाना जरूरी है। अगर उसकी मरजी पर छोड़ा जाये तो वह देहात में जाना पसन्द न करे। जितने विकेन्द्रीकरण के काम हमने अपने ऊपर लिए हैं उनको पूरा करने की जो जिम्मेवारी है उसको लेने के लिए जिस तरह का रस और इंटरेस्ट होना चाहिए, मेरा खयाल है कि प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षण पाने के बाद भी वह रस उन लोगों में नहीं आता। मेरी समझ में नहीं आता कि उनकी यह मनोवृत्ति किस प्रशिक्षण या शिक्षा से दूर होगी।

साथ साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि जो लोग देहातों में काम करने के लिए भेजे जाते ह और जो लोग कचहरी में बैठ कर या जिले के हैडक्वार्टर में बैठ कर काम करते हैं, उनके वेतन में कोई फर्क नहीं है। जो कर्मचारी जिले के हैडक्वार्टर पर रहते हैं उनके बच्चों के पढ़ने लिखने का इन्तिजाम रहता है और वे साधारण तरह से बिना कठिनाई का जीवन व्यतीत करते हैं और उसी तनखाह के कर्मचारी को ज़ो ब्लाक लेविल पर काम करने भेजा जाता है तो न उसके बच्चों के पढ़ने का इन्तिजाम होता है और न और किसी बात का और बराबर उसकी यह चाहना रहती है कि किसी प्रकार वह इस काम को छोड़ कर जिले के हेडक्वार्टर पर आ जाये।

मैं यह तो नहीं कहता कि स्वराज्य मिलने के बाद सरकारी अफसरों की मनोवृत्ति बिल्कुल नहीं बदली है। बहुत कुछ बदली है, लेकिन अभी भी उनमें देहाती क्षेत्रों में जाकर मिशनरी जील से काम करने की वृत्ति नहीं आ पायी है। श्री कृष्णमाचारी के इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये हैं लेकिन मुझे उनसे सन्तोष नहीं हुआ। वह अफसर हैं, उनको एक काम दिया गया, थोड़े से समय में उन्होंने काम किया। वह ठीक है, और प्रशंसा के लायक है। लेकिन मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस काम का भार एक या दो लोगों को देने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जब हम केवल देश में एक कल्याणकारी राज्य ही कायम नहीं करना चाहते बल्कि सरकारी कर्मचारियों के द्वारा अपने सारे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक काम करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बड़े आयोग को नियुक्त करने की जरूरत है कि जो समस्या के सब पहलुओं पर विचार करके एक काम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट जनता की राय लेकर, अनुभवी लोगों की राय लेकर सरकार के सामने रखे। और उसे संसद के सामने विचारार्थ पेश किया जाये और उसे पूरी तरह लागू किया जाये। जब ऐसा किया जायेगा तभी मेरा खयाल है कि केन्द्रीय प्रशासन में, राज्यों के प्रशासन में और जिलों की विकेन्द्रीकरण वाली संस्थाओं में जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सकता है।

एक और बात मैं कहना चाहता हूं जिस को कि मैं हमेशा बराबर कहता रहता हूं कि पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं, जैसे कि कोआपरेटिव सोसाइटीज़, कोआपरेटिव बैंक्स आदि, उनके एकाउंट्स की जांच के लिए इंडिपेंडेंट आडिट होना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे श्री वी० टी० कृष्णमाचारी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर ज़ोर दिया है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज़ आदि पंचायती राज की संस्थाओं के एकाउन्ट्स की जांच जैसे कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के हिसाब की जांच करने के लिए स्वतंत्र आडिट विभाग हैं, उसी तरीक़े से इनके लिए भी आडिट विभाग होना चाहिए। सरकार को इस को जल्द से जल्द कार्यान्वित करना चाहिए।

†**श्री वारियार** (त्रिचूर) : जब प्रशासन का उद्देश्य बदल रहा है तो हमें प्रशासन के प्रति अपना दृष्टिकोण भी बदलना चाहिये। आज स्थिति यह है कि हमारे प्रशासन में अधिक से अधिक टेकनीकल अधिकारी आ रहे हैं। भले ही वे भारतीय प्रशासन अधिकारियों की तरह प्रशासन में निपुण नहीं हों तथापि वे अपने क्षेत्र की टेकनीकल समस्याओं में विशेषज्ञ होते हैं।

अतः हमें चाहिये कि हमें अपने आयोजन के प्रशासकीय एवं प्रविधिक पक्ष और सरकारी उपक्रमों के बीच की खाई को पाटने का कोई तरीका निकालना होगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री वारियार]

सचिवालय और क्षेत्र अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि योजनाओं का अनुमोदन एवं क्रियान्वयन शीघ्रता से हो सके। शक्ति और जिम्मेदारी साथ साथ होने चाहियें और केन्द्र तथा राज्यों में शक्ति का विकेन्द्रीय करण किया जाना चाहिये ।

प्रशासनिक विलम्ब की समस्या भली प्रकार हल की जानी चाहिये। इस प्रयोजन के लिये समस्त प्रशासकीय संगठन का पुनर्गठन करना होगा ।

श्री गणपति राम (मछली शहर) : अध्यक्ष महोदय, पन्द्रह वर्षों के बाद भी हम सदन के अन्दर ही नहीं बल्कि सदन के बाहर भी यह महसूस करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जितनी उन की योग्यता में क्षमता आनी चाहिये, उस स्तर पर वह नहीं आ सकी है।

हम प्रस्तावक महोदय के आभारी हैं जिन्होंने जनता की भावनाओं का आदर करते हुये यह प्रस्ताव सदन के सम्मुख रक्खा है। आज हमारे देखने में आता है कि चाहे वह स्टेट्स की सर्विसेज हों चाहे बाहर की हों, उन सब जगहों पर पालिटिक्स इंटर करती चली जा रही है। जहां हम एक तरफ देश में समाजवादी ढंग के सामाजिक ढांचे की स्थापना की कामना करते हैं और एक कल्याणकारी राज्य की कामना करते हैं वहां यह देख कर आश्चर्य होता है। वहा पर तो कम से कम यह बातें नहीं होनी चाहिये ।

मुझे आश्चर्य के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश मुश्किल से सी०पी०एस० और आई० ए० एस० में शैड्यूल्ड कास्ट्स के ३०–४० अफसर होंगे, लेकिन प्रमोशन का जहां मामला आता है, मुझे यह भी सुनने में आता है कि आधे से ज्यादा की कौनफिडेंशल रिपोर्ट इस नाते खराब कर दी गई है ताकि औरों के मुकाबिले उन का कहीं प्रमोशन न हो जाय। अब इस तरह की बातें अगर के देश के अन्दर चलें तो इस को इंसाफ नहीं कहा जा सकता है ।

मुझे यह भी देखने में आता है कि कोई अफसर अगर किसी के यहां एप्रोचेज करता है, चापलूसी की उस की आदत है तो उस का बड़ी आसानी से प्रमोशन होता चला जायेगा लेकिन जिस में यह आदत नहीं है वह बेचारा नीचे ही रहता चला जायेगा चाहे उस में योग्यता और कर्मठता भले ही क्यों न हो। यह देश के लिये बहुत खतरानाक स्थिति होगी अगर हम इस स्तर पर चलें। जब कि देश में प्रशासनिक योग्ता और क्षमता की काफी आवश्यकता है ऐसे समय में हमें हर एक स्तर पर क्षमता को बढ़ाना चाहिये। जिलों में हम ऐसा भी देखते हैं कि बहुत से अफसरान जो कि जिम्मेदार पदों पर हैं वे डिस्क्रिमिनेशन करते हुये अपनी कौम और अपनी बिरादरी के अफसरों को ब्लाक लीडर्स भरते चले जाते हैं। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिये एक रिजर्व्ड कोटा रहते हुये भी उन लोगो को नहीं रखा जाता है। क्या यही हमारे प्रशासन और उसके अधिकारियों की योग्यता का प्रमाण है? इसको तो अयोग्यता समझा जाना चाहिये और जो लोग इस प्रकार पक्षपात से काम लें, उन के कैरेक्टर रोल और कान्फिडेंशल रिपोर्ट में इस बारे में एन्ट्री की जानी चाहिये ।

मैं निवेदन करना चाहताज हूं कि इस सदन में और विधान सभाओं में भी इस आशय के प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या हरिजनों और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का कोटा हर जगह पूरा किया जा रहा है, अनटचेबिलिटी के सम्बन्ध में कितने केसिज रजिस्टर किये जाते हैं, कितने लोगों पर मुकदमें चलते हैं, कितने छूट जाते हैं और क्यों छूट जाते हैं, इत्यादि। इस से प्रकट होता है कि इस विषय में लोगों में बहुत असंतोष है ।

इस सदन में हर साल शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के कमिश्नर की रिपोर्ट पर विचार होता है और उसकी रीकमेंडेशन्ज को यह सदन और माननीय मंत्री जी मन्जूर करते हैं लेकिन सरकार खुद उन रीकमेंडेशन्ज के अनुसार कार्य नहीं करती है।

इस स्थिति में मेरी समझ में नहीं आता कि सर्विसिज की एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता में कमी कहां से शुरू होती है। क्या यू० पी० एस० सी० या स्टेट्स के सिलेक्शन बोर्डज आदि में तो कमी नहीं है? जो आदमी चुने जाते हैं, क्या उनमें कमी तो नहीं है? क्या मैं समझूं कि हमारी सरकार उस तरफ तवज्जह नहीं देना चाहती है? अगर सरकार आज भी आंखें मूंद कर बैठी रहेगी तो इस संकट के समय में देश की वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप और जनता की भावनाओं का आदर करते हुये जो प्रशासनिक योग्यता हम चाहते हैं, वह देश में नहीं लाई जा सकेगी।

हम यह मानते हैं कि सरकार में कुछ योग्य और ईमानदार आफिसर हैं और उन्ही की वजह से प्रशासन का सब काम चल रहा है, लेकिन यह कहते हुये आश्चर्य होता है और हंसी आती है कि ऐसे ऐसे लोग जिम्मेदार पदों पर रखे गये हैं, जो कि अपने विषय को नहीं जानते हैं। आज प्रशासन और न्याय-व्यवस्था पर से जनता का विश्वास उठता जा रहा है। कुछ लोगों को यह कहते हुये सुना जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में, एक्सीक्यूटिव में और जुडिशियरी में भी चोर-बाजारी और घूसखोरी का बाजार गर्म होता जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर न्याय और प्रशासन पर से जनता का विश्वास उठ जाता है, तो यह देश के लिये एक खतरनाक स्थिति होगी। इसलिये उन में एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता पैदा करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार यह पता लगाये कि कहां पर कमी है। मैं यह नहीं चाहता कि सरकार किसी गलत आदमी को गलत तरीके से पनिशमेंट दे। लेकिन मैं इतना जरूर चाहूंगा कि जिन लोगों के सही हक हैं, इन्साफ के नाम पर वे उन को मिलने चाहियें।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस आफिसर ने पी० सी० एस० और आई० ए० एस० में क्वालीफाई किया, जिस ने सेक्शन आफिसर्स की परीक्षा में क्वालीफाई किया, उस से जूनियर व्यक्ति को सुपरसीड कर दिया गया। इस कारण उस ने उद्योग भवन से कूद कर आत्म-हत्या कर ली। यह घटना इस सदन के सामन और प्रेस तथा प्लेटफार्म पर भी आ चुकी है। मैं समझता हूं कि इस तरह के सैकड़ों और हजारों केस होते होंगे, लेकिन वे सामने नहीं आते होंगे। हम सरकार से प्रार्थना करना चाहते हैं कि वह इस तरह की बातों को न होने दे।

स्टेट सरकारों में काम करने वाले अधिकारियों में इस बारे में असंतोष है कि अगर कोई आफिसर स्टेट सरकार के अन्डर काम करता है, तो उस की रीम्युनरेशन और तनख्वाह तथा भत्ता आदि कम रहते हैं, लेकिन सेंटर में उसी रैंक के आफिसर को ज्यादा रीम्युनरेशन और तनख्वाह तथा भत्ता आदि मिलते हैं। इस तरह का डिफरेंस क्यों है। जब हम अपने देश में एक समाजवादी ढांचे के समाज की रचना करना चाहते हैं, तो हम को ऊपर से ले कर नीचे तक इस दृष्टि से कार्य करना होगा।

हम सब जानते हैं कि हमारा देश गांवों का है। इसलिये गावों की भावनाओं का आदर करना चाहिये और गांवों की विकास-योजनाओं आदि को प्राथमिकता देनी चाहिये। लेकिन अगर ऐसे अफसरों को, ऐसे प्लानिंग आफिसर्ज और ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर्ज को, तरक्की मिल जाये, जो कि गांवों में कदम रखना नापसन्द करते हैं और जो अफसर सचमुच काम करते हैं और गांवों के विकास के

[श्री गणपति राम]

लिये बहुत मेहनत करते हैं, उन को तरक्की न मिले और उन की उपेक्षा की जाय, तो इस से वे लोग हतोत्साहित होते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इन कमियों को ढूंढ कर उन को दूर करने की कोशिश की जाये और एडमिनिस्ट्रेशन की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश की जाये।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी): अध्यक्ष महोदय, १९६० के अन्त में योजना आयोग ने गृह मंत्रालय और सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय की सहमति से श्री वी० टी० कृष्णमाचारी को प्रशासन सम्बन्धी कुछ विशेष समस्याओं का अध्ययन करने और उन के विषय में अपना प्रतिवेदन देने के लिये कहा था। उन में से पहली समस्या यह थी कि आने वाले पांच वर्षों में आई० ए० एस० कैडर की अतिरिक्त आवश्यकतायें क्या होंगी और उनकी भरती और ट्रेनिंग का तरीका क्या हो। दूसरी समस्या यह थी कि अगले पांच वर्षों में राज्य-स्तर पर कितने अधिकारियों की आवश्यकता पड़ेगी और उनकी भरती और ट्रेनिंग के लिये क्या तरीका अपनाया जाये। तीसरी समस्या यह थी कि राज्यों में जो पंचायत राज व्यवस्था लागू की गयी हैं और विकास-खंड इत्यादि का निर्माण किया गया है, उन को दृष्टि में रखते हुये राज्यों में जिले का प्रशासन कैसे चलाया जाये।

जहां तक तीसरे सवाल का सम्बन्ध है, मैं देखता हूं कि इस प्रतिवेदन में हम को कोई खास बात नहीं मिलती है। इस प्रतिवेदन में हर जगह यही जोर दिया गया है कि आई० ए० एस० आफिसर्ज की संख्या कैसे बढ़ाई जाये, उन को ट्रेनिंग कैसे दी जाये और इस सम्बन्ध में क्या सुधार किया जाये। लेकिन मूल समस्या की तरफ इस रिपोर्ट में कोई ध्यान नहीं दिया गया है और मैं समझता हूं कि शायद सरकार का यह मंशा भी नहीं है कि उधर ध्यान दिया जाये।

स्वतन्त्रता के बाद हम ने अपने देश में एक जनतांत्रिक प्रणाली वाला संविधान बनाया और यहां पर समाजवादी समाज की रचना का संकल्प लिया। इसलिये हम को उसी के अनुरूप अपने शासन में तब्दीली करनी चाहिये थी और उस तरफ कदम उठाना चाहिये था।

ब्रिटिश काल में जो अंग्रेज आई० सी० एस० में प्रविष्ट होते थे, उन के दिमाग में यह भावना होती थी कि हमको इंग्लैंड के हित में इस देश पर हुकूमत करनी है और यहां के लोगों पर अपना रोब और आधिपत्य कायम रखता है। बाद में जो हिन्दुस्तानी आई० सी० एस० में जाने लगे, उन के दिमाग में भी यही बात थी कि हम अंग्रेजी पढ़ कर, अच्छी बोली बोल कर और कम्पीटीशन पास कर के आई० सी० एस० बन जायेंगे, तो हम को अच्छी तन्ख्वाह मिलेगी और हम साहब कहलाने लगेंगे।

लेकिन स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद भी हम यही देखते हैं कि आई० सी० एस० और आई० ए० एस० के अफ़सरों के दिमाग़ में भी यही बात है कि आफ़िसर बनने के बाद हम को अच्छा वेतन मिलेगा, हमारा जीवन-स्तर ऊंचा उठेगा, लोगों पर हमारा रौब होगा और हमारा ठाट-बाट बढ़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ब्रिटिश-काल में हमारे आफ़िसर्ज के दिमाग़ में जो भावनायें थीं, वही आज भी देखी जाती हैं। अगर यह दिमाग़ी कैफ़ियत अब भी कायम रहती है, तो फ़िर हम ने अपने संविधान में जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उस की प्राप्ति नहीं हो सकती है।

लेकिन इस प्रतिवदन में तो केवल आई० ए० एस० आफ़िसर्ज की रेक्रूटमेंट और ट्रेनिंग पर ही सारा ज़ोर दिया गया है। अब तो आई० ए० एस० आफ़िसर एक ऐसा जन्तु बन गया है, जिस से छुटकारा नहीं होता है। मैं आप को बताना चाहता हूं कि १९४८ में आई० ए० एस० आफ़िसर्ज की संख्या ८०३ थी और १९६२ में वह बढ़ कर २१४७ हो गई। हम देखते हैं कि हर जगह आई० ए० एस० आफ़िसर्ज का महत्व बढ़ता जा रहा है। आज जिले का नियोजन अधिकारी भी कोई

आई० ए० एस० आफ़िसर ही नियुक्त किया जाता है, चाहे उस को सड़कें बनाने, नहरों का निर्माण करने और ज़िले की समस्याओं और आवश्यकताओं का कुछ भी ज्ञान न हो और उन में कुछ भी दिलचस्पी न हो। आज आई० सी० एस० या आई० ए० एस० आफ़िसर को सर्व-गुण सम्पन्न माना जाता है, चाहे उस में कोई भी गुण न हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मैन्टेलिटी ग़लत है। अगर इस मनोवृत्ति को नहीं बदला जाता है, तो फिर उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है, जिस का ज़िक्र हम ने अपने संविधान में किया है और जिस के लिये हम यह प्रशासन चलाते हैं।

इस रिपोर्ट में यह बहस की गई है कि आई० ए० एस० का कैडर कैसे बढ़ाया जाये, उन का इम्तहान कैसे किया जाय और सरकारी अफ़सरों की अवकाश ग्रहण करने की उम्र ५५ वर्ष हो या ५८ वर्ष। लेकिन बुनियादी बात की तरफ़, इस बात की तरफ़ कि प्रशासन में ऐसा मूल परिवर्तन किया जाये, जिस से हम अपने अभीष्ट की प्राप्ति कर सकें, कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

आज स्थिति यह है कि इंजीनियर, डाक्टर और वैज्ञानिकों की अपेक्षा आई० सी० एस० और आई० ए० एस० आफ़िसर्ज़ का महत्व ज्यादा है। इस का नतीजा यह है कि जिन बातों की ओर जिन व्यक्तियों की वाकई अहमियत होनी चाहिये, वह न हो कर अनावश्यक अफ़सरों की अहमियत बढ़ जाती है। इस के परिणामस्वरूप उन लोगों में जो देश-प्रेम और देश के निर्माण के प्रति जो श्रद्धा होती है, वह भी टूटती जाती है। ये सब चीज़ें होनी चाहिये थीं। लेकिन आज तो आई० सी० एस० आफिसर्स का भी एक प्रकार से पोलिटिकल, राजनीतिक काम हो गया है। जो भी है, आज राजनीति से सम्बद्ध रहता है। केडर तो ऐसे अफसरों का तैयार किया जाना चाहिये, जो इंजीनियर हैं, जो डाक्टर हैं, जो वैज्ञानिक हैं। जब इस तरह की चीज़ चलेगी तो अपने आप काम ठीक चलेगा, अपने आप इन का महत्व घटेगा और इन के दिमाग की कैफ़ियत जो है अफसराना, हुकूमत करने वाली वह बदलेगी। तब जा कर जो उद्देश्य आप ने अपने सामने रखा है, उस की प्राप्ति हो सकती है।

आज हमारे देश में ग्राम सभायें बन गई हैं, विकास खंड बन गये हैं। वैसे तो हमारे संविधान ने साफ साफ यह निर्देश दिया है कि पंचायतों को हम प्रशासनिक इकाई बनायेंगे। हम ने उस दिशा में कदम उठाया था। लेकिन वह कदम कैसा है ? हम ने पंचायतों को प्रशासनिक इकाई नहीं बनाया। बल्कि उस के बीच में हम ने एक विकास खंड खड़ा कर दिया और विकास खंड में भी हम ने अफसरों का जाल फैला दिया। जो हम चाहते थे कि जनतांत्रिक प्रणाली का निर्माण हो, सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो और पंचायतें प्रमुख इकाई बनें, वह नहीं हो पा रहा है। बल्कि हम एक दूसरी दिशा में चल रहे हैं और यहां भी अफसरशाही चल रही है, अफसरशाही जगह ले रही है। आज सब से जटिल प्रश्न यह है कि ज़िला स्तर का प्रशासन कलैक्टर के ज़रिये चले या किसी जन-प्रतिनिधि के ज़रिये। यह एक ज़बर्दस्त प्रश्न है। इस का जवाब ढूंढे बगैर आप देश में जनतांत्रिक प्रणाली का विकास नहीं कर सकते हैं। बहुत से मनीषी, बहुत से राजनीतिक विचारक, स्पष्टतः इस मत के हैं कि कलैक्टर के शासन का अन्तर होना चाहिये और उस का स्थान जो चुने हुए जन प्रतिनिधि हैं, उन को लेना चाहिये। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज तो दो-अमली चल रही है, डायार्की चल रही है। एक तरफ अंतरिम ज़िला परिषद् के अध्यक्ष हैं और दूसरी तरफ कलैक्टर हैं। कलैक्टर को शासन का एक प्रमुख अंग माना जाता है। और अब तो उस का नाम भी बदल कर "जिलाधीश" रख दिया गया है। "जिलाधीश" का हिन्दी में अर्थ होता है, जिले का ईश्वर और भगवान। वही आज हुकूमत कर रहा है। आप सब उस के हाथ की कठपुतली हैं। जैसी रिपोर्ट वह दे देता है, जिस तरह से वह फाइल रख देता है, वही आप कर देते हैं। जिलाधीश कौन होता है ? जिलाधीश अच्छी तनख्वाह पाने वाला होता है, अच्छे बंगले में रहने वाला होता है। तीन साल तक वह एक ज़िले में रहता है और इस दौरान

[श्री राम सेवक यादव]

में चाहे जिले में डकैतियां पड़ती रहें, चाहे कत्ल होते रहें, चाहे चोरियां होती रहें, निर्माण का काम हो या न हो उस की कागज़ की नाव चलती रहती है। तीन साल के बाद वह उस ज़िले से चला जायेगा और जिले की हालत वैसी की वैसी चलती रहेगी। इस वास्ते नीति में आज बुनियादी परिवर्तन की जरूरत है।

मैं निवेदन करूंगा कि आप एक ऐसा आयोग नियुक्त करें जो इन सारी चीज़ों की छानबीन करे, इन सब चीजों की जांच पड़ताल करे और अपना प्रतिवेदन दे। सरकार ने जो यह दृष्टिकोण अपनाया है कि उम्र की कैद को बढ़ा दिया जाय, आई० ए० एस० का केडर खड़ा कर दिया जाय, इन की तादाद को बढ़ा दिया जाय, इस से प्रशासन सुधरने वाला नहीं है।

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : यह चर्चा बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। यद्यपि इस में कई ऐसी बातें कही गई हैं जो बिल्कुल संगत नहीं हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

कार्य मंत्रणा समिति

दसवां प्रतिवेदन

†**श्री राने** (बुलडाना) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का दसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, ५ दिसम्बर, १९६२/१४, अग्रहायण १८८४ (शक), के बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

मंगलवार, ४ दिसम्बर १९६२

---

१४ अग्रहायण, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर **विषय** **पृष्ठ**

अल्प सूचना प्रश्न संख्या

४ आसाम को अन्तर्देशीय जल परिवहन सेवा . . १७७५—७७

५ सेना में भर्ती . . . . . १७७७—७८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

(एक) श्री मनीराम बागड़ी ने भारत को मिग विमान देने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए रूस सरकार के सन्देश के बारे में कथित समाचार की ओर प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान दिलाया ।

प्रतिरक्षा मंत्री ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया ।

(दो) श्री राम सेवक यादव ने पूर्वोत्तर सीमान्त ऐजेंसी (नेफा) क्षेत्र से लौटते हुए जवानों पर चीनियों द्वारा गोली चलाये जाने के कथित समाचार की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया ।

सभापटल पर रखे गए पत्र १७८४

समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९–क की उपधारा (१) के अन्तर्गत भारत के राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली की वर्ष १९६१–६२ की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति लेखा परीक्षित लेख और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित सभापटल पर रखी गई ।

राज्य सभा से सन्देश १७८४

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी कि राज्य सभा अपनी ३ दिसम्बर, १९६२ की बैठक में लोक-सभा द्वारा २८ नवम्बर, १९६२ को पास किये गयें राज्य-सहयोजित बैंक (विविध उपबन्ध) विधेयक, १९६२ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

विषय	पृष्ठ
विधेयक पारित	१७८४—१८००
वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) ने प्रस्ताव किया कि उपहार कर (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के पश्चात् विधेयक पारित किया गया ।	
विधेयक विचाराधीन	१८००–०१
वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) ने प्रस्ताव किया कि करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	
भारतीय और राज्य प्रशासन सेवाओं पर प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव .	१८०१—३०
श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने भारतीय तथा राज्य प्रशासन सेवाओं सम्बन्धी प्रतिवेदन पर जोकि ७ सितम्बर, १९६२ को सभा पटल पर रखी गयी थी के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	
कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित	१८३०
दसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।	
बुधवार, ५ दिसम्बर, १९६२ / १४ अग्रहायण १८८४ (शक) के लिए कार्यावलि	
करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक पर अग्रेतर विचार और उस का पारित किया जाना, तथा श्रमजीवी पत्रकार (संशोधन) विधेयक पर विचार तथा उस का पारित किया जाना ।	

विषय सूची—(क्रमशः)

	पृष्ठ
पारित करने का प्रस्ताव . . .	१८००
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा . . .	१७९९–१८००
करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . . .	१८००–०१
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा . . .	१८००–०१
श्री प्रभात कार . . .	१८०१
भारतीय और राज्य प्रशासन सेवाओं पर प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१८०१––३०
श्री हरिश्चन्द्र माथुर . . .	१८०१––०३
श्री ही० ना० मुखर्जी . . .	१८०३––०५
श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी . . .	१८०५–०६
श्री गजराज सिंह राव . . .	१८०५–०७
श्री भक्त दर्शन . . .	१८०७––०९
श्री यशपाल सिंह . . .	१८०९—१२
श्री दे० शि० पाटिल . . .	१८१२—१४
श्री जसवन्त मेहता . . .	१८१४
श्री दातार . . .	१८१५––१७
श्रीमती सावित्री निगम . . .	१८१७–१८
श्री काशी राम गुप्त . . .	१८१९—२१
श्री शिव नारायण . . .	१८२१—२३
श्री कृष्णपाल सिंह . . .	१८२३
श्री मान सिंह पृ० पटेल . . .	१८२३
श्री श्रीनारायण दास . . .	१८२४–२५
श्री वारियर . . .	१८२५–२६
श्री गणपति राम . . .	१८२६—२८
श्री राम सेवक यादव . . .	१८२८—३०
श्री नन्दा . . .	१८३०
कार्य मंत्राण समिति—	
दसवां प्रतिवेदन . .	१८३०
दैनिक संक्षेपिका . . .	१८३१–३२
क्रमेकित विषय सूची (२१ नवम्बर से ४ दिसम्बर १९६२ /३० कार्तिक से १३ अग्रहायण, १८८४ (शक)	

PLS. 41. X. 20. 62.
140

© १९६२ प्रतिलिप्याधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित।